**पुस्तक :**

ब्रिटिश शासन की समाप्ति पर भारत में जनतान्त्रिक पद्धति को ग्रहण किया गया। वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर पहली बार वर्ष 1952 में आम चुनाव सम्पन्न हुए और प्रथम लोकसभा का गठन हुआ। ऐसे महत्त्वपूर्ण समय पर, इस सदन ( 1952-57 ) में कर्मठ स्वतन्त्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह द्वारा दिए गए भाषणों का यह पुस्तक संकलन है। चौधरी साहिब रोहतक लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पहुँचे थे। सदन में उन्होंने जनजीवन के अहम सवालों को पुरजोर ढंग से रखा। यह संकलन उस समय का जहाँ जीवन-दर्पण है तो उनके व्यक्तित्व के रूप को उजागर करता लगता है।

**चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ**
**महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक**

प्रथम लोकसभा में चौधरी रणबीर सिंह

सम्पादक : ज्ञान सिंह

# प्रथम लोकसभा में चौधरी रणबीर सिंह

सम्पादक :
**ज्ञान सिंह**

## चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ के अन्य प्रमुख प्रकाशन

1. Making of our Constitution
2. चौधरी रणबीर सिंह : जीवन, कृतित्व, व्यक्तित्व - कुछ अनछुए पहलू
3. Freedom Struggle in Haryana and Chaudhry Ranbir Singh
4. किस्सा युगपुरुष चौधरी रणबीर सिंह
5. श्रद्धांजलि : महानायक चौधरी रणबीर सिंह के चरणों में
6. संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह
7. चौधरी रणबीर सिंह जी की पावन कथा ( पुस्तिका )
8. स्वराज कथा - स्वतंत्रता आन्दोलन में हरियाणा
9. स्वतन्त्रता आन्दोलन में आर्यसमाज और चौधरी रणबीर सिंह : डॉ० रामप्रकाश ( पुस्तिका )
10. स्वराज किरणें
11. Swaraj Legacy
12. गीता का सन्देश : डॉ० कर्ण सिंह ( पुस्तिका )
13. Tell the Nation..... Question Hour
14. संविधान सभा में हरयाणा

# प्रथम लोकसभा में
# चौधरी रणबीर सिंह

# चौधरी रणबीर सिंह

## प्रथम लोकसभा (1952–57) में दिए भाषणों का संकलन

*संपादक*

**ज्ञान सिंह**

© प्रकाशक

संस्करण : 2012

*प्रकाशक*

**चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ**

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

*मुद्रक :*

**महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रैस, रोहतक**

# विषय सूची

**आमुख**
*चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,*
*मुख्यमंत्री, हरयाणा*

**दो शब्द**
*प्रो॰ आर. पी. हुड्डा*
*कुलपति*

**प्रस्तावना**
*ज्ञान सिंह*
*अध्यक्ष, चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ*

**आभार**

1. सदस्यों का शपथ ग्रहण 01
2. एस्टेट ड्यूटी विधेयक 03
3. संविधान विधेयक (द्वितीय संशोधन) 07
4. प्रशासनिक शरणार्थी सम्पत्ति (संशोधन) विधेयक 17
5. पेप्सू के खाते के लिए अनुदान की माँगें 21
6. वित्त विधेयक 24

7. अनाथालय बिल 26

8. अनाथालय बिल 29

9. पंचवर्षीय योजना : प्रगति रिपोर्ट, 1953–54 35

11. रेलवे बजट, 1955 40

12 1955–56 के लिए अनुदान माँगें 44

13. भारतीय रिजर्व बैंक बिल 50

14. आर्थिक नीति पर प्रस्ताव 50

15. अनुदान के लिए माँगें 61

16. अनुदान के लिए माँगें 67

17. राज्य पुर्नगठन विधेयक 73

18. हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक 77

19. हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक 80

20. हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक 83

21. लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक 87

22. संविधान विधेयक (नौंवा संशोधन) 89

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा
BHUPINDER SINGH HOODA

D.O. No. CMH-2012/ SSS

मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA,
CHANDIGARH.

Dated 13-10-2012

# आमुख

मुझे यह जानकर हर्ष हुआ है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में स्थापित चौ. रणबीर सिंह शोधपीठ प्रथम लोकसभा (वर्ष 1952-57) में चौधरी रणबीर सिंह द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन प्रकाशित कर रहा है।

स्वतंत्रता के उपरान्त देश में नया संविधान लागू किए जाने तक विधायी कार्य निपटाने के लिए अन्तरिम संसद कार्य कर रही थी। 26 जनवरी, 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और इसके तहत वयस्क मताधिकार पर वर्ष 1952 में चुनाव हुए और प्रथम लोक सभा का गठन हुआ। चौ. रणबीर सिंह कांग्रेस पार्टी की ओर से रोहतक लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जीत कर इस सदन के सदस्य बने। हमारी संसदीय जनतंत्र की यह शुरूआत थी।

चौधारी रणबीर सिंह ने एक अनुभवी सांसद, कुशल प्रशासक और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के रूप में भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी। विनम्रता एवं ईमानदारी की प्रतिमूर्ति चौधरी रणबीर सिंह सामाजिक सुधारों और किसान एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कटिबद्ध थे। प्रथम लोक सभा के गठन से पूर्व चौ. रणबीर सिंह संविधान सभा, संविधान सभा (विधायी) एवं अन्तरिम संसद के सदस्य भी रह चुके थे। प्रथम लोकसभा में उन्होंने उन सभी ज्वलंत मुद्दों को निर्भिकता से उठाया, जिनका सम्बंध आम लोगों के जीवन से था।

मैं प्रकाशन की सफलता की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह प्रकाशन चौ. रणबीर सिंह के जीवन मूल्यों एवं उनकीं सोच को उजागर करेगा और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा।

मेरी शुभकामनाएं।

भूपेन्द्र सिंह

(भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)

**MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY**
**ROHTAK-124 001, (HARYANA)**
**INDIA**
Off. : 01262-274327, 292431
Res. : 01262-274710

**VICE-CHANCELLOR**

# दो शब्द

मुझे प्रसन्नता है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह द्वारा प्रथम लोकसभा (1952–57) में दिए गए भाषणों का संकलन 'प्रथम लोकसभा में चौधरी रणबीर सिंह' नाम से प्रकाशित हो रहा है।

प्रथम लोकसभा हेतु स्वतंत्र देश की हैसियत से नए संविधान के अधीन व्यसक मताधिकार पर पहला चुनाव वर्ष 1952 में हुआ, जिसमें चौधरी रणबीर सिंह ने रोहतक चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा और उस सदन के लिए चुने गए। इससे पहले वे संविधान सभा, संविधान सभा (विधायी) और अन्तरिम संसद के सदस्य रह चुके थे।

चौधरी रणबीर सिंह ने प्रथम लोकसभा में भी उसी निर्भीक राजनीति का परिचय दिया, जिसके लिए वे संविधान सभा में जाने जाते थे। इस सदन में भी उनकी चिंता के वे सब सवाल रहे, जिनका आम लोगों से वास्ता था। यह प्रकाशन उन सब पहलूओं पर रोशनी डालता लगता है। उम्मीद है कि पाठकों को यह रूचिपूर्ण लगेगा।

**(आर.पी. हुड्डा)**

# आभार

प्रथम लोकसभा (1952–57) में महान स्वतंत्रता सेनानी माननीय चौधरी रणबीर सिंह के भाषणों के हिन्दी संकलन को सुधी पाठकों एवं शोधकर्त्ताओं के हाथों तक पहुँचाने का यह एक अच्छा प्रयास है। पूर्ण विश्वास है यह संकलन सभी के लिए एक रूचिकर और उपयोगी साबित होगा

हमारे आग्रह पर इस संस्करण के लिए 'आमुख' भेजने पर हम हरियाणा के मुख्यमन्त्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एवं 'दो शब्द' लिखने के लिए कुलपति डा.आर.पी. हुड्डा का तहेदिल से आभारी हैं।

इस बहुपयोगी संकलन के तैयार करने में पीठ में मेरे सहयोगी राजेश कुमार 'कश्यप' व धर्मबीर हुड्डा की महत्ती भूमिका रही है। श्री स्नेह कुमार व श्री सुरेन्द्र सिंह की सहायता से हम सब अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। इनके प्रति पीठ धन्यवादी है।

शोघ–पीठ

# इस प्रकाशन के सन्दर्भ में...

प्रस्तुत प्रकाशन पहली लोकसभा में चौधरी रणबीर सिंह के भाषणों का संकलन है। स्वतन्त्र देश की हैसियत से अपने नये संविधान के अधीन वर्ष 1952 में हुए पहले चुनाव के बाद इस सदन का गठन हुआ था और चौधरी साहिब इस चुनाव में रोहतक क्षेत्र से चुन कर उस सदन में पहुंचे थे। यह ससंदीय जनतन्त्र की नयी शुरुआत थी। देश जहां विभाजन की विकट समस्या को झेल रहा था तो प्रशासनिक बदलाव को रूप भी देना था, वहीं विकास की राह तैयार हो रही थी। प्रथम लोकसभा का यह महत्व था कि आजादी के बाद नयी पनप रही आकांक्षाअें को वाणी देने का यह मंच था।

चौधरी रणबीर सिंह यूं तो वर्ष 1947 से 1950 तक संविधान सभा के सदस्य रहे और साथ ही उस सदन के विधायी सदन में भी सक्रिय रहे थे। बाद में वे वर्ष 1950 से 1952 तक अन्तरिम संसद के सदस्य के रूप में संसदीय राजनीति में मंजे। आम नागरिकों के मताधिकार पर लोकसभा/विधान सभाओं के लिए यह पहला चुनाव था। देश की पहली लोकसभा में चौधरी रणबीर सिंह ने अपनी राजनीति और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किस तरह निभाया उसकी एक झलक यह संकलन दे सकेगा, यह उम्मीद है। पाठक एकबार फिर स्वयं जान पायेंगे कि चौधरी साहिब उन मूल्यों के, उन उसूलों के पहरेदार बने रहे जो उन्हें प्रिय थे और जिनका वास्ता आमजन की समस्याओं से जुडा हुआ था। इस सदन में भी वे अपनी ईमानदार मेहनत पर भरोसा रख कर चलने वाले इंसान के हिमायती रहे और

ग्रामीण हितों को उभारा। इस प्रकाशन का पन्ना पलटिये तो पायेंगे कि हर अवसर पर, उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जिन्हें वे संविधान सभा तथा अन्तरिम संसद में उठाते आए थे। इससे एक तथ्य यह उभरता है कि चौधरी रणबीर सिंह के लिए उस वक्त के ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का सवाल प्रमुख था और अपनी बात वे निडर होकर रखते थे।

चौधरी रणबीर सिंह सामान्य राजनीतिक नायक नहीं थे। वे सामान्य से विशिष्ट बने, यह उनका तप था और साथ ही, उन परिस्थितियों की देन थे, जिनमें वे जिये। हरियाणा में जन्म लेकर वे राष्ट्रीय पटल पर उस प्रक्रिया का हिस्सा बने जहां से स्वतन्त्र देश के बतौर भारत ने अपने आधुनिक जीवन की यात्रा आरम्भ की। इस संघर्ष की कहानी मामूली किस्सा नहीं है। इससे उनका व्यक्तित्व कुंदन बन कर निकला जो दूसरों को सुगंधित करता है।

विशिष्ट परिस्थितियां बनी जब भारत का स्वतन्त्रता आन्दोलन खड़ा हुआ था। शुरुआत सन् 1857 की जंग से हुई जो विदेशी शासन के विरुद्ध प्रथम व्यापक जन आन्दोलन था। न इसे किसी धार्मिक भावना ने भड़काया था, न यह सैनिकों की बगावत थी। ये पहलू इस जंग में जुड़ गए, यह अलग बात थी। सन् 1917 की रूसी क्रान्ति में भी सैनिक जुड़े थे, किन्तु उसे कोई सैनिक बगावत कह कर नहीं पुकारता। यह भारत के प्रथम स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ ही हुआ। इसकी हार के बाद, ब्रिटिश शासकों का नजरिया इस जंग को धार्मिक भावना के चलते एक सैनिक विद्रोह बता कर उन कारणों पर ध्यान नहीं आने देना चाहता था, जो इस जंग के कारण बने थे। लम्बे समय तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी की मार्फत यहां हुई तबाही इस युद्ध का असली कारण था, जिसपर चर्चा उस शासन के लिए घातक होती, अन्यथा उदमी राम जैसे किसान इसके नायक नहीं बनते और बात मात्र मंगल पांडे तक सिमट कर रह जाती। यह अलग बात है कि इतिहास केवल

सैनिक मंगल पांडे को जानता है वह किसान उदमी राम जैसे सामान्य जनों से उभरे नायक /नायिकाओं पर विचार आज भी कम ही करता है। आज भी ब्रिटिश नजरिया बुद्धि पर इस कद्र छाया हुआ है। यह अकारण नहीं है।

सन् 1857 से आरम्भ होकर वर्ष 1947 के मध्य अगस्त महीने तक यह आन्दोलन चला। इसकी उथलपुथल, उतार–चढावों और थपेड़ों से भारत जूझा। इस बीहड संघर्ष ने भारत को बीसवीं सदी का भारत बनाया और अलग तरह की संस्कृति, जीवनमूल्यों, और अलग तरह के नायक/नायिकाओं की फसल तैयार की। इनमें हरयाणा क्षेत्र के एक सपूत चौधरी रणबीर सिंह रहे, जिनपर आधुनिक इतिहास ने आदत अनुसार कम ही ध्यान दिया है।

इतिहास की एक सर्वव्यापी सीख हैः कि जो कौम किन्ही तुच्छ कारणों से गुलामी के दर्द को याद नहीं रखती, एक समय बाद, वह आजादी की कीमत को भी भुला बैठती है और गुलामी में फर्क गवां कर उसके लौटने की राह स्वयं तैयार कर देती है। चौधरी रणबीर सिंह वह नायक थे जिन्हे गुलामी के दर्द ने सताया और जो आजादी के लिए उस भीषण आग से कुंदन होकर निकले ताकि बाद की पीढी सुख से जिंदा रह सके।

स्वतन्त्रता आन्दोलन की एक श्रेष्ठ सृष्टि चौधरी रणबीर सिंह थे। स्वतंत्रता आन्दोलन और उसके बाद देश के नवनिर्माण काल में जब तक जिये वे मूलतः वैसे सैनानी ही बने रहे। यह उनका अपना संघर्ष था तो साथ ही भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन की साख का आईना भी था। चौधरी रणबीर सिंह की खासियत इसमें यह रही थी कि एक कठिन दौर में उन्होंने अपने क्षेत्र के ग्रामीण आंचल को स्वतन्त्रता आन्दोलन से जोड़ा और बाद के काल की चकाचौंध में वे चुंधियाये नहीं; अपने चारित्रिक लक्षणों को अक्षुण्ण रखा। खास बात यह कि चौधरी रणबीर सिंह चुनावी मैदान के भी खिलाड़ी रहे, किन्तु

अपनी मौलिकता को कभी नहीं छोड़ा और नकली चेहरा पहन कर हीरो बनने का प्रयास तक नहीं किया। बचपन से किसानी की संस्कृति में रमे हुए थे।

घर–परिवार और पिताश्री के हाथों आर्य समाज तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन की सीख लेकर आगे बढे। चौधरी रणबीर सिंह ने अपने उस वातावरण से जो दीक्षा ली उसपर सदा खरे उतरे। यही चारित्रिक लक्षण उनकी राजनीति की खासियत बने। वे सहज व व्यवहारकुशल थे, शालीनता एवं सहृदयता उनका स्वभाव था, किन्तु किसान की तरह अडिग रह कर अपने जीवनमूल्यों को अक्षुण्ण रखना उनके चरित्र का हिस्सा था, एक किसान की तरह सदा आशावादी और दबंग। वे निराशा में कभी नहीं जिये। अपनों को पहचानते थे, गलत को गलत कहने की आदत थी, पर–निंदा करते उन्हें कभी नहीं देखा गया और प्रतिपक्ष के प्रति सहहिष्णुता उनका गुण था। दूसरों की मदद करने में सदा तैयार। स्वतन्त्रता आन्दोलन के इस निडर सिपाही ने जनतान्त्रिक मूल्यों को अपने जीवन में भले से आत्मसात किया था। उन्हें सन्तोष था कि मैं जनहित के *''इन्हीं विषयों को धड़ल्ले से उठाता रहा। गरीब की, किसान की, गांव की खूब वकालत की।''*

जब चौधरी रणबीर सिंह सामाजिक जीवन और खास कर राजनीति में सक्रिय थे उसमें तथा उनके निधन के समय में एक बड़ा अन्तराल है। पीढी ही बदल गई। अध्ययन–शीलता के अभाव में उनके ये पक्ष औझल से हो गए जो रोशनी देते हैं। उनपर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली फरवरी 2009 को अन्तिम सांस लेने के साथ ही स्वतन्त्रता आन्दोलन का यह अध्याय समाप्त प्राय हो गया।

**ज्ञान सिंह**
*अध्यक्ष*
चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ

# प्रथम लोकसभा

## मंगलवार, 13 मई, 1952

---

## सदस्यों द्वारा शपथग्रहण*

[Shri G.V. Mavalankar in the Chair]

**Shri Mavalankar** : The names of hon. Members who have to take the Oath or make Affirmation will now be called by the Secretary one by one. The names of Members who do not take the oath at the first call will be called at the end.

All efforts will be make by the Secretary to call the names of hon. Members correctly, as far as possible, still, if there be any mistake, I trust the hon. Members concerned, will generally excuse the same.

On the name of a Member being called by the Secretary, he will proceed from his seat to the right side of the Secretary's table, where a copy of the form of oath or affirmation wil be handed to him in Hindi or English as may be desired by the Member. The Member will face me, while making the oath or affirmation and will then, after shaking hands with me pass behind my chair to the

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 13 मई, 1952, पुस्तक सं. 1, भाग 1, पृष्ठ 9*

other side of the table, where he will sign the Roll of Members. After signing the Roll he will return to his seat.

Shri Jawaharlal Nehru [Allahabad District (East) cum Jaunpur District (West)]

.....

Shri Ranbir Singh Chaudhry (Rohtak)

# प्रथम लोकसभा

## वीरवार, 6 नवम्बर, 1952

————————

## एस्टेट ड्यूटी विधेयक*

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इसलिये नहीं कि मुझे शौक है कि मरने वालों के ऊपर कोई टैक्स लगा दिया जाये, या इसलिये कि टैक्स लगाने का हमें शौक है। टैक्स लगाना किसी सरकार के लिये भी बड़ी दुःखदायक बात होती है। खास तौरपर जहां पंचायती राज्य हो, वहां तो इसके खिलाफ काफी आवाज उठने का डर होता है। लेकिन, इसके साथ–साथ हमें इस देश को आगे ले जाना है। मैं बहुत ज्यादा बातें इस सिलसिले में नहीं कहना चाहता। लेकिन बाबू रामनारायण सिंह ने एक बात शुरू में कही थी कि वह किसान हैं, मैं भी उसी नाते से एक बात कहना चाहता हूँ और वह यह कि यहां इस देश पर 100 साल से विदेशियों का राज्य रहा। इस अर्से में जो खेती की तरक्की के लिये पानी बढ़ाने का खर्च किया गया वह अन्दाजन 150 करोड़ है और आज की कीमत में वह 500 करोड़ के करीब पहुंचता है। लेकिन, इन आने वाले पाँच सालों में खेती के लिये पानी बढ़ाने की जो स्कीम है उसके ऊपर जो खर्च किया जाने वाला है, वह 600 करोड़ से भी ऊपर होगा। तो 100 साल का जो काम है, उसको हम पाँच साल में

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 6 नवम्बर, 1952, पुस्तक सं. 2, भाग 2, पृष्ठ 116–120*

करना चाहते हैं। मगर हमारी सरकार के पास कोई ऐसा जादू का डंडा तो है नहीं, जो इस काम को पूरा कर दे। उस काम के लिये कुदरती बात है कि रूपया चाहिये और रूपये के लिये हमें ज़राय (साधन) तलाश करने हैं। तो जहां और कोई तरीके हो सकते हैं, वहां यह भी एक तरीका है।

*(अध्यक्ष कुर्सी पर विराजमान)*

इस बिल का जहां मैं समर्थन कर रहा हूँ, उसके साथ–साथ मैं एक दो सुझाव भी देना चाहता हूँ, सिलैक्ट कमेटी के लिये ताकि वह इस पर गौर करे। पहली बात तो यह है कि जहां आप मरने वालों पर टैक्स लगा रहे हैं, वहां अगर आप चाहते हैं कि टैक्स की चोरी न की जाये तो जायदाद के ट्रान्सफर पर भी टैक्स होना चाहिए, क्योंकि प्रापर्टी दो ही कामों के लिये ट्रान्सफर की जायेगी। या तो इसलिये कि लोग टैक्स की चोरी करना चाहते हैं या इसलिये कि वह लैविशली खर्च करना चाहते हैं। हम जब एक तरफ उन भाईयों को टैक्स कर रहे हैं जो अपना रूपया बचा करके और देश के दूसरे उत्पादन में लगा कर देश की तरक्की करना चाहते हैं, तब जो अपनी जिन्दगी में फिजूलखर्ची करके सारा रूपया खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स लगना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक चोरी का ताल्लुक है, इस देश में सम्पति के मालिकों के लिये यह कोई नई चीज नहीं है। हमारे त्यागी जी जब से वजीर बने हैं, उन्होंने इन्कम टैक्स का करोड़ों रूपया उन लोगों से बरामद किया है और कर रहे हैं, जिन्होंने इसकी चोरी नहीं की थी।

अगर आप एक कमीशन बनाना चाहें या फिर एक त्यागी जी जैसा वजीर बनाना चाहें तो बात दूसरी है कि आप उनकी सम्पत्ति ट्रान्सफर करने पर टैक्स न करें। वरना टैक्स तो आपको लगाना ही होगा।

एक बात और। मैं बाबू रामनारायण सिंह जी के लिए कहना चाहता हूँ। हमारे यहां तो उसको चार्ज कहते हैं पता नहीं उन्होंने क्या कहा था...

**बाबू रामनारायण सिंह** : कटहा ब्राह्मण।

**चौधरी रणबीर सिंह** : एक बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के एक मंत्री त्यागी हैं, चाहे वह उनको कटहा ही क्यों न कहें। इसलिए कटहा त्यागी के होते हुए हमें डर की जरूरत नहीं है।
*(सांय 3 बजे)*

दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता था कि पहले जो सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट और इस बिल में एक फर्क है और वह यह कि इसमें मैक्सिमम एग्जेम्पशन की लिमिट (छूट की अधिकतम सीमा) नहीं रखी गई है और दर निर्धारित नहीं की गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं।

लेकिन, मैं मंत्री महोदय से और सिलैक्ट कमेटी से एक नम्र निवेदन करना चाहता हू. कि आज देश एक बहुत नाजुक हालत में से होकर गुजर रहा है और पिछले पाँच साल में जिन्हें पैटी वर्जुआ या इंटेलीजेंशिया कह सकते हैं, उनके ऊपर खासी सख्ती हुई है। वह ऐसे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे आम लोगों को भड़का सकें। अगर हम लिमिट मुकर्रर नहीं करेंगे तो उनके हाथ में यह और एक हथियार होगा। इस सिलसिले में मैं आपको अपने प्रदेश की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगह जमींदारी खात्में का कानून बना। हमारे इलाके में जिस आदमी के पास एक बटे पाँच एकड़ जमीन भी है, वह अपने को जमींदार कहता है। इधर पाँच साल से रेडियो का भी प्रचार था, अखबारों का भी प्रचार था और सरकार के पबलिसिटी मुहकमे का भी प्रचार था कि जमींदारी खत्म हो रही है। हमारे इलाके के लोगों ने यह समझ कर कि जो कायदे कानून आगे बनने वाले हैं, इससे उनकी भी जमींदारी खत्म हो जायेगी। इसलिये बहुत से छोटे–छोटे किसान मालिकों ने भी कांग्रेस को मत नहीं दिया। मैं मानता हूँ कि आगे चलकर मंत्री महोदय को या सिलैक्ट कमेटी को या सरकार को और इस हाऊस को अधिकार है कि जो कानून बने उसमें तबदीली कर लें। लेकिन, फिलहाल जब हम एक नया काम कर रहे हैं, उसको ठीक से करें। कानून बना रहे हैं तो ऐसा कानून बनायें जिसकी कम से कम मुखालफत हो। आज ही एक भाई ने यह कहा कि इस कानून से जो जमीन के मालिक हैं उन पर भी

टैक्स लगे, इसलिये वह इसका समर्थन नहीं करना चाहते। हमारे इलाके का वह आदमी जिसके पास एक बटे पाँच एकड़ जमीन है, वह भी समझेगा कि उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, क्योंकि आपने कोई लिमिट नहीं मुकर्रर की है। मैं तो इस चीज में श्री लंका सुन्दरम जी से मुत्तफिक हूँ। यह कायदा और कानून बनाना जरूरी था। इसलिये कि एक तरफ जो जमीन के मालिक थे, उनके लिये जमींदारी खात्में का कानून बनाया गया है, पर दूसरी तरफ जो भाई कारखानेदार हैं, उनकीं सम्पत्ति को बांटने या टैक्स लगाने का हमारे पास कोई कायदा कानून नहीं था। ताकि पोलीटिकल और सोशल जस्टिस हो, इसलिये यह कानून का मसविदा हाउस के सामने लाया गया है। इस कानून का कोई बुरा असर न पड़े और कुछ लोगों को आम जनता को भड़काने के लिये एक साधन न मिल जाये, इसलिये मैं सिलैक्ट कमेटी से प्रार्थना करता हूँ कि वह छूट की कोई लिमिट मुकर्रर कर दे।

इसके अलावा एक और बात है। आप इस कानून को आयकर की तरह नहीं मान सकते, कम से कम जहां तक उसकी दर का वास्ता है। इंकम टैक्स का कानून साल में सबके लिये एक सा होता है। पर, मरने वाले तो एक साल में नहीं मरते, कुछ पहले मरते हैं, कुछ पीछे मरते हैं। इसलिये, सबके लिये यह एक सा नहीं रहेगा। फर्ज कीजिये कि कोई बड़ा सेठ एक साल में मरता है और दूसरा छोटा आदमी दूसरे साल में मरता है। बड़ा सेठ जिस साल मरे, अगर उस साल टैक्स कम होगा तो इस सरकार को बदनाम करने के लिये बहुत से भाई कहेंगे कि फलां सेठ ने टैक्स कम कराया था। वह कहेंगे कि यह समझ कर कि वह सेठ बीमार रहते हैं और गालिबन गुजर जायेंगे, यह टैक्स कम किया गया है। इसलिये,9 भी कि सरकार की बेमतलब टीका टिप्पणी न हो यह जरूरी है कि लिमिट भी रखें और टैक्स की दर भी रखें।

# प्रथम लोकसभा

## वीरवार, 6 नवम्बर, 1952*

---

## संविधान विधेयक (द्वितीय संशोधन)*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं यह मानता हूँ, जैसा सरदार हुक्म सिंह जी ने कहा कि हमें यह सोचना चाहिये कि क्या हम अपने विधान में तबदीली किये बगैर अपना काम चला सकते हैं या नहीं। अगर हमारा काम चल सकता है तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अभी इसको न बदलें। लेकिन, जैसा उन्होंने कहा बात वैसी नहीं है कि विधान में तबदीली किये बगैर हम अपना काम चला सकेंगे। इसके सबूत में मैं उन्हें कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। सभापति जी, आप भी और मैं भी और सरदार हुक्म सिंह जी भी और कई एक और दूसरे लोग पंजाब डिलिमिटेशन कमेटी (चुनाव क्षेत्र पुर्नगठन समिति/पुर्नसीमन) के मेम्बर थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि यह कोई तहसील के हुदूद को कायम रखने का सवाल नहीं है। जब आप पार्लियामेंट का हल्का बनाते हैं तो आपके सामने यह सवाल उठता है कि आपके सूबे में या आपकी स्टेट में कुल कितनी सीटें हैं और फिर पार्लियामेंट की कितनी सीटें हैं और स्टेट की कितनी सीटें हैं और पार्लियामेंट की एक सीट के अन्दर स्टेट की

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 6 नवम्बर, 1952, पुस्तक सं. 2, भाग 2, पृष्ठ 1958–1970*

कितनी सीटें आनी चाहियें। आम तौरपर पंजाब में स्टेट की सात सीटें पार्लियामेंट की एक सीट के अन्दर आती थीं। जहां स्टेट की सात सीटें होती थीं, वहां पार्लियामेंट की एक सीट होती थी। अब इससे आगे एक सवाल और है। जब स्टेट की सीटें मुकर्रर करते हैं तो उसमें भी कुछ आबादी का इख्तिलाफ (अन्तर) होता है और वह जरूरी है। वह इसलिये नहीं होता कि हमें किसी तहसील को पूरा रखना है। पंजाब में एक छोटी सी चीज होती है, जिसे जैल कहते हें। जब हम पंजाब में हल्काबन्दी कर रहे थे तो हम यह चाहते थे कि जैल को तोड़ा न जाय। दस या बारह गाँव मिलकर एक जैल बनता है। हमारी यह कोशिश थी कि हम किसी जैल को न तोडें। लेकिन, फिर भी हमें दो एक जैल तोड़ने पड़े थे। यह तो तहसील की बातें कहते हैं। मैं तो जैल की बात कहता हूँ। जब हमारे सामने यह मसला होता है कि हम जैल को न तोड़ें तो उसमें भी मुश्किलात आती हैं और वह भी तब जब कि जालन्धर की डबल सीट को सिंगिल किया गया था। जब एक हल्का बनाते हैं तो वह आबादी के हिसाब से बढ़ जाता है। अगर किसी स्टेट में हल्के बनाने हैं तो यह नहीं हो सकता कि जो मर्जी आवे वैसे हल्के बना दिये जायें। उसमें यह ख्याल रखना पड़ता है कि एरिया कांटीन्यूअस (साथ लगता हुआ) हो। नक्शे को देखने से आपको यह मालूम होगा कि उस वक्त जल्दी में कुछ गलती हो गई थी, जिसको बाद में इलेक्शन कमीशन को तबदील करना पड़ा था। यह तो जब की बातें हैं। आज तो हमारी आबादी और भी बढ़ी है। आपका यह ख्याल हो कि साढ़े सात लाख में अगर एक सीट बनती है तो हम पाँच सौ सीटों को डिलिमिट कर सकेंगे, तो यह ख्याल गलत है। पचास हजार की आबादी का आपको फर्क करना होगा और इसके बगैर आप हल्केबन्दी नहीं कर सकते हैं। कागजी तौरपर आप जो चाहें कर सकते हैं। मगर, अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि कागजी तौरपर हिसाब के नाते शायद हम यह मान लें कि हमें विधान में तबदीली नहीं करनी चाहिये। लेकिन जब अमली तौर पर आपको हल्काबन्दी करनी होगी तो आप इसको नामुमकिन पायेंगे। इसलिये विधान के अन्दर तबदीली होना जरूरी है।

अब सवाल यह है कि विधान की क्या तबदीली की जाय। मेरे एक कम्युनिस्ट भाई ने कहा कि यह डेमोक्रेटिक नहीं है। यह तो राय

के हक के ऊपर छापा मारना है। मैं उनसे पूछता हूँ कि वह बतायें कि एक हल्के में जैसा कि वह आज है और उसमें साढ़े सात लाख की आबादी है, तब तो राय का हक पूरा समझा जाता है और अगर आठ लाख हो जायेगा तो उनकी राय का हक छिन जायेगा। यह उनकी कौन सी दलील है कि इस तरह से उनकी राय का हक छिन जायेगा। यह उनकी कौन सी दलील है कि इस तरह से उनकी राय का हक छिन जाता है? जहां तक डेमाक्रेसी का ताल्लुक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या एक हल्का साढ़े सात लाख का रहेगा तो वह डेमाक्रेटिक रहेगा और अगर आठ लाख का हो जायेगा तो क्या अनडिमाक्रेटिक हो जायेगा। वह कहते हैं कि 500 क्यों सैंक्रोसेंक्ट हो। मैं पूछता हूँ कि साढ़े सात को आप क्यों सैक्रोसेंक्ट मानते हैं।

आप इसकी कोई वजह बतलाइये। अगर आपके लिये 500 सैक्रोसेंक्ट नहीं तो साढ़े सात किसी दूसरे के लिये कैसे सैक्रोसेंक्ट हो सकता है? दूसरे भाई ने जिक्र किया कि हल्का बहुत बड़ा हो जायेगा और उन्होंने इंग्लैण्ड की मिसाल दी। वह भूल जाते हैं कि इंग्लैण्ड में यूनीटरी फार्म की गवर्नमेंट है। वहां सिर्फ एक पार्लियामेंट है। हिन्दुस्तान में फैडेरेशन है, एक यूनियन है। स्टेट्स के अन्दर अलग–अलग अपनी असैम्बलियां हैं। शायद वह यह भूल जाते हैं कि इस पार्लियामेंट में आम आदमी की बात करने का तो उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। आप जमीन के बारे में अपनी जबान से कोई बात नहीं कह सकते हैं। आप जमीन के बारे में यहां कोई कानून नहीं बना सकते हैं। आप सेहत के मुताल्लिक न कोई कायदा कानून बना सकते हैं, न किसी में हेरफेर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिनका कि आम आदमी से वास्ता है। लेकिन, उनके लिये आप यहां कानून नहीं बना सकते। उन चीजों के लिये कानून बनाने का अधिकार इस हाउस को नहीं है। इमरजेंसी के हालात में शायद कोई ऐसा अधिकार इस हाउस को पहुंचता हो। लेकिन, जबकि तमाम देश में पार्लियामेंटरी सिस्टम काम करता हो, उस वक्त कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विलायत की काउंटीज का जो तरीका है, वह यहां की म्युनिसिपैलिटीज से मुख्तलिफ है। वह यह भूल जाते हैं कि आज यह कोशिश की जा रही है कि म्युनिसिपैलिटी तो बहुत बड़ी चीज है, एक छोटे गाँव में, जहां कि पाँच सौ से ज्यादा आबादी है, वहां पर एक पंचायत कायम

की जाये और बहुत जगहों पर पंचायतें कायम हो भी चुकी है। पंचायत का हक कोई छोटा हक नहीं है। पंचायत को यह भी हक है कि वह कोई नया कर भी लगा सकती है। यह मैं पूरे कानूनी ढंग से तो नहीं कह सकता कि उन्हें किसी कानून में हेरफेर करने का अधिकार है या कानून बनाने की इजाजत है। लेकिन, मैं यह कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकली उनको खासा अख्तियार है कि वह गाँव के जीवन में तबदीली कर सकते हैं। इसे एक तरह कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं। वह चाहे तो एक गली को चौड़ा कर सकती है और पंचायत का फैसला एक बने हुए मकान को गिरवा सकता है। यह कोई छोटी बातें नहीं हैं। अपने कांस्टीटृयूशनल ढ़ंग से आप भले ही कह दें कि उन्हें कोई लेजिस्लेटिव पावर रख दीजिये। जरा अन्दाजा तो लगाइये कि वह ताकत कितनी बड़ी है। जो भाई यह ख्याल करते हैं कि यह डेमोक्रेसी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साढ़े सात लाख पर या आठ लाख पर एक नुमायन्दा आता है और दूसरे हिन्दुस्तान में पार्लियामेंटरी सिस्टम का यही एक हाऊस नहीं है और भी बहुत सारे हाउसेज हैं, जैसे पंचायतें, म्युनिसिपल बोर्ड, डस्ट्रिक्ट बोर्ड और स्टेट्स। जैसा कि मैंने पहले कहा, यहां पर तो हमें सिर्फ रेल, फौज या डाकखाने के बारे में अख्तियार है। इन तीन के अलावा थोड़ा बहुत कानकरेंट अख्तियार है, जिससे आम आदमी को कोई बहुत बड़ा वास्ता नहीं है। हिन्दुस्तान ऐसा देश है कि जिसमें बहुत सारे ऐसे आदमी होंगे, जो अभी तक रेलगाड़ी में नहीं बैठे होंगे। बहुत से ऐसे होंगे, जिन्होंने आज तक कोई चिट्ठी नहीं लिखी होगी।

बाकी जो आप का अख्तियार है, उससे तो उसका कोई वास्ता ही नहीं है। फिर बात ही कैसी है। यह बात तो यह मानते हैं कि साढ़े सात लाख का नुमायन्दा अगर यहां पर पार्लियामेंट में रहेगा, तब तो डिमाक्रेसी रहेगी और इससे ज्यादा तादाद हो गई, दस लाख हो गई, या आठ लाख हो गई, तो वह अनडिमाक्रेटिक होगा। इस दलील में कुछ नहीं रखा है।

इसके अलावा कुछ भाईयों ने कई एक बातें और कहीं। मैं उनमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि यह लाज़मी भी नहीं है। लेकिन, उन्होंने श्री गाडगिल का जवाब देते हुए यह कहा कि यह तो हाउस प्लानिंग का नहीं। उन्होंने श्री गाडगिल की बात पर जो कहा तो यह

उनके दिमागी रूझान को दिखाता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यह दिमागी रूझान का सवाल नहीं है, बल्कि एक अमली सवाल है। जिस देश को वह ध्यान में रखते हैं, उस देश की आबादी इस देश से आधी है। उस देश का रकबा इस देश से चार गुना है। जिस वक्त जितनी हमारी आबादी है और जितना हमारा रकबा है, उसके मुताबिक वहां सैचुरेशन आवेगा, तब वहां जनसंख्या की क्या थ्योरी बनेगी, यह आगे का जमाना बतायेगा। यह कहना और आज इसके अन्दर फैमिली प्लानिंग का जो नाम लेते हैं तो वह एक पिछड़े ख्याल और घटिया ख्याल का दिमाग है। यह ठीक नहीं है। यह सवाल कुछ हद तक रूस के लिये और अमरीका के लिये ठीक हो सकता है। वहां बहुत ज्यादा जमीन है। अब इस बात पर मैं आपकी मुस्कराहट को देख कर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं जानता हूँ कि इसका इस बिल से कोई बहुत बड़ा वास्ता भी नहीं है। लेकिन, यह मैंने इसलिये कहा कि जो हम विधान में तबदीली करने जा रहे हैं, उसको ठीक–ठीक दिखाने के बजाय हमारे ऊपर दूसरे किस्म के इल्जाम लगाये जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वे ठीक तौर पर इसको समझें और यह मानें कि यह सवाल साफ है और एक छोटा सा सवाल है कि यह तबदीली हमको करनी ही पड़ेगी। उसके लिये कोई चारा नहीं है। या तो मैम्बरों की तादाद बढ़ावें या एक हल्के में वोटरों की तादाद बढ़ावें। इन दोनों में से कोई चीज करनी है। इसमें डिमाक्रेसी की बहुत बड़ी फेरबदल का सवाल नहीं आता है और न बहुत बड़ी कोई थ्योरीज का सवाल नहीं आता है। जिन हालात में हमारा देश है, उनको देखते हुए जो सच बात है वह कहे बगैर मैं नहीं रह सकता। मैं भी पहले हाउस का एक मैम्बर था। आम तौर पर उस हाउस में 300 के करीब मेम्बर थे। आज इस हाउस के और दूसरे हाउस के मिलकर 750 के करीब मैम्बर हैं, यानी आज का खर्चा पहले के मुकाबले दुगुने से भी ज्यादा है। यह हमारा गरीब देश है। यहां किसी नाम से, डिमाक्रेसी के नाम से, दुहाई देकर इस देश को लूटा नही जा सकता। इस देश में हमें सबसे पहले जो सोचना होगा, वह यह सोचना होगा कि किस ढ़ंग से हम इस देश का खर्चा कम कर सकें। क्योंकि, खर्चा हम बढ़ावेंगे तो टैक्स भी बढ़ाना होगा। जब टैक्स बढ़ाया जायेगा तो जो भाई आज डिमाक्रेसी की दुहाई देते हैं, वह कहेंगे कि यह बहुत बुरी बात है। मैं कह सकता हूँ

कि आप अपने सोचने का ढ़ंग एक रखिये और वह एक ढ़ंग यही हो सकता है कि जिससे देश की भलाई हो।

जैसा मैनें आपसे कहा और कई एक दोस्तों ने कहा, जिस वक्त इस हाउस में 300 मेम्बर होते थे, उस वक्त हर एक भाई को तकरीर में अपने हल्के की बातें दिखाने का मौका मिलता था। उसे मौका मिलता था अपने ख्यालात को जाहिर करने का। यहां जब 750 भाई हैं तो इससे बहुत मुश्किल हो गई है और पाँच साल के बाद जब वे जावेंगे और कोई भाई पूछेगा कि आपने पाँच साल में क्या कुछ कहा या क्या कुछ किया तो शायद पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा।

**सरदार हुक्म सिंह** : आपके तो पड़ गया।

**चौधरी रणबीर सिंह** : सरदार साहब ने मेरा जिक्र किया। मैं नहीं चाहता, लेकिन एक बात कहूंगा कि पहले वाले कागज और अबके कागज संभाले जायें और उन दोनों का मुकाबला किया जाय तो मेरे ख्याल से वह पहले के मुकाबले अब दसवां हिस्सा भी नहीं पावेंगे और पन्द्रहवां भी कहा जाय तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। पहले कोई दिन शायद नहीं जाता था, जिस दिन कि हाउस में सरदार साहब नहीं बोलते थे और अपने ख्यालात को जाहिर नहीं करते थे। मैं तो अपनी कई मजबूरियों की बिना पर नहीं बोल पाता था। हमारी पार्टी बहुत ज्यादा हो गई, उसमें हर एक आदमी को मौका देने का भी ख्याल होता है। उस वजह से शायद मेरा नम्बर न आये। लेकिन, सरदार साहब तो सिर्फ तीन आदमी अपनी पार्टी के हैं, जिन्हें हमारे देहात में तीन काने कहते हैं। यह तो तीन काने हैं। उन तीनों में से उनको जितना पहले मौका मिलता था, अपने ख्यालात को जाहिर करने का, अपनी पार्टी के ख्यालता को जाहिर करने का वह मिल जाय। इसके अलावा एक और बात भी है। यह जो दूसरी तरफ के भाई बैठे हैं, जो 35 के करीब हैं, वे भी हल्के की बड़ी–बड़ी बातें करते हैं।

**सरदार हुक्म सिंह** : पता नहीं इन्होंने तीन कैसे कर दिया। शायद सिर्फ तीन काने कहने का शौक था, इसलिये कर दिया। हम चार बैठे हुए हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह** : मुझे अफसोस है कि मेरी गिनती गलत थी।

**सरदार हुक्म सिंह** : वह तो बहुत बड़ी गलती हो गई।

**चौधरी रणबीर सिंह** : दूसरे भाई कहते हैं कि साहब हम अपने हल्के की बातें नहीं कह सकते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि आज वह इस हाउस में 32 या 35 नुमाइन्दे, मैं ठीक नहीं कह सकता कि कितने हैं, जो हैं, उनको हमारे स्पीकर साहब, जैसा कि पार्लियामेंटरी सिस्टम में होना चाहिये, उन्हें अपने ख्यालात को ज्यादा रखने देते हैं। इसलिये वह अपने हल्के की बात कह सकते हैं। अगर कभी हमारे जैसी हालत में आवें तो पता लगेगा कि वह हाउस में अपने हल्के की बात कह भी सकते हैं या नहीं।

जिस वक्त हमने संविधान बनाया था, उस वक्त हमारे ख्याल में भी नहीं था कि इस प्रकार की हालत पैदा हो जायेगी। वरना शायद हम सोचते और जैसे 300 मेम्बर पहले थे, वैसे ही रहना पसन्द करते। उस वक्त हमने सोचा कि 10 लाख पर ही नुमाइन्दा भेजने का ख्याल था। लेकिन, उस वक्त इस चीज का अन्दाजा नहीं लगाया गया।

सरदार साहब ने कहा कि मेरा जो हल्का है, वह तीन जिलों का है। मैं कहता हूँ कि वह भूल गये या उन्होंने और को छिपाया। वह अपने आपको अकेला क्यों मानते है। उस हल्के में से अव्वल तो दो मेम्बर हैं और दूसरी बात यह है कि पैप्सू के कुल पाँच मेम्बर आते हैं इसके माने हैं कि पैप्सू की असेम्बली से, जिसके अन्दर कुल 60 मेम्बर हैं, दो मेम्बर आते हैं। इस हिसाब से शायद एक मेम्बर के पीछे 28 मेम्बर बैठेंगे। शायद मेरी गिनती ठीक न हो, क्योंकि मैं देहाती आदमी हूँ।

**सरदार हुक्म सिंह** : गिनती मैं कर देता हूँ। 24 थे।

**चौधरी रणबीर सिंह** : खैर, सरदार साहब कहते हैं कि 24 मेम्बर थे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि उस हल्के का नुमायन्दा बन जाने की ठेकेदारी आपने क्यों मान ली। उस हल्के की ठेकेदारी तो 20 आदमियों

पर है। तो फिर उन्हं इस बात की फिक्र क्यों है, उनकी जेब से कोई चीज नहीं गई। अगर उनकी पार्टी जीत सकती थी तो और जिलों में भी उनकी जीत हो सकती थी। तो मैं तो इस वास्ते यह मानता हूँ... ....

**सरदार हुक्म सिंह** : सदर साहब फिर मुस्करा रहे हैं।

**Mr. Chairman :** The hon. Member has taken too long. I think he is repeating his arguments. The Bill must be put through before 5 o'clock.

**चौधरी रणबीर सिंह** : मैं तो यह मानता हूँ कि यह हल्के बड़े होने का ख्याल है, यह गलत ख्याल है, बल्कि सही बात तो यह है और मैं तो इस ख्याल का भी हूँ और जैसे हालात हैं और जैसी बातें हम देखते हैं और जैसे यह इलैक्शन हम लड़कर आये और साढ़े सात लाख आदमियों से वास्ता पड़ा, अब कोई तो आदमी कहता है कि मेरी जमीन ठीक ढ़ंग से इकट्ठा नहीं हुई, उसके बारे में न तो हमें, न हमारे वजीर को और न इस हाउस को अख्तियार है कि वह इस बारे में डिप्टी कमिश्नर से कोई सवाल कर सके।

**Mr. Chairman :** The hon. Minister has to reply and the Bill has to be put through.

**चौधरी रणबीर सिंह** : साहबे सदर, मैं उससे पहले ही खत्म करने वाला हूँ।

**Shri N.B. Chaudhry** (Ghatal) **:** On a point of order, Sir. I see under article 368 of the Constitution, in order to amend the Constitution, it is necessary to have a two-thirds majority of the Members present and voting and also a majority of the total Membership. So how can this be passed now? *(Interruption)*

**Mr. Chairman :** That time has not arrived. The Act can be passed by the majority as given in the Constitution. But this is not the time yet.

**चौधरी रणबीर सिंह** : साहबे सदर, यह बिल अभी पास नहीं हो रहा है, वह तो जब राय ली जायेगी, तब जरूरत होगी, इस वक्त इस पर राय लेने का कोई सवाल नहीं आया है।

**Shri Pataskar** (Jalgaon) **:** The hon. Minister has not moved for the Bill being passed.

**Mr. Chairman :** Yes.

**Sardar Hukam Singh :** I might remind Government that last time when we took up amendment of the Constitution, at every stage that majority was adhered to. I do not know whether that is going to be the case this time.

**The Minister of Agriculture (Dr. P.S. Deshmukh) :** There need not be that majority when every speech is delivered in the House.

**Shri Biswas :** Was that followed, that at every stage there must be that majority?

**Sardar Hukam Singh :** 'Stage' only means the consideration stage and second and third reading. I thought that was the ordinary conotation of the term 'stage' and not the stage of the speech of every Member.

**Shri Feroze Gandhi** (Pratapgarh Distt.-West *Cum* Rae Bareli Distt.-East) **:** There are still more than two-thirds.

**Shri S.S. More** (Sholapur) **:** You carry on.

**चौधरी रणबीर सिंहः** सभापति महोदय, जैसे आपने पहले कहा कि मैं कुछ चीजों को दोहरा रहा था, तो मेरा निवेदन है कि मैं कोई चीज दोहरा नहीं रहा था और इसके पहले मैंने कंसालिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का जिक्र नहीं किया था।

दूसरी चीज सिंचाई का सवाल है किसी की नहर की मोरी जिसे अंग्रेजी में आउटलेट कहते हैं, उसके कम होने का सवाल है या गलत होने का सवाल है और दूसरी कई बातें हैं जिनसे वास्ता पड़ता है। यहां मैं उनका नुमाइन्दा तो बनकर आया हूँ और मुझे लैजिसलेटिव ढ़ंग से कोई अख्तियार नहीं कि मैं उनकी कुछ बात कह सकूं, तो यह बातें कह रहा था, और वह इसलिये कि उस वक्त हमने यह ख्याल नहीं किया कि दरअसल यह जो तीन, चार विषय हमारे पास हैं, यानी सेन्टर के पास हैं, उनके ऐडमिनिस्टर करने के लिये कोई डायरेक्ट रिप्रेजेन्टेटिव हाउस की जरूरत नहीं थी, अगर इनउडायरेक्ट होता तो शायद लोगों के लिये भी और आसानी होती और खर्चा भी कम आता। उस वक्त अगर 250 या 300 मेम्बर होते तो शायद कोई गिला भी नहीं करता। मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ इतनी बात कह देना चाहता हूँ कि जैसा कुछ भाईयों ने कहा कि डेमोक्रेसी की राय के हक के ऊपर छापा मारा गया है, तो मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती और उसका इस वक्त कोई सवाल ही नहीं है। सवाल बिल्कुल सीधा है कि आया नम्बर बढ़ायें या वोटर्स की तादाद बढ़ायें। अगर नम्बर बढ़ाते हैं तो उससे देश के ऊपर कोई भार नहीं पड़ने जा रहा है और यह देश के हित में होगा। क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है और यह आवश्यक है कि इसके ऊपर और अधिक खर्च का भार न बढ़े। और बाकी की जो बातें कहीं गईं हैं, उनसे इसका कोई बहुत बड़ा वास्ता नहीं है और जैसा मैंने पहले भी कहा कि संविधान में तबदीली किये बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। बस मैं और अधिक न कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

# प्रथम लोकसभा

## शुक्रवार, 20 फरवरी, 1953

————————

## प्रशासनिक शरणार्थी सम्पति (संशोधन) विधेयक*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : कई भाई हैं, जिनको जोश है कि इवैक्वी पूल किसी तरह से घटने न पावे। कई भाईयों को जोश है कि कोई ऐसा कानून न बने जिससे किसी के ऊपर कोई पाबन्दी लगती हो। लेकिन, जिसको ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, उसको बीच का रास्ता अख्तियार करना होता है। जोश तो न सही, पर ख्याल हमें भी पूरा है कि इवक्वी पूल न बटे और इवैक्वी पूल आसानी से घटने नहीं दिया जाता है। लेकिन, जोश में आदमी को सोचने की बुद्धि कम हो जाती है और ठीक बात को वह ठीक नहीं कहता और कई दफा ठीक बात उसे गलत दिखाई देती है। अभी बाबू ठाकुर दास जी ने बताया, एक बहिन ने कुछ अमेंडमेंट दिया था उन्होंने बताया। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन बाबू ठाकुर दास जी ने बताया कि इस अमेंडमेंट की कुछ जरूरत नहीं हैं। किसी के लिये डरने की कोई गुंजयश नहीं है। यह बात कहीं तो बड़े खुले शब्दों में गई है कि इस देश में जो मजहब हैं, मुसलमान ईसाई वगैरा वगैरा उनके लिए हम कोई फर्क नहीं करना चाहते।

---

*****संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 20 फरवरी, 1953, पुस्तक सं. . .., भाग ..., पृष्ठ 675–679*

लेकिन उस जोश में जिस चीज को वह कहते हैं, उसको भूल जाते हैं। जोश के अन्दर कुदरती बात है कि वह दूसरी बात को भूल जाएं। आखिर इवैक्वी पूल का जोश है कि वह ज्यादा बढ़े। तो हो सकता है कि उस जोश में उसको गलत ढ़ंग से बढ़ाने की कोशिश करें और उसको वह समझें कि वह ठीक है।

श्री गिडवानी जी ने कहा कि उन्होंने इसको साबित करने की कोशिश की कि वह एक बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी तो थे, लेकिन अब तो हैं नहीं। उन्होंने बताया कि हमने यह प्रस्ताव पास किया था कि हमारी ज्युडिशियरी अलहदा हो, एग्जीक्यूटिव अलहदा हो और ज्युडिशियरी में एग्जीक्यूटिव कोई दखल नहीं करें। लेकिन, एक अजीब बात है कि उन्होंने किस तरह से एग्जीक्यूटिव का इंटरफीयरेंस करना बताया। वह समझते हैं कि अगर कानून के अन्दर कोई अमेंडमेंट और कोई तबदीली हो तो यह भी एक दखल है। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर इसी का नाम दखल है तो फिर इस पार्लियामेंट को बनाने की क्या जरूरत है।

**बाबू रामनारायण सिंह** : जरूरत तो कोई नहीं है।

**चौधरी रणबीर सिंह** : अगर यह बात है तो अच्छा होता आप यहां के लिये खड़े नहीं होते। आपके लिये तो रास्ता खुला था, आपके ऊपर कोई पाबन्दी तो थी नहीं कि आप पार्लियामेंट के मैंम्बर बनें। अगर आप चाहते है कि पार्लियामेंट नहीं रहे तो आपके लिये तो अच्छा था कि न आप खड़े होते और न आपको लोग चुनते। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि उनका अजीब ढ़ंग है। इंटरफीयरेंस के अजीब माने निकालते हैं कि कानून को तबदील करने का नाम भी इंटरफीयरेंस है। बात यह है कि देश के अन्दर कुछ ऐसे हालात थे कि जिनको हर एक भाई अच्छी तरह से जानता है। हमारे भाई कहते हैं कि कांग्रेस का एक प्रस्ताव था। जिस तरह से वह कहते हैं मैं भी उनसे कहता हूँ कि कांग्रेस का और भी प्रस्ताव था और यहां कांस्टीट्यूऐंट ही काम रह जायेगा और देश के अन्दर लैजिस्लेचर की तो कोई भी जरूरत नहीं रहेगी।

**बाबू रामनारायण सिंह** : और बहुत काम रहता है।

**चौधरी रणबीर सिंह** : गिडवानी जी को यह शिकायत है कि मंत्री महोदय को इवैक्वी पूल या इवैक्वी इंटरैस्ट का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझको इससे उल्टी शिकायत है कि मंत्री महोदय को पुनर्वास का मिनिस्टर होने के नाते एक जोश आ गया है। जिस तरह से कुछ भाईयों में इवैक्वी पूल का जोश है, उसी तरह से रीहैबिलिटेशन का जोश हमारे मिनिस्टर साहब में भी आ गया है। जैसे उन्हें गिला है कि कांग्रेस का प्रस्ताव है तो मैं भी कहता हूँ कि कांग्रेस का एक और भी प्रस्ताव है कि जमीन जो है वह जमीन के लिए एक कायदा बनाया। वह एक दूसरे किस्म के ख्यालात को देखते हुए बनाया कि जो आदमी उधर से आये हैं, उनको भी हमें बसाना है और जो आदमी यहां पर हैं, जो जमीन की काश्त करते हैं और जिनको कि हमारे प्रान्त के अन्दर जमीन के ऊपर हक हों, जैसे कि और जगह हैं जो कि जमीन को बोते हैं, तो उन दोनों के ख्यालात को देखते हुए और उनके हक को ध्यान में रखते हुए कायदा बनाया है। लेकिन, यह जो हमारी पुनर्वास का मन्त्रालय है, उन्होंने पंजाब के बिल को आज तक मंजूरी नहीं लेने दी है। इस वास्ते मैं कहता हूँ कि उनको मिनिस्टर साहब को भी एक तरह से रीहैबिलिटेशन का जोश हो गया है।

मैं मिनिस्टर साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जाती तौर पर जानता हूँ कि हमने अजमेर मेरवाड़े का मुजो का कानून बनाया था। उसमें वह भी सिलैक्ट कमेटी में मैम्बर थे और मैं भी था। मुझे याद है कि उस वक्त उन्हें कितना जोश था, मुजारों का और कितना ख्याल था, कि जमीन जो बोये उसके पास ही रहे। लेकिन, जो वह ख्याल है, वह रीहैबिलिटेशन के जोश में सब कि जहां पर जमीन के लिये इतनी कशमकश है। दूसरे सूबों के मुकाबले जो बिल आये थे, वहां भी मौरूसी मुजारे बनाने का एक कानून था। उसमें कुछ साल निर्धारित थे कि इतने साल तक जो कोई आदमी खेती करेगा, एक ही खास शर्त पर करेगा, तो उसको मौरूसी मुजारा, बना दिया जायेगा ताकि कोई आकुपैंसी टैनंट न बन सके। जमीन को एक मुजारा बोता था, उन्हीं शर्तों पर, लेकिन कागज में दूसरी शर्त पर दूसरे आदमी का नाम लिखा जाता था। 90 गाँवों को उन्होंने बसाया जो आज मुजारे हैं। उन्होंने

बंजर जमीन को आबाद किया और आज उन्हीं को मुजारे के कानून से जो थोड़ी बहुत सिक्यूरिटी देना चाहते हैं, वह सेफ्टी भी उनको नहीं मिल रही है। वह भी नहीं मिलने दी जाती, क्योंकि मंत्री महोदय का ख्याल है कि रिफ्यूजी का बसाना पहला काम है।

मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब में ही ऐसे भाई ज्यादा हैं, जो उजड़कर आये हैं। उनसे मुझे बहुत हमदर्दी है। लेकिन, मैं यह समझता हूँ कि अगर कोई बसने वाला इस तरह बसता हो कि जिससे दूसरे बसे हुए उजड़ें तो यह कोई अच्छी पोलिसी नहीं है। एक और बात है, लेकिन खैर, मैं उस सिलसिले में और खास तौरपर जो इवैक्युई लैंड है, वह तो इस तरह की थी, वहां उन मुजारों का फायदा होने वाला था, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां काश्त करती आई है। वह ऐसी शर्त पर काश्त किया करते थे कि कहीं एक रूपया बीघा की शर्त थी तो वह शर्त भी उड़ा दी गई और उनसे साझा, बटाई, ली जाती है। लेकिन, पंजाब में उस कानून से उनको मौका नहीं मिला।

इसी सिलसिले में दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय बड़े समाजवादी विचार के थे। लेकिन बसाने के जोश में उनके तमाम कायदे और कानून कुछ उलटते से दिखाई देते हैं। अब यहां एक नयी क्लाज है, जिसके तहत अगर कोई आदमी फर्ज कीजिये कि किराएदार रिफ्यूजी हो या मुजारा रिफ्यूजी है, मालिक हिन्दू है, इधर का रहने वाला तो नये कानून में जो मालिक है, उसको कुछ ज्यादा रक्षा मिलने जा रही है, पहले से ज्यादा। पहले जो उसमें कुछ अख्तियार था, अब वह आपके कस्टोडियन को कोई अख्तियार नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप उसमें कुछ तबदीली कर सकें तो करें, जिससे किरायेदारों और मुजारों के लिए कुछ फायदा हो।

मैं इतनी ही आप से अर्ज करता हूँ कि, जिनको आप बसाना चाहते हैं, बसाइये और मेहनत से बसाइये। लेकिन, इस तरह से न बसायें कि बसे हुओं को उजाड़ दें।

# प्रथम लोकसभा

## वीरवार, 26 मार्च, 1953

————————

## पेप्सू के लिए अनुदान माँगें*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : सभापति महोदय, सरदार हुक्म सिंह जी ने यह गिला किया है कि केन्द्रीय हुकूमत पंजाबी के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिये वैसा नहीं कर रही है। मैं भी उनसे कहना चाहता हूँ कि वह अपने गरेबां में मुँह डाल कर देंखें कि उनकी पार्टी की सरकार ने क्या किया है? हिन्दी आज हिन्दुस्तान की मातृभाषा है और जितनी भाषायें हैं, वे रीजनल भाषाएं हैं। पैप्सू को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पैप्सू के अन्दर एक बहुत बड़ी तादाद है जो हिन्दी बोलती है और हिन्दी समझती है। लेकिन, आप पैप्सू में चले जाइये। वहां दफ्तरों के नाम आपको हिन्दी में या अंग्रेजी में लिखे नहीं मिलेंगे, सिर्फ गुरूमुखी में लिखे मिलेंगे। क्या मातृभाषा के साथ इस तरह का सलूक करना चाहिये? फिर वह गिला करते हैं। इसी बात से जाहिर हो जाता है कि यह गिला कहां तक जायज है।

मुझे एक और अर्ज करनी है। वैसे ज्यादा बहस तो बजट के वक्त होगी, लेकिन चन्द चीजें मैं इस वक्त कहना चाहता हूँ। वहां जो खराबियां थीं, उनकी वजह से संविधान सस्पेंड किया गया है। और

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 26 मार्च, 1953, पुस्तक सं. ..., भाग ..., पृष्ठ 3003–3007*

आज संसद के हाथ में पैप्सू का राज्य आया है। हमारी बहुत सालों से यह बदकिस्मती थी कि जो पेप्सू का हिन्दी स्पीकिंग एरिया है, उसके साथ एक कालोनी जैसा बरताव करता है, उसी तरह हिन्दी स्पीकिंग एरिया के साथ किया जाता था। यह बात जरूर है कि इस एरिया में से जिन लोगों को पसन्द किया गया, उनको अपनी मिनिस्ट्री को मजबूत करने के लिये ले लिया गया था। लोगों को यह गिला था कि पहले 13 मेम्बर बदले उनमें से नौ मेम्बरों को पद दिये गए। इसके इलावा हिन्दी स्पीकिंग एरिया वालों के साथ ठीक बरताव नहीं किया गया। अब चूंकि अधिकार पार्लियामेन्ट के हाथ में आये हैं, मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

मैं आपके द्वारा एक और अर्ज करना चाहता हूँ। इलैक्शन ट्राइबुनल का जो फैसला हुआ, उसके अन्दर भी एक बात दर्ज है कि पता नहीं किस वजह पर दरख्वास्तें रद्द की गयीं। मैं अर्ज करूंगा कि पैप्सू के लिये रियायत करना कोई नयी चीज नहीं है। वहां के प्रशासन को अगर बेहद दरजे का करप्ट कहा जाय तो गलत नहीं होगा। रिश्तेदारों का तांता फंसा हुआ है। मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाये एक–एक आदमी के आठ–आठ जिलों में रिश्तेदार मिल जायेंगे। जो पैप्सू का राज्य है वह रिश्तेदारी का सौदा है। अब इसको रिश्तेदारी का मामला न रहने दिया जाये।

मैं ज्यादा उस तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन, सरदार हुक्म सिंह जी ने जो कहा उनका जवाब देने के नाते मैं एक मिनट लेना चाहता हूँ। उनको ख्याल है कि जो सप्लीमेंटरी ग्रांट है, वह इलेक्शन ट्राइबुनल की बिना पर नहीं पास की गयीं, यह गलत है। वह वहां पर हाजिर नहीं थे।

**सरदार हुक्म सिंह** : महोदय, क्या यह रेलेवैन्ट है?

**चौधरी रणरी सिंह** : जिस दिन असैम्बली में सेशन को एकदम से ऐडजर्न किया गया, उसकी वजह दूसरी थी। किस्सा यह था कि एक क्लाज के डिसकशन में एक मेम्बर ने एक दूसरे मेम्बर के खिलाफ

ऐतराज किया और कुंवर दीप सिंह के बारे में यह डर हुआ कि यह बदल जायेगा और पांच मिनट के अन्दर हाउस उठकर चला गया। इस वजह से वहां डिमांड पास नहीं हुई। इलेक्शन ट्राइबुनल की वजह से नहीं। ट्राइबुनल के सामने तो कांग्रेस के भी केस थे और यूनाइटेड फ्रंट के भी थे। मैं उस तरफ और ज्यादा नहीं जाना चाहता।
*(श्रीमान डिप्टी स्पीकर कुर्सी पर विराजमान हुए।)*

दूसरे, मेरे साथी सरदार बहादुर सिंह ने एक बात कही। वह भूल गये कि तजुर्बा भी दुनियां में एक बड़ी अच्छी चीज होती है। जिसके लिये वह प्लीड करना चाहते थे, उसके खिलाफ कह गये। इसका इनडाइरेक्ट इनफरेंस यह है कि वहां खराबी थी। मैं किसी अफसर के खिलाफ या हक में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन, मै एक बात आपके जरिये अर्ज करना चाहता हूँ कि वहां पर जो यह तरफदारी और करप्शन है, यह बहुत बढ़ा हुआ है। इसका ख्याल रखा जाय।

# प्रथम लोकसभा

## शनिवार, 18 अप्रैल, 1953

————————

## वित्त विधेयक*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : मेरे दोस्त सोमानी जी ने अभी एक प्वाइंट उठाया कि रीएडजस्टमेंट के बजाय फाइन और सुपरफाइन कपड़े पर कुछ टैक्स फालतू लगाया जा रहा है। मेरी अर्ज है कि वैसे तो यह रीएडजस्टमेंट ही है, लेकिन अगर वह इसको वैसा समझते हैं तो उनको यह भी समझना चाहिये कि देश के अन्दर जिस वक्त यह उद्योग लगे थे, उस वक्त कंज्यूमर्स को काफी से ज्यादा कुर्बानी करनी पड़ी और उस वक्त टैक्स तक लगाये गये। अब जैसा कि अहिंसात्मक ढ़ंग से हम हिन्दुस्तान के अन्दर समाजवादी निजाम कायम करना चाहते हैं तो इस तरह के ढ़ंग और तरीके अखित्यार करने होंगे और इन बातों के बारे में गिला करने से काम नहीं चलेगा।

हमको यह समझ कर चलना होगा कि जो थोड़े बहुत प्रिविलेज्ड हैं, जो तरक्की पा गये और आगे चले गये, उनको छोड़कर जो पिछड़े हुए हैं, जैसे काटेज इंडस्ट्री है, उनको आगे बढ़ाना है। उनको आगे बढ़ाने के लिये हमें टैक्स देना होगा, जिस तरह दूसरी इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिये कन्ज्यूमर्स ने टैक्स दिया था। पंजाब के अन्दर भाखड़ा डैम से बिजली पैदा होगी और बिजली से हम काटेज इन्डस्ट्रीज की तरक्की कर सकेंगे। लेकिन, वह तभी जब कि

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 18 अप्रैल, 1953, पुस्तक सं. 3, भाग 2, पृष्ठ 4565–4566*

बड़ी मिलों पर कर बढ़वा दिया जायेगा। यह तभी बढ़ाया जा सकता है, जबकि सुपर'फाइन और फाइन कपड़े पर हम कोई फालतू टैक्स लगायें और उस रूपये से हम काटेज इन्डस्ट्री की मदद करें। टैक्स इसलिये लगायें कि वह काटेज इन्डस्ट्री का मुकाबला न कर सकें। यह करना जरूरी है।

# प्रथम लोकसभा

## शुक्रवार, 24 अप्रैल, 1953

————————

## अनाथालय बिल*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं श्री द्विवेदी जी के विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे देश ने यह फैसला किया है...

**श्री के.के. बसु** (डायमन्ड हॉरबर) : सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर को नहीं बोलना चाहिए।

**चौधरी रणबीर सिंह** : यह प्राइवेट मैम्बर का बिल है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा।

**Mr. Chairman :** Hon. Member may go on.

**चौधरी रणबीर सिंह** : मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमने अपने देश के अन्दर वैलफेयर स्टेट बनाने का फैसला किया है और जिस देश में वैलफेयर स्टेट बनने जा रही हो, उसका सबसे पहला फर्ज अपने बच्चों

---

*****संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 24 अप्रैल, 1953, पुस्तक सं. 3, भाग 2, पृष्ठ 5039–5042*

की देखभाल करना है, खास तौर से उन बच्चों की जिनके माँ–बाप न हों, जिनका सरकार के सिवा कोई देखभाल करने वाला न हो।

इसके अलावा और भी कठिनाईयां हैं। आज देश के अन्दर कुछ ऐसे यतीमखाने हैं जो इन नौजवानों को भिखारी बनना सिखाते हैं। बजाय इसके कि उनको देश का अच्छा नवयुवक बनाया जाय ताकि वह देश की तरक्की में हाथ बंटा सकें। उनको भिखारी बनने पर मजबूर किया जाता है। जो लोग धनी हैं और जो भिखारी को देखकर दान करना अपना फर्ज समझते हैं ऐसे आदमियों के पैसे का नाजायज इस्तेमाल कराया जाता है। इसलिए, मैं समझता हूँ कि ऐसे बिल की बहुत आवश्यकता है। हमारे विधान पर ऐसा बिल होना चाहिये यह भी ठीक है। लेकिन, इसके साथ–साथ यह भी बात सही है कि हमारा देश सौ डेढ़ सौ साल से गुलाम रहा है और वह देश जो कारीगरी में और दूसरी–दूसरी चीजों में सबसे आगे था, जब दूसरे देश हमारे कपड़े को इस्तेमाल करते थे और दूसरी चीजों का भी, उस देश में गुलामी के वक्त में इतनी गिरावट आयी कि सुई जैसी छोटी चीज भी दूसरे देशों से आनी शुरू हुई। जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह देश एक गरीब देश बन गया। इन पाँच–'छः साल के अन्दर–अन्दर इस देश से यह तवक्को भी नहीं की जा सकती है कि बावजूद इस बात के कि हमारा यह फैसला है कि हम इस देश के अन्दर एक वैलफेयर स्टेट कायम करें, वह इतनी जल्दी कायम हो जाय। उसके लिये वक्त चाहिये। ऐसी हालत में जबकि देश के अन्दर धन बहुत कम हों और देश अपनी नींवों के लगाने में लगा हुआ हो, जैसे कि भाखड़ा डैम है और दूसरे बड़े–बड़े बांध बन रहे हैं, इनके लिये ही रूपया मुश्किल से मिलता हो तो इस तरीके पर बच्चों के लिए रूपया तलाश करना, हालांकि बड़ा जरूरी है और करना चाहिये, लेकिन, इसके साथ–साथ इन दूसरी चीजों के लिये भी बहुत जरूरी है। इनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे देश के अन्दर बिजली होगी, जैसे कि अब मल्टी परपजेज स्कीम्स के अन्दर है, तो देश के अन्दर

तरक्की हो सकेगी और अब वह बच्चे बालिग होंगे तो उनके लिये रोजगार भी मिल सकेगा।

इन हालात में, जैसे मेरे भाई दास साहब ने सिलैक्ट कमेटी के लिये रैफरैंस का मोशन किया है, मैं समझता हूँ कि वह जरूरी है और मेरा ख्याल है कि द्विवेदी जी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर सिलैक्ट कमेटी में उनके बिल में कुछ थोड़ी सी इस किस्म की तबदीली की जाये कि इन सब यतीम खानों को सरकारी तो न बनाया जाय, बल्कि यह रूप दिया जाय जिससे सरकार की देखरेख ठीक तरह से हो सके। हर किसी आदमी के लिये यतीमखाने के लिये छूट न रहे कि वह बच्चों को भिखारी बनने पर मजबूर करे। जो धन इकट्ठा होता है, उसका ठीक इस्तेमाल हो। इसकी देखरेख के लिए इस किस्म की एक संस्था बने। देश के अन्दर जो स्टेट्स है और सैंटर है, उनमें एक ऐसा महकमा बने जो इनकी देखभाल करे और यतीमखानों को ठीक तरीके पर चला सके। आइडियल तो यह ठीक है कि स्टेट्स की तरफ से ही वह हो।

# प्रथम लोकसभा

## बुधवार, 16 सितम्बर, 1953

---

## अनाथालय बिल*

**चौधरी रणबीर सिंह** : मेरे से पूर्व वक्ता ने जो बातें कहीं हैं, उनका जवाब तो मैं समझता हूँ कि काटजू साहब ही अच्छी तरह दे सकते हैं। इसलिये उनकी बातें की बहस में मैं नहीं जाना चाहता। कुछ बातें मुझे कहनी हैं जो मैं समझता हूँ कि किसी भाई ने नहीं कही हैं। अन्दाजा है कि छः महीने के अन्दर पैप्सू राज्य के अन्दर इलैक्शन होने जा रहे हैं। इस हाउस का हर एक सैक्शन कम से कम कहता तो यह जरूर है, चाहे हो या न हो, कि फ्री एण्ड फेयर इलैक्शन्स हो। मैं होम मिनिस्टर साहब से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ और उन्हें कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मैं पैप्सू का रहने वाला नहीं हूँ। लेकिन, पंजाब का रहने वाला हूँ और पंजाब और पैप्सू एक मिली जुली चीज है। पैप्सू हमारा पंजाब का एक जजीरा है। इसलिये जो कुछ हालात हमारे यहां हैं, उनकी कुछ खराबियां और अच्छाईयां जो हैं, उनका पैप्सू के हालात पर भी असर होता है। जो मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि फ्री एण्ड फेयर इलैक्शन्स के लिये दो तीन चीजों की बड़ी जरूरत हैं। एक जरूरत तो यह है कि आपका जितना सरकारी तंत्र है, वह भेदभाव न करे। आज पैप्सू के अन्दर अगर आप नौकरशाही का

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 16 सितम्बर, 1953, पुस्तक सं. 8, भाग 2, पृष्ठ 3881–3889*

एक इतिहास खोलें तो आपको पता चलेगा कि कोई किसी का साला है, कोई किसी का मामा है। एक रिश्तेदारों की सरकार है और रिश्ते से ही सब की नौकरी मिली है। ऐसी हालत में उनसे क्या तवक्को इन्सानियत के नाते भेदभाव रहित व्यवहार की कोई कर सकता है। इसका अन्दाजा हाउस लगा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पैप्सू के अन्दर इन छह महीने के अन्दर इलैक्शन हो और फ्री एण्ड फेयर इलैक्शन हो, तो आपको चाहिये कि इस नौकरशाही को ठीक करें। मेरे भाई ने गिला किया कि वहां तो दूसरे सूबों से लोग आयात होकर आते हैं। मैं कहता हूँ कि दूसरे सूबों से न कहिये, अपने पड़ौसी से जिसके कि वह जजीरा है, वहां से ही लोग मंगावें। वहां के भाई भी पंजाब में रहे हैं। उनके जमाने में बहुत सारे भाई रिक्रूट हुये थे। इसलिये उस सूबे के ऊपर तो यह इलजाम नहीं लगाया जा सकता है कि वहां की जो आफीशियल मशीनरी है, वह ठीक नहीं है।

**सरदार हुक्म सिंह** : वह हमारे राज्य में कौन से रिक्रूट हुये थे?

**चौधरी रणबीर सिंह** : नैशनल डिमाक्रेटिक फ्रंट के जमाने में। जिसकी वजारत तोड़ी गयी थी उसका नाम नैशलन डिमाक्रैटिक फ्रंट था और जो उसूल और जो बात वह कहते हैं, वह कहां तक मुनासिब है, यह मुझे मालूम नहीं। लेकिन, उनका जो भी मैनीफैस्टो था और जो जमींदारा लीग का मैनीफैस्टो था, उससे वह बहुत मिलता जुलता था। पंजाब के अन्दर तीस साल तक जमींदारा लीग का शासन रहा और बहुत सारे अफसर उस लीग के राज्य के जमाने में भर्ती हुये थे। मैं उस बात की तरफ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि पंजाब का यहां पर डिसकशन नहीं है। लेकिन, मेरे लायक दोस्त, सरदार हुक्म सिंह ने वे बातें मुझसे कहलवाईं तो कहना पड़ा है। खैर, यह बात जो है, वह उठाने वाली बात नहीं है।

यहां एक भाई ने कहा कि कुछ दो अफसरों को वहां से हटा दिया गया, क्योंकि उनके मुंह पर दाढ़ी थी। मुझे आज भी पैप्सू के तीन बड़े–बड़े अफसर दिखाई देते हैं, गैलरी के अन्दर बैठे हुये, जिनके मुंह पर दाढ़ी है। अगर यह दाढ़ी ही सारे पैप्सू के अफसरों में न होती तो वहां का आई.जी. दिखाई नहीं देता। यह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।

इसलिये, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं जानता हूँ कि वहां जो कुछ हुआ है, वह नैपाटिज्म, करप्शन और रिश्तेदारी की वजह से हुआ है। उसको साफ करने के लिये यह हुआ है।

मुझे एक बात का डर है और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे सूबे को कुछ घाटा भी होगा। लेकिन, कुछ विश्वास है और कुछ हक है, इसलिये कहता हूँ। हम पंजाब वाले समझते हैं कि हमने क्या कुछ किया है। जो कुछ खराबी हमारे अन्दर आवेगी उसको भी हम नेक और साफ करेंगे। जिस चीज की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, वह यह है कि हमेशा के लिये जिस तरह से पैप्सू पंजाब का एक जजीरा रहा है, उसी तरह वहां उनकी नौकरशाही को भी पंजाब की नौकशाही का एक जजीरा बना दीजिये। पंजाब और पैप्सू की नौकरशाही को मिला दीजिये। मैं यह समझता हूँ कि उसमें पैप्सू की नौकरशाही में जो खराबियां हैं, वे पंजाब की नौकरशाही में पैनीट्रेट करेंगे। लेकिन, मुझे विश्वास है कि बड़ी हद तक हम उनको ठीक कर सकेंगे। उसके मुकाबले में पैप्सू के अन्दर जो रिश्तेदारीशाही है और जो खराबियां हैं, वे कम से कम दूर हो जावेंगी। जहां इलैक्शन के लिये तो वह बहुत जरूरी है ही, लेकिन, इलैक्शन के अलावा भी अगर पैप्सू को पंजाब का एक जजीरा रहना ही है तो कम से कम पैप्सू की नौकरशाही भी पंजाब की नौकरशाही का जजीरा रहे।

इसके अलावा एक बात और है। मैं देहात का रहने वाला हूँ। मुझे इलैक्शन का तजुर्बा है। मैंने भी इलैक्शन लड़ा है और पड़ौस में देखा भी है। यहां तो बड़ी डींगें हांकते हैं, सरदार हुक्म सिंह साहब और बड़ी उम्मीदें रखते हैं। लेकिन, सभापतिजी, आपके मार्फत मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि उस प्रदेश में अगर फेयर और फ्री इलैक्शन हो तो जितने कि इनके साथी हैं, उनमें से मुश्किल से कोई पांच या सात भाई आ सकते हैं। वहां हालत क्या है? वहां इलैक्शन जो होता है तो क्या हालत होती है, यह मैं जानता हूँ। भाई अजीत सिंह ने शिकायत की है। लेकिन, ऐसी ही बात शायद मैं कहता। हमारे जो हरिजन भाई हैं और जो गरीब भाई हैं, उनकी राय भरने का जब वक्त आता है तो उस रात को उनको कहा जाता है कि तुमको अगर इस गाँव में रहना है, अपने आपको जिन्दा रखना है तो उसी तरह से राय दो जिस तरह कि हम चाहते हैं। अगर तुम किसी खास आजादी

से राय देना चाहते हो तो अपना रास्ता पकड़ो। उनसे कहा जाता है कि यह हमारी बिस्वेदारी है। यह हमारी जमींदारी है। यहां के हम मालिक हैं। यहां की जात के हम मालिक हैं। यहां के कुएं के हम मालिक हैं। यहां की जमीन के हम मालिक हैं। यहां की शामिलात के हम मालिक हैं। यहां के रास्ते के हम मालिक हैं। इसलिये अगर चाहते हो कि जिन्दा रहो, अपनी जिन्दगी को बरकरार रखना चाहते हो, तो जिस तरह हम कहते हैं, उस तरह राय दो। अगर यह नहीं चाहते तो जाओ, किसी को भी राय दो, यहां तुम फिर नहीं रह सकते। वहां यह हालत है। उन्हें बताया जाता है। भाई कहते हैं कि यह अकाली टिकट वाले आज रात को आये हैं। कल चले जावेंगे। यह वजीर साहब भी आवेंगे, चले जावेंगे। लेकिन, हमारा और तुम्हारा रिश्ता ऐसा है कि आने जाने वाला नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि शान्ति से रहो तो हमारे कहने से राय दो। हमने अपने विधान के अन्दर यह रखा था कि कोई आदमी इस देश के अन्दर इस तरह जबरदस्ती के ढ़ंग से राय न दे।

**श्री अजित सिंह** : आप इकानामिकली उनकी तरक्की करिये।

**चौधरी रणबीर सिंह** : मैं उसी की बात अभी कहता हूँ। हमारे सूबे पंजाब में ऐसी चीजें कही गयी थीं। उसी चीज का इलाज करने के लिये पंजाब ने एक कायदा बनाया, जिसकी मंजूरी हमारे माननीय वजीर साहब ने अभी तक नहीं दी है। वह कायदा हमने यह बनाया है कि न शामिलात की जमीन में किसी का है, न कुएं में किसी का हक है, न जात में किसी का हक है, न रास्ते में किसी का हक है। इसमें सबका हक है। कोई नहीं कह सकता कि इस रास्ते से तुम नहीं जाने पाओगे। अगर हमारे कहने के मुताबिक राय नहीं दोगे। इस तरह उन्होंने एक कायदा बनाया कि शामिलात के अन्दर, कुएं के अन्दर, जोत और रास्ते के अन्दर सबका साझा है। किसी एक खास आदमी का कोई हक नहीं है। वह कायदा बनाया है और अगर मेरी सलाह मशविरा मान कर होम मिनिस्टर साहब मंजूरी दे देंगे तो हालात ऐसे पैदा हो जावेंगे कि जिनमें लोग आजादी से राय दे सकें। फिर लोग किसी के दबाव में आकर, डर में आकर राय नहीं देंगे। उनको डर नहीं

रहेगा कि उनको घर से निकाला जायेगा। अगर घर से निकालने के डर से उन्होंने राय डाली तो आप यकीन रखिये कि आपके यहां भी फिर वही कायदा बनेगा जोकि पंजाब में बना है। आपके पैप्सू में भी फिर वही कायदा बन जायेगा।

मैं यहां एक जुमला वजीर साहब से भी कहना चाहता हूँ। उनसे अपील करता हूँ कि पंजाब के कायदे को मंजूरी देने से इन पैप्सू वालों को भी हिम्मत पड़ेगी। वे भी यह उम्मीद रखेंगे कि हमने अगर इलैक्शन में ठीक राय दी, हमने डर की परवाह नहीं की, सही लोगों को राय दी, तो हमारे हालात भी कुछ बदलेंगे। इसलिये मैं कहता हूँ कि पंजाब के उस कायदे को आप मंजूरी दे दें। उससे तसदीक हो जायेगी कि सही राय देंगे तो पंजाब का कायदा पैप्सू में भी बन जायेगा।

सभापति महोदय, मै जानता हूँ कि समझौते अगर टूटेंगे, तो वह सरदार हुक्म सिंह की तरफ से टुटेंगे। चिनारिया साहब ने ठीक ही कहा है कि कांग्रेस में अगर किसी पर बेजा दबाव डालने की बात होती तो वह नवाब साहब जिनको सात लाख रूपया भारत सरकार को देना हो, वह कांग्रेस के खिलाफ वोट दें। यह भला कभी हो सकता था। लेकिन, हम कांग्रेस वालों पर तो न्याय का भूत सा सवार रहता है ही तो अगर उस नवाब को गवर्नमेंट आफ इंडिया कर्जा वसूल करने के लिये चिट्ठी भेजती, तो फिर भला मजाल थी कि वह कांग्रेस के खिलाफ अपनी राय देते। लेकिन, वह चिट्ठी यहां से नहीं लिखी जाती है कि कल को सरदार हुक्म सिंह यह कहना न शुरू कर दें कि इस तरह से नाजायज दबाव वोट हासिल करने के लिये नवाब साहब पर डाला गया है। हम तो चाहते थे कि डाक्टर काटजू साहब इस न्याय के भूत को उतार देते ताकि वह हिम्मत और साहस से काम कर सकते और यह जो केस बनाया गया था कि जिले टूटने चाहियें, वह काम अभी तक वह नहीं कर पाये। यह काम हिम्मत का है और हमारा फर्ज है कि इसके लिये हम अपने डाक्टर साहब को ताकत दें। मेरे से पूर्व वक्ता ने भी कहा कि रियासतों के स्तर को उठा कर अपने बराबर लाना चाहते हैं और इसीलिये यह अच्छा मौका है कि हम कोई ऐसा कारनामा कर जायें, जिससे हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। और क्यों न हम हिम्मत करके पैप्सू को पंजाब में मिला दें।

सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि आपका जिला हिसार पांच हजार पांच सौ वर्ग मील का जिला है और पैप्सू हिसार जिले का केवल डबल ऐरिया ही तो है। वहां पेप्सू में हिसार जैसे दो जिले के बराबर इलाके में आठ जिले बना रखे हैं और फिर कहते हैं कि साहब लोगों को जिलों के तोड़ने से असुविधा होगी। असुविधा का कहां तक ख्याल किया जाय। लोगों की असुविधा तो तब हटेगी जब उनके गाँवों में आप अदालतें बनायें और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर भी उनके गांव में बना दिये जायें। तब तो उनको सुविधा हो सकती है। या फिर जैसा आपने पंजाब के अन्दर पंचायत राज्य का जो कायदा बनाया है, वैसा ही पैप्सू में चालू कर दें। क्योंकि, आखिरकार पंजाब और पैप्सू के आम लोगों के दरमियान क्या फर्क है? आप इस तरकीब को अमल में लायें और यहां पर पंचायत के कानून कायदे को लागू कीजिये। गांव में डिप्टी कमिश्नर और अदालत की क्या जरूरत है? वहां तो बेचारे सीधे–सादे और मामूली देहाती ही रहते हैं और बिलफर्ज अगर वहां कोई आदमी कत्ल करता है तो उसको पटियाला जाने दीजिये, उसके लिये उसको दिल्ली या इलाहाबाद भी जाना पड़े तो वहां उसको भेजिये। ऐसे आदमियों के लिये हमें कोई बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं हो सकती।

कर्ज के बारे में मुझे कहना है कि इसमें लिखा हुआ है कि 91 ट्रैक्टर्स ऐसे लोगों को कर्ज दिये गये जिन लोगों ने नई जमीन को तोड़ा ताकि इस देश में अनाज की कमी दूर हो। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन, अगर यह ट्रैक्टर्स का कर्ज ऐसे लोगों को दिया गया, जिनकी जमीन पहले से चालू थी तो मुझे उसमें जरूर ऐतराज है। क्योंकि, उससे तो आप देश के अन्दर बेरोजगारी पैदा करेंगे और उन ट्रैक्टरों से हजारों मुजारों को बेदखल किया जायेगा। इसलिये, मैं डाक्टर काटजू साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह यह देखें कि सरकार का पैसा ऐसे लोगों को न दिया जाये जो सरकार की बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ायें। इसलिये, यह जरूरी है कि ट्रैक्टर्स आदि उसी को दिये जायें जो उनका इस्तेमाल बंजर जमीन को तोड़कर उपजाऊ बनाने में करे। अगर सरकार ऐसे शख्स को सहायता देती है, जिसकी जमीन पहले से चलती है तो उससे...।

# प्रथम लोकसभा

## बुधवार, 22 दिसम्बर, 1954

————————

## पंचवर्षीय योजना : प्रगति रिपोर्ट, 1953–54*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : मैं पहले योजना आयोग को और श्री गुलजारी लाल नन्दा जी को बधाई देता हूँ कि अब तक उन्होंने इस तरह से प्लैंनिंग को प्लैन किया। जो काम हुआ है, उसके लिये वह बधाई के पूरे मुस्तहक हैं। साथ–साथ मैं देश के किसानों को भी बधाई देता हूँ।

इस योजना के अन्दर अन्दाजन 840 करोड़ रूपया किसानों की पैदावार को बढ़ाने के लिये रखा गया था। नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान की आजादी के पहले पाँच सालों में अन्दाजन 800 करोड़ रूपये का अनाज बाहर से आया। इसी प्रकार से अन्दाजन 240 करोड़ रूपये का पटसन बाहर से आया और 150 करोड़ रूपये की कपास बाहर से मंगानी पड़ी। जिसका अन्दाजा कोई 1200 करोड़ रूपया बैठता है। योजना पर करीब 840 करोड़ रूपया खर्च करने का नतीजा यह होगा कि आने वाले पांच सालों के अन्दर देश को 1200 करोड़ रूपये का सामान बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। इसलिये, जो योजना का काम है, उसके लिये मैं प्लैंनिंग कमीशन और किसानों को फिर बधाई देता हूँ।

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 22 दिसम्बर, 1954, पुस्तक सं. 9, भाग 2, पृष्ठ 3766–3771*

लेकिन, इसके साथ–साथ मैं कुछ अर्ज भी करना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान के अन्दर पिछले 13 सालों के अन्दर उपभोक्ता को बचाने के लिये कंट्रोल लगाया गया और हिन्दुस्तान की सरकार ने अन्दाजन 300 करोड़ रूपया हर साल खर्च किया ताकि कंज्यूमर के मुफीद (हित) सुरक्षित रहें और कंज्यूमर (उपभोक्ता) की खर्च करने की ताकत के मुताबिक उसको इतना सस्ता अनाज मिल सके कि उसकी जरूरत पूरी की जा सके। लेकिन, आज हिन्दुस्तान में कृषि जगत के अन्दर एक अजीब हालत है। आप यू.पी. या बिहार जाइये, वहां कहीं गन्ने की कीमत गिरने के खिलाफ, कहीं गेहूं की कीमत के गिरने के खिलाफ आवाज है तो कहीं मकई की कीमत के गिरने के खिलाफ आवाज है। कहीं रबर की कीमत के गिरने के खिलाफ आवाज है।

सभापति महोदय, एक जमाना था जिस जमाने के अन्दर एक नारा था, बड़ा असर रखने वाला नारा था : ''लैंड टु दि टिलर'' (जो काश्त करें, जमीन उसकी)। लेकिन, आज हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस की कृपा से वह नारा तकरीबन कार्यरूप में परिणत हो चुका है। आज जमीन तकरीबन काश्तकार के पास है। लेकिन, आज एक और सवाल पैदा हो गया है। पहले जिस वक्त भाव बढ़ाने की बात कही जाती थी तो लोग कहा करते थे कि यह बड़े–बड़े जमींदारों का सवाल है। आज यह 60 और 70 फीसदी लोगों का सवाल है। अगर उनकी पैदावार की कीमत जितना कि उनका खर्चा है उसके मुताबिक नहीं दी जाती है तो आप यकीन रखिये कि आने वाले जमाने में कोई भी ताकत चाहे वह कितना ही मजबूत क्यों न हो, कोई भी गर्वनमेंट, चाहे वह कितनी ही मजबूत क्यों न हो, किसानों की इस आवाज को दबा नहीं सकेगी और इसका नतीजा यह होगा कि यह योजना की कामयाबी हमें दिखाई देती है, वह नाकामयाबी में तबदील हो जाएगी।

अगर किसानों के पास परचेंजिंग पावर (खरीद शक्ति) नहीं होगी तो आपकी जो इंडस्ट्री है, चाहे वह प्राइवेट सैक्टर में है और चाहे वह पब्लिक सैक्टर में है वह धरी की धरी रह जाएगी। कई दोस्त हैं जो यह समझते हैं कि यह बहुत मुश्किल सवाल है। हमारी कुछ दिन हुए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के एक बड़े अफसर के साथ बात हुई और उन्होंने भी कहा कि यह एक बड़ा कठिन सवाल हैं। मैं समझता हूँ कि यह उस मिनिस्ट्री के लिऐ जिसने किदवई साहब के होते हुए इतनी

बड़ी खाद्य समस्या को हल किया, यह कोई मुश्किल चीज नहीं है। वे समझते हैं कि इसमें कोई खतरा है। लेकिन, इसमें कोई खतरा नहीं है।

मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने पीछे देखा है कि किदवई साहिब के सचिवालय ने ऐलान करवाया था, पंजाब सरकार और यू.पी. सरकार से कि गेहूं के भाव अगर 10 रूपये फी मन से गिरे तो यह दोनों सरकारें गेहूं को खरीदने के लिए बाजार में आ जाएंगी। इस ऐलान का असर यह हुआ कि गेहूं के भाव 10 रूपये से नीचे गिरने से रूक गए। इसी तरह का एक ऐलान सरकार की तरफ से आज भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि वह मकई, बाजरा इत्यादि के भाव एक खास कीमत से नीचे नहीं गिरने देगी और यदि ये भाव गिरे तो सरकार खुद बाजार में आएगी और ये चीजें खरीदेगी। मेरा ख्याल है कि इससे कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। गो, यह मैं मानता हूँ कि जो कीमतें रखी गई हैं, वह किसानों के साथ एक मजाक है।

**Mr. Chairman :** Is it economic price?

**चौधरी रणबीर सिंह** : ....इकोनॉमिक प्राइस नहीं है। लेकिन, बहरहाल सरकार ने एक कदम उठाया है और उस कदम के उठाने के लिए मैं श्री जैन और श्री देशमुख को बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता। मैं समझता हूँ कि आगे भी अगर सरकार की दूसरी मशीनरी उनके रास्ते में रोड़ा न बनी और योजना आयोग ने कोई रोड़ा न अटकाया तो शायद जो एक तरफ उनका कदम बढ़ा है किसानों की भलाई के लिए इसे और आगे बढ़ाया जाएगा।

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : किसानों की उन्नति में कोई रोड़ा नहीं अटका सकता।

**चौधरी रणबीर सिंह** : हां, मेरा तो विश्वास है कि डिफैंस मिनिस्ट्री भी उनके रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकती। क्योंकि फौज में जो आदमी काम करते हैं, वे उन्हीं के बाल बच्चे हैं, जिनके हाथ में हमेशा हल ही

होता है। अगर उनके दिल को आपने आज दुखाया तो यकीन रखिए कि आपकी डिफैंस मिनिस्ट्री जो हैं, वह एक कागजी मिनिस्ट्री रह जाएगी।

मैं अर्ज कर रहा था कि किसानों ने इस देश की तरक्की के लिए एक बहुत आसान रास्ता बना दिया है। देश के अन्दर अनाज की, कपास की और दूसरी चीजों की पैदावर बढ़ाकर देश को और प्लैनिंग कमीशन को एक ताकत दी कि अगर उनके दिल में कुछ हिम्मत है, गुर्दा है तो इस देश को वे आगे बढ़ा सकते हैं। इस बात को कहते हुए मेरा इशारा डैफिसिट फाइनैंसिंग की तरफ है। आज शांति से और बगैर किसी किस्म की गड़बड़ी के ज्यादा से ज्यादा डैफिसिट फाइनैंसिंग के जरिये देश की जितनी आप तरक्की करना चाहें, कर सकते हैं।

इसके इलावा अब मैं कुछ अपने इलाके के बारे में भी कहना चाहता हूँ। दिल्ली के पास से एक नदी गुजरती है, जिसका नाम यमुना है और जिसमें काफी पानी आता है और कई दफा तो लोगों को यह खतरा पैदा हो जाता है कि कहीं दिल्ली डूब न जाए। देश में बड़े–बड़े बांध बनाए जाते रहे हैं और कई सौ करोड़ रूपये इन पर खर्च किए जा रहे हैं। यमुना नदी पर बांध बनाने के लिए सिर्फ 15 करोड़ रूपये की जरूरत है। आज मैंने यू.पी. असैम्बली की कार्रवाई अखबार में पढ़ी है। बड़े ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा सूबा होते हुए बजाय इस बात के कि यह कोशिश करता कि यमुना के ऊपर बांध बनाने के लिए कुछ रूपया देता या प्लैनिंग कमीशन से पंजाब सरकार की तरह रूपये की मांग करता ताकि यमुना का पानी किसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल में आ सके, आज वह कहता है कि इस पानी का बंटवारा ठीक तौर पर कर दिया जाए और यू.पी. को ज्यादा पानी दिया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बांध के हो जाने से यमुना की वादी मैं जो भी किसान बसते हैं, उनका बहुत फायदा हो सकता है और इसमें यू.पी. के किसान भी आ जाते हैं। चिराग तले अंधेरे वाली मिसाल पर न चलते हुए मेरा निवेदन है कि यमुना पर बांध बनाने के वास्ते जोकि दिल्ली के कैपिटल के पास से गुजरती है पंजाब सरकार की 15 करोड़ रूपये की मांग को पूरा कर देना चाहिए। यह डर है कि पंजाब सरकार को भाखड़ा वगैरह के लिए काफी रूपया कर्ज के रूप में दिया

जा चुका है। इसी डर से 15 करोड़ रूपये दूसरे पांच साला प्लैन में दिये जायें जिसकी पंजाब सरकार ने मांग की है। लेकिन, मैं अर्ज करूंगा कि यमुना पर बांध बनाना बहुत जरूरी है और यह रूपया पंजाब सरकार की इसी पांच साला प्लैन में दे दिया जाना चाहिए।

अब मैं थोड़ा सा लोकल वर्क्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। आज हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान के अफसर देश की तरक्की उतनी तेजी से नहीं कर सके हैं, जितनी तेजी से प्लैनिंग कमीशन या सरकार चाहती थी। मेरे ख्याल से इसकी वजह यह है कि उनके सोचने और काम करने का तरीका ही अजीब है। अब हमने 4 करोड़ पिछले साल के लिये और 6 करोड़ रूपया इस साल लोकल वर्क्स पर खर्च करने के लिए रखा है जोकि उन लोगों को दिया जाएगा जो अपनी मर्जी से काम करना चाहेंगे बशर्ते कि वे इस खर्च का आधा हिस्सा खुद बर्दास्त करें। इस काम में भी अफसरों को फंसा दिया गया है, जिनके पास आगे ही 2000 करोड़ रूपये से कहीं ज्यादा रूपया खर्च करने को है। लोकल वर्क्स के कामों के लिए रूपया खर्च करने के लिए इन अफसरों से मंजूरी लेना जरूरी रखा गया है। मैं समझता हूँ कि इस बात की रोकथाम तो होनी चाहिए कि इस रूपये का नाजायज इस्तेमाल न हो। लेकिन, जो अफसर अपना फर्ज पूरी तरह अदा नहीं कर सकते, उनसे इस रूपये को खर्च करने के लिए मंजूरी लेने की शर्त लगाना ठीक न होगा। मेरी अर्ज है कि पांच साला प्लैन की प्रोग्रेस के प्रचार से जिन लोगों के दिलों में जोश पैदा हो गया है और वे काम करना चाहते हैं, उनकी उन्नति में कोई रोड़ा न अटकाया जाए और जितना रूपया वे खर्च करना चाहें उसका आधा यानी 50 फीसदी उनको जल्दी से जल्दी दिया जा सके, इन स्कीमों के लिये अफसरों की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होना चाहिए।

# प्रथम लोकसभा

## वीरवार, 3 मार्च, 1955*

————————

## रेलवे बजट, 1955*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : सभानेत्री जी, जो भी समय मुझे मिला है, उसको मैं रेलवे मंत्री जी या रेलवे मंत्रालय का गुणगान करने में नहीं खत्म करना चाहता, क्योंकि इस देश की हर एक गाड़ी और हर एक स्टेशन उनके अच्छे गुणों की जीती जागती तस्वीर है।

मुझे शास्त्री जी से कुछ अर्ज करना है। मैं उनका मश्कूर हूँ कि उन्होंने हमारे इलाके की उठी हुई लाइन को खाली तकरीर से किस तरह तसल्ली हो सकती है? मैं जानता हूँ कि हमारे शास्त्री जी ने दो साल पहले यहां एक बयान दिया था कि इस रेलवे लाइन को दोबारा डालने के लिये 22 लाख रूपये का खर्च किया जा रहा है। शास्त्री जी ने और इस सदन ने उसको मंजूर किया। वह मंजूर हो गई। इसके इलावा उसकी 1950 का जो सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रान्सपोर्ट के अन्दर प्रोग्राम बना, उसमें उसको दोबारा बिछाने का हुक्म दिया गया। फिर भला मंत्री महोदय के खाली जिक्र कर देने से किस तरह लोगों के दिल को शान्ति मिल सकती है?

मुझे एक और अर्ज करनी है। मुझे पता नहीं कि किस तरह

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 3 मार्च, 1955, पुस्तक सं. 1, भाग 2, पृष्ठ 1036–1039*

से दोबारा उठाई गई रेलवे लाइनों को डालने का प्रोग्राम बना है और उसके अन्दर क्या कारण और क्या बातें रखी गई हैं। लेकिन, मेरे सामने सन् 1940–41 की रेलवे बोर्ड की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अन्दर लिखा हुआ है कि लड़ाई के अन्दर जो रेलवे लाइनें बनी हैं, उनमें से सबसे पहले वह उठाई जायें जो सबसे ज्यादा घाटे वाली हों और इस तरह से जब सारी घाटे वाली लाइनें उठ जायें तो उनके बाद वह उठाई जायें, जिससे कम से कम मुनाफा होता है। अगर मैं इस बात को अपने ध्यान में रखूं तो सभानेत्री जी, मैं मंत्री महोदय से यह बताना चाहूंगा कि जब सन् 1940–41 में 8 लाइनें उठाईं गईं थीं तो उनमें हमारी रोहतक, गोहाना, पानीपत की लाइन नहीं थी। उसके बाद सन् 1941–42 में जा करके हमारी लाइन उठाई गई थी। इससे जाहिर होता है कि हमारी लाइन के अन्दर आमदनी थी। वह पहली 9 और 10 लाइनों की आमदनी ज्यादा थी।

लेकिन, जब उनको डालने का सवाल आता है तो हमारी लाइन सबसे बाद में आती है और जो 9 लाइनें पहले उठाई गई थीं, उनमें से कई एक पहले बिछा दी गईं। मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या कारण है। इसमें क्या बात छिपी हुई है। मैंने यहां लाइब्रेरी से रिपोर्ट हासिल करके इसको जानने की कोशिश की है। लेकिन, मुझे बताया गया कि सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रान्सपोर्ट की जो रिपोर्टस हैं, वह नहीं आई हैं। खैर, मैं ज्यादा इस बारे में जाना नहीं चाहता। एक और बात मैं मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूँ। इस सभा ने कभी मंजूरी नहीं दी कि चंडीगढ़ की लाइन को बिछा दिया जाय। मुझे मालूम नहीं कि किस तरह से रेलवे बोर्ड की मंजूरी को ठुकरा दिया जाय और जिस चीज की किसी खास हालत की वजह से कोई खास मंत्रीमण्डल रिक्वेस्ट कर उसको मान ले।

**श्री एल. बी. शास्त्री** : यह अपनी सरकार से पूछिये।

**चौधरी रणबीर सिंह** : उसके बारे में ही मैं आपसे अर्ज करूंगा। बहुत से दोस्त हैं, जो मुझसे गिला करते हैं और कहते हैं कि चंडीगढ़

वह इलाका है, जिस इलाके से हमारे पंजाब मंत्रीमण्डल के ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मेम्बर चुनकर आये हैं और इसी वजह से इसको पहले लिया गया। मुझे मालूम नहीं कि इसमें सदाकत है या नहीं। वैसे शायद मैं इतनी कड़वी बातें न कहता.....

**श्री एल.बी. शास्त्री** : पंजाब के ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि सारी गवर्नमेंट की तरफ से यह बात कही गई थी।

**चौधरी रणबीर सिंह** : वह भी मैं अर्ज करूं कि क्यों मैं आज इतनी कड़वी कड़वी बातें अर्ज करने के लिए उठा। अब तक मैंने यह बात बर्दास्त की। लेकिन, अब एक और बयान छपा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कि वह चंडीगढ़ को इस मील की लाइन बनाकर एक दूसरी लाइन से मिलाना चाहते हैं। मुझे डर है कि इससे जो हमको थोड़ा सा आपने बयान में आश्वासन दिया है, कहीं वह भी खत्म न हो जाय। मैं माननीय मंत्री जी से बतलाना चाहता हूँ कि हमारे यहां यह आम चर्चा है कि मुख्यमंत्री उस इलाके से खड़े होना चाहते हैं। मुझे इसका बहुत विश्वास नहीं कि हमारे मंत्रीमण्डल का कोई असर होगा। लेकिन, बहरहाल जैसा लोग मेरे इलाके में कहते हैं, वह बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता था।

इसके अलावा कुछ और बातें भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे इलाके के बहुत से लोगों का ख्याल है कि वह पंजाब से कटे और अगर दिल्ली का बड़ा सूबा बने तो उसके साथ रहें। और उसके अन्दर एक कारण यह है कि उनको गिला है कि इस इलाके के लोगों के साथ सौतेली मां जैसा सलूक होता रहा है और यह जो आज रेलों की बात है, इससे यह साबित हो जाता है कि हमारे यहां जो रेलवे लाइन बननी थी और जिसको पार्लियामैंट ने मंजूर किया पंजाब की कैबिनेट या पंजाब का असैम्बली चाहे वह कितनी ही जबरदस्त या कितनी ही एकमत वाली क्यों न हो उसको कैसे बदल सकती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे खयाल में तो उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

सभानेत्री जी, एक और बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ और वह है काश्तकारों के बारे में। जब वह अपनी फसल काट लेता है और बाजार में लाना चाहता है तो रेल का मंत्रालय वहां के लदान बन्द कर देता है। इसका नतीजा यह होता है कि गुड़ वगैरह जिसके भाव पहले काफी गिर गए हैं, उसको इसकी कीमत में रूपया या आठ आने फी मन और भी कम मिलते हैं। इस वास्ते मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इसकी जांच करने के लिए कि क्या ऐसा आपके अफसर व्यापारियों से मिलकर तो नहीं करते, एक कमेटी बिठा दी जाए जो यह देखे कि क्या रेल के कर्मचारियों की वजह से गरीब किसान को आठ आने या एक रूपया कम तो नहीं मिलता। इस बात की पूरी तरह से जांच की जानी जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा इन्तजाम किया जाय कि जिस वक्त किसानों का माल मंडी में आए तो लदान न मिलने की वजह से भाव न गिरने पायें।

# प्रथम लोकसभा

## वीरवार, 24 मार्च, 1955

————————

## 1955–56 के लिए अनुदान माँगें*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं कोई कड़वी बात कहने से पहले खाद्य और कृषि मंत्रालय को स्व. रफी अहमद किदवई साहब को, अजीत प्रसाद जैन जी को, डा. देशमुख जी को और कृष्णप्पा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसकी वजूहात हैं। वे वजूहात बिल्कुल साफ हैं। हमारे देश में जितने मंत्रालय हैं, उनमें से यही ऐसा मंत्रालय है, जिसने देश में पैदावार बढ़ाकर भेजा जाता था, उसको बन्द किया है। सन् 47 से अब तक के एवरेज हैं, उनसे मालूम होता है कि अन्दाजन हर साल 150 करोड़ रूपया तो बाहर से केवल अनाज मंगाने के लिये देना पड़ता था। कोई 30 करोड़ रूपये का औसत कपास का था और पचास या साठ करोड़ रूपये का पटसन आती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि इस मंत्रालय की कोशिशों से तकरीबन 230 करोड़ रूपया देश के बाहर जाता था, यह जाना बन्द हो गया।

इसके बाद मैं थोड़ी सी बातें उनकीं सेवा में अर्ज करना चाहता हूँ। अभी मुझसे पहले मेरी बहिन बोली हैं। आज हिन्दुस्तान के अन्दर जबकि डेमोक्रेसी है और हर एक को राय देने का अधिकार है। हर

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 24 मार्च, 1955, पुस्तक सं. 2, भाग 2, पृष्ठ 3215–3222*

एक मर्द को और हर एक औरत को राय देने का, तो जो 80 प्रतिशत इस देश के आदमी हें, उनको क्यों डमी समझा जा रहा है? क्यों उनकी राय का, उनके ख्यालात का और उनके आर्थिक मुफाद का पूरा ख्याल नहीं रखा जा रहा है? सभापति महोदय, 14 साल से लगातार इस देश के अन्दर 300 करोड़ रूपया सालाना देश का इसलिये लगाया जा रहा था कि इस देश के 20 फीसदी आदमियों को सस्ता अनाज खरीदने दिया जाय। 14 साल तक हिन्दुस्तान के किसान की गर्दन को दबोचा गया है और उसको अपनी पैदावार का जो भाव मिल सकता था, वह नहीं मिलने दिया गया। आज हमें यह सबक दिया जाता है कि यह सरकार के लिये अक्लमन्दी नहीं होगी कि वह गल्ला खरीदे। उस वक्त भी सरकार ने खरीदा था, जो काश्तकार के हित के लिये नहीं बल्कि कंज्युमर्स के हित के लिये खरीदा था, उसको आज किसान के हित के लिये खरीदना चाहिये। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त वह खरीदती थी कंज्युमर्स के फायदे के लिये और आज वह खरीदेगी किसान के फायदे के लिये। अगर आज हमारे देश के नेता आवें और यह कहें कि आज खरीदना अक्लमन्दी नहीं है तो यह मेरी समझ में नहीं आता।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि इतने अर्से में अन्दाजन 180 करोड़ रूपया बाहर से अनाज की सबसिडी के नाते दिया गया। अजित प्रसाद जी ने हमें बताया है कि 40 करोड़ रूपया रखा है कि ताकि भाव ठीक रखे जायें। मैं दावा करता हूँ कि आज जो हिन्दुस्तान की सरकार 340 करोड़ रूपये के नोट छापकर अपने प्रोजेक्टस का काम चालू कर सकी है, यह किसानों की मेहरबानी से ही मुमकीन हुआ है। अगर इस देश के अन्दर अनाज की पैदावार न बढ़ती तो यह न हो पाता।

मुझे वह जमाना याद है कि जब हमारे भाखड़ा डैम के काम को इसलिये रोक दिया गया था कि हिन्दुस्तान के अर्थ विज्ञान के जानने वालों की राय थी कि अगर रूपया बढ़ाया गया तो देश के अन्दर तबाही आ जायेगी। मेरी समझ में नहीं आता था कि भाखड़ा डैम के बनने से तबाही आवेगी या देश के अन्दर तरक्की होगी। मेरे देहाती भाई थे और जो मेरे इलाके के भाई थे, उनकी समझ में यह बात नहीं आई। आज जबकि हमारी कोशिशों से देश इस लायक बना कि हर

साल 340 करोड़ रूपये के नोट छापकर अपना काम चला सकें, तो उसमें हमारे हिस्से में और हमारे आर्थिक मफाद के लिये केवल 40 करोड़ रूपया ही पांच साल के अन्दर क्यों रखा गया है? क्यों नहीं वह 300 करोड़ रूपया जोकि पहले कंज्यूमर्स के मफाद के लिये खर्च किया जाता था? हमारे लिये खर्च नहीं किया जाता, यह मेरी समझ में नहीं आता।

आज अगर गल्ले का भाव सस्ता हो गया है तो वह क्यों घाटा उठाने से डरती है। क्या सरकार को उस वक्त डरने की जरूरत थी?

इसके बाद कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह हमारे अपने आंकड़े नहीं हैं, यह किसान के आंकड़े नहीं हैं जोकि हमारे खेतों में बीतती है। यह हिन्दुस्तान की सरकार के दिये हुए आंकड़े हैं। आज क्या हालत है देश के अन्दर? आप उत्तर प्रदेश को लीजिये। वहां पर सन् 49 से सन् 52 तक चावल का भाव 35 रूपये 8 आने 11 पाई रहा और दिसम्बर सन् 54 में वह भाव 11 रूपये 8 आने हो गया। इसके माने यह हुए कि आज पहले से तिहाई भाव रह गया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में गेहूँ को लीजिये। वहां पर सन् 1946 से सन् 52 तक गेहूँ का भाव 16 रूपये मन था। यह भाव सरकारी कंट्रोल का था। मैं ब्लैक मार्केट की बात नहीं कहता। वह भाव 16 रूपये से घटकर दिसम्बर 54 में 10 रूपये मन रह गया। अन्दाजा लगाईये कि इतना फर्क है। मंहगाई के वक्त आपके सरकारी नौकर भी महंगाई भत्ता मांगते थे, लेकिन इस देश के किसान हैं, जिनके लिये कोई सोचता ही नहीं है। उसकी आमदनी में कितना फर्क पड़ गया है, जरा गौर कीजिये। कहां एक और कहां तीन। मुझे याद है कि गुड़ 21 रूपये मन बिकता था और आज 7 रूपये मन बिकता है। आप देखें कि तिगुना फर्क है। कहां 7 रूपये और कहां 21। इसी तरह से मुझे वह जमाना याद है जिस वक्त रोहतक के अन्दर चने पर सरकार का कंट्रोल था। उस वक्त रोहतक की मंडी में चना 7 और 9 रूपये मन मिलता था, जबकि देहली शहर के अन्दर, जहां कि हिन्दुस्तान की सरकार रहती है, वही चना 18 और 21 रूपये मन बिकता था। दोनों जगहों का फासला सिर्फ चालीस मील होगा और भावों में इतना फर्क था। उसके बाद मुझे वह जमाना भी याद है जबकि चने पर से कंट्रोल हटा दिया गया और दोस्तों ने यह महसूस किया और कहा कि

हन्दुस्तान के किसानों से यहां के घोड़ों की ज्यादा कीमत है। बम्बई और मद्रास के घोड़ों को बचाने के लिये हिन्दुस्तान की सरकार न कंट्रोल का जो कानून था, वह उठा लिया। लेकिन, रोहतक के किसानों का जो जायज हिस्सा था, उसको दिलाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया।

**Mr. Chairman :** Not for Madras horeses but for Delhi horeses.

**चौधरी रणबीर सिंह** : सभापति महोदय, आप आज की बात लीजिये। कई भाई हैं, जिनका यह ख्याल है, जैसा कि अभी बहिन तारकेश्वरी जी ने कहा है कि इस वक्त गल्ला खरीदना सरकार के लिये अक्लमंदी नहीं होगी। मैं पूछता हूँ कि आज जबकि यह कह रहे हैं कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसाइटी बनाने जा रहे हैं तो उसके अन्दर लेसेफेयर (खुले बाजार) के लिये जगह कहां है? आज की क्या हालत है? आज की हालत यह है कि सितम्बर, सन् 54 के अन्दर मनीपुर के अन्दर 15 रूपये 8 आने मन के हिसाब से चावल बिका और तीन महीने बाद दिसम्बर, सन् 54 के अन्दर इस रिपोर्ट के मुताबिक 6 रूपये 8 आने मन वह चावल बिका। यहीं नहीं दिसम्बर सन् 54 के दो जगहों के भाव मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस हद तक फर्क है। वेस्ट बंगाल के अन्दर 17 रूपये 8 आने मन दिसम्बर सन् 54 का गेहूं का भाव लिखा हुआ है और विन्ध्य प्रदेश के अन्दर 8 रूपये मन गेहूं का भाव इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इसकी क्या हद हो सकती है। एक जमाना वह भी था जिस वक्त किसानों को कोई बहका सकता था। लेकिन, आज उस जमाने में कोई हमको इस तरह से बहकावे और इस तरह से हिन्दुस्तान के किसानों को गलत रास्ते पर ले जाना चाहे, चाहे वह कितने ही आंकड़ों का मालिक हो, और कितने ही आंकड़े तैयार करवा ले, देश उसके पीछे नहीं जा सकता है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मुझे एक बात और अर्ज करनी है। हमारे जिले की और आपके जिले की उन गऊओं और भैंसों के बारे में, उस हरियाणा नस्ल के बारे में, जो देश की एक बहुत अच्छी नस्ल है। मुझे वह दिन याद है, जिस दिन हमारे देश के कृषि मंत्री डा. पंजाब राव देशमुख कलकत्ते में गये, मैं उनके साथ था और हम दोनों

एक जिबाखाने में गये, यानी एक स्लाटर हाउस में गये....

**रक्षा संघटन मन्त्री (श्री त्यागी)** : और वहां से जिन्दा चले आए।

**चौधरी रणबीर सिंह :** जिस वक्त हम वहां गये तो हमने वहां गायों को खड़े देखा। मुझे वह वक्त याद आ गया जबकि मैं डा. पंजाब राव देशमुख के साथ उनके सूबे में गया था और मैंने डाक्टर साहब से मजाक में कहा था कि अगर यही स्टैण्डर्ड है इन गायों के मारने का तो आपके प्रदेश की तो एक गाय भी नहीं बच सकती, क्योंकि जो मारी जाने वाली गायें हैं, वह सबकी सब आपके प्रदेश की गायों से अच्छी हैं। क्योंकि मंत्री महोदय के वहां की जोड़ी 9 मन से फालतू भार नहीं ले जा सकती है। सभापति जी, यह एक बड़ा पेचीदा सवाल है। मैं अपने आपको उन साथियों के साथ मिलाना चाहता जो इस बात में यकीन करते हैं कि किसी सूरत में भी गाय का वध नहीं होना चाहिये। लेकिन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे विधान में रखी गई है कि इस देश के अन्दर अच्छे पशुओं की नस्ल को बचाया जा सके। कृषि मंत्रालय से कई मंत्र और तजवीजें निकलीं कि रोहतक और हिसार से परमिट से कलकत्ता जानवर जायेंगे और परमिट से बम्बई जायेंगे। बड़े ताज्जुब की बात थी क्योंकि हमारा तो पेशा है डंगर को पालना। हमारा जिला हर साल दो करोड़ रूपये साल के डंगर बाहर भेजता है। अब कोई हमसे कहे कि आपके डंगर बाहर जाना बन्द हैं तो दो करोड़ रूपये साल का हमको टोटा पड़ता हैं तो इस किस्म के मंत्र कैसे भला कर सकते हैं।

लेकिन, आज असली क्या बात है? कलकत्ते, बम्बई और मद्रास के अन्दर जब तक कि पन्द्रह और बीस सेर तक गाय दूध देती हैं, उस वक्त तक तो ठीक है और आर्थिक समस्या है। लेकिन, जिस वक्त वह खुश्क हो जायेंगी, कोई भी शख्स चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, किसी भी मजहब का मानने वाला क्यों न हो, कलकत्ते के अन्दर उस ड्राई डंगर को नहीं रख सकता। आज वह मारवाड़ी वर्ग, जिसके रूपये से गऊ रक्षा का प्रचार हो रहा है, गौ वध के विरूद्ध आन्दोलन चलाया जा रहा है, वह भी उस तरह की गऊ को अपने पास नहीं रखता है। यह एक कटु सत्य है। सीधी सी बात है कि ऐसे खुश्क

डंगरों को बचाने की एक ही तरकीब है कि उन डंगरों के वास्ते हमारी सरकार कुछ सब्सिडी दे और रोहतक और हिसार की तरफ उनका मुंह कर दे। हिसार पहुंचने वाले डंगरों को हम अपनी छाती से लगायेंगे और उनको पालेंगे और पोसेंगे। यही एक तरकीब है।

**Mr. Chairman :** Government have given Railway concession for bringing back dry cattle.

**चौधरी रणबीर सिंह** : सभापति जी, जो रियायत दी गई है, वह मुझे मालूम है। कोई 40 रूपये फी डंगर पड़ता है, जोकि बिल्कुल नाकाफी है। हम एक भैंस 800 रूपये में जाकर बाजार में बेचते हैं। अगर उसके ऊपर 40 रूपया रियायत दी गई तो कौन बड़ी बात हुई? इस ओर आपको सोचना होगा। इस देश के अन्दर बहुत थोड़े डंगर ऐसे हैं, जो 15 सेर और 20 सेर तक दूध देते हैं। यहां तो बकरी जितना दूध देने वाली गायें हैं.....

**डा. पी.एस. देशमुख** : उससे भी कम दूध देने वाली हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह** : अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा दूध देने वाली गाय और भैंसों को बचाया जाय तो उनको रोहतक और हिसार की तरफ पहुंचाइये और उनको सब्सिडी काफी दीजिये।

आखिर में मैं सभापति महोदय अब कोई कड़वी बात नहीं कहूंगा। मैं डा. पंजाब राव देशमुख और अजित प्रसाद जी को मुबारकबाद देता हूँ कि वह अपना काम ठीक तरह से अंजाम दे रहे हैं। खास तौरपर डा. साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्योंकि वे हर महीने कृषि के वजीरों को चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिये। यह जो हमारे कृषि और खाद्य मंत्रालय की वजह से 225 करोड़ रूपये हर साल का हमारे देश को फायदा हुआ है, उसके लिये इनको और किसानों को बधाई देता हूँ।

# प्रथम लोकसभा

## शनिवार, 30 अप्रैल, 1955*

---

## भारतीय रिजर्व बैंक बिल*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : सभापति महोदय, इस बिल का तमाम देश के अन्दर स्वागत किया जायेगा।

**एक माननीय सदस्य** : किया जा रहा है।

**चौधरी रणबीर सिंह** : किया जा रहा है और किया जायेगा भी। क्योंकि, आज हमारे देश में 70 फीसदी आदमी ऐसे हैं, जिनको रूपये का लेनदेन पाँच फीसदी नहीं, छः फीसदी नहीं, बल्कि, पच्चीस और तीस फीसदी तक सूद के हिसाब से करना पड़ता है। मेरे कम्यूनिस्ट दोस्तों ने केस बनाने की कोशिश की है कि हिस्सेदारों को फेस वैल्यु का रूपया क्यों न दिया जाये। अगर हम एक मिनट के लिए मान लें कि उनको इसी हिसाब से रूपया दिया जाता तो हमें 16 करोड़ रूपये के बजाय 5 या 7 करोड़ रूपए देने पड़ते। मेरे कहने का मतलब यह है कि अन्दाजन कोई 13–14 करोड़ रूपए के घाटे का सवाल हमारे सामने है। लेकिन, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर कोई पैसे वाले हिस्सेदार भाई इस कानून का एक या दो साल के लिए अदालत

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 30 अप्रैल, 1955, पुस्तक सं. 4, भाग 2, पृष्ठ 7231–7233*

में लटका दें...जिस तरह कि यू.पी. का जमीदारी एबालीशन बिल लटका दिया गया था...तो उस एक या दो साल में ही इस देश के किसानों को 14, 15 या 20 करोड़ रूपए का घाटा हो जाता। यही नहीं, आज हमारे देश में जैसी हालत है...देहात के कुछ भाईयों के पास पैसा है और कुछ के पास नहीं है...उस हालत में अन्दाजन 14–15 करोड़ रूपए की तो चोरी हो जाती होगी।

**श्री एस.एस मोरे** : कहां से?

**चौधरी रणबीर सिंह** : अगर हमें इस काम में यानी देहात में बैंक स्थापित करने में कामयाबी मिली, तो उस चोरी में काफी फर्क पड़ेगा।

इस 14–15 करोड़ रूपए के नाम पर कांग्रेस वालों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि वे शायद साहूकारों को रियायत करना चाहते हैं। रात के सवा आठ बज गए हैं और हमारे देश के नेता, प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, अभी तक यहां पर बैठे हुए हैं। वह इसलिए बैठे हैं कि उनके दिल में एक तड़प है कि हिन्दुस्तान के किसानों का सूदखोरों की बीमारी से जितने घंटे और जितने मिनट पहले पिंड छूट जाय, उतना ही देश का भला होगा। देश के किसानों के फायदे के लिए वह इस 14–15 करोड़ रूपए की परवाह नहीं करते हैं। आज देश में करोड़ों रूपए के प्रोग्राम हमने चलाए हुए हैं, उसमें 14–15 करोड़ रूपए की क्या गिनती है? इस नुक्ता–ए–ख्याल को सामने रखते हुए यह सोचा गया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि सारा देश इसका बड़ा स्वागत करेगा और देश को इसका बड़ा फायदा होने जा रहा है।

# प्रथम लोकसभा

## शनिवार, 1 अक्तूबर, 1955*

---

## आर्थिक नीति पर प्रस्ताव*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : कोई और बात कहने से पहले मेरे साथी ने अभी जो बातें आंकड़ों के सम्बंध में कही हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो किताब हमें भेजी गई है, उसके मुताबिक जो लोग खुद मालिक हैं और खुद काश्त करते हैं, उनकी तादाद हिन्दुस्तान के अन्दर 16 करोड़ से कुछ ज्यादा है। उनको ओनर्ज कल्टीवेटर्स का नाम दिया गया है। इसी तरह से मुजायरों की तादाद, जिनको टेनेंट्स कहते हैं, कोई तीन करोड़ है। जो मजदूरों की तादाद है, वह कोई साढ़े चार करोड़ के करीब है, जिसके बारे में काफी कुछ कहा गया है। जिनको शाजा बादा खाने वाले कहते हैं, जिनका जमीन से बटाई लेने के इलावा कोई वास्ता या रिश्ता नहीं होता है, उनकी तादाद 53 लाख है। हिन्दुस्तान की कुल आबादी में से जितनी आबादी खेती पर मुनहसर है, उसकी तादाद करीब करीब 25 करोड़ है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे एक बात बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि कुछ भाई हैं, जिनके ख्याल के मुताबिक किसानों के तमाम दुःखों की एक दवा सीलिंग ही है और इसी से उनके दुःखों का उछाला हो सकता है? लेकिन, आप अन्दाज लगाइये कि आखिर इस सीलिंग के

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 1 अक्तूबर, 1955, पुस्तक सं. 8, भाग 2, पृष्ठ 16101–16111*

लगने से खेती की इकोनोमिक्स पर कितना असर पड़ सकता है। यही नहीं, एक और सवाल है, जिसका हमें फैसला करना होगा। हमें आज यह देखना है कि जो आदमी इस देश में खेती पर निर्भर करते हैं, उनकी तादाद को बढ़ाना है या घटाना है। आज हमारे देश के अन्दर उन लोगों की आबादी 70 फीसदी है, जोकि जमीन पर ही निर्भर करते हैं। देखना है कि देश की तरक्की इस तादाद को घटाने से हो सकती है या बढ़ाने से। अगर आप दूसरे देशों से कोई सबक लें और अपने देश के पुराने इतिहास से कोई सबक लें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमें इस तादाद को घटाना होगा, इसको बढ़ाना नहीं होगा। अमरीका के अन्दर जो लोग जमीन की आमदनी पर निर्भर करते हैं, उनकी तादाद केवल 12 फीसदी है। अगर हमें अपने देश को दूसरे देशों के अन्दर छोटी और बड़ी दोनों किस्म की इंडस्ट्रीज को बढ़ाना होगा और ज्यादा से ज्यादा आबादी को उधर भेजना होगा और जमीन के ऊपर बोझ को कम करना होगा।

मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो सीलिंग की कोई मुखालिफत करते हों। मैं उन आदमियों में से भी नहीं हूँ जो यह समझते हैं कि 30 या 40 या 50 या 100 एकड़ जमीन खेती करने के लिए जरूरी है। एक चीज जिसे में बेसिक चीज समझता हूँ, यह है कि आज जो यह ख्याल किया जाता है और यह समझ लिया जाता है कि आज के हिन्दुस्तान के खेती में सीलिंग का ही एक मसला है, वह गलत बात है। कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद से इंटरमिडियेरीज (मध्यस्तों) का जो मसला था, वह तकरीबन खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है। यह एक बीते जमाने की बात होने वाली है, इतिहास की बात होने वाली है। सीलिंग के माने यह नहीं हैं जैसे कि बिहार के भाई समझते हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि वे अपने ही नुक्तेनजर से तमाम देश को क्यों देखना चाहते हैं। हमें मालूम है कि बिहार के अन्दर कोई रेवेनयू रिकार्ड नहीं हैं। सरकार के पास वहां कोई ऐसा हिसाब नहीं है, जिससे यह पता लग सके कि इस जमीन को कौन काश्त करता है। उन्हें पता होना चाहिये कि पंजाब के अन्दर हर एक फसल का रिकार्ड होता है और.....

**श्री विभूति मिश्र** : बिहार में पर्मानेंट सेटलमेंट है और वह आज से नहीं है, सन् 1858 से है।

**चौधरी रणबीर सिंह** : यही तो मैं अर्ज करता हूँ कि वहां पर एक परमानेंट रिकार्ड है और उसी के लिहाज से आज भी वह देखना चाहते हैं। इस बात को वह भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ।

मैं कह रहा था कि पंजाब के अन्दर हर छह महीने के अन्दर हालत बदले हैं। पंजाब के रिकाड़ से यह पता लग सकता है कि आज से छह महीने पहले किस आदमी ने एक खेत को काश्त किया और दूसरा छह महीने में किसने किया। यह हो सकता है कि जो खेत छह महीने पहले किसी ने काश्त किया हो, वही खेत उसने छह महीने के बाद काश्त न किया हो और किसी दूसरे ने किया हो। साथ ही साथ वह उस फसल के लिये इस्तेमाल न किया गया हो, जिसके लिये कि वह पहले इस्तेमाल किया गया था। इस तरह से पंजाब में हर छह महीने और हर साल का रिकाड है, जिससे यह पता चलता है कि किस आदमी ने कौन सा खेत और क्या फसल काश्त की। यही चीज यू.पी. में भी है। इसके मुकाबले में बिहार के भाई आयें और बतायें कि उनके पास क्या रिकार्ड है। यह सही बात है कि उनके पास कोई ऐसा रिकार्ड नहीं है। इस बात से वह इन्कार नहीं कर सकते। वे जो मध्यस्त को हटाने की बात कहते हैं और जिसके ऊपर वह बड़ी बड़ी मांग करते हैं, मैं मानता हूँ, वह उचित ही है और मैं भी चाहता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिये। लेकिन, वह अपने ही नुक्तेनजर से सारे देश को न देखें। आज तिवारी जी ने कहा था कि ट्रैक्टर वाले जो हैं, वह जो पैदावार करते हैं, उनकी पैदावार दूसरों के मुकाबले में, जोकि ट्रैक्टर्ज का इस्तेमाल नहीं करते, कम है। उनको मालूम होना चाहिये कि अगर ट्रैक्टर वाला दूसरे आदमी के मुकाबले में ज्यादा पैदा नहीं करता है तो वह जिन्दा नहीं रह सकता है। ट्रैक्टर के जरिये से जो खेती करत है, वह ऐसी खेती नहीं करता है, जिससे कि उसको पता ही न चले कि क्या खर्चा पड़ता है। अगर ऐसा न हो तो वह छह महीने

के बाद दिवालिया हो जाये। जो ट्रैक्टर्ज के तेल का खर्चा होता है और जो मैकेनाइज्ड तरीकों से जो कल्टीवेशन होता है, वह सब एक तरह से ऐसी चीज है, जैसे कि एक बिजिनेस होता है। इसलिये ट्रैक्टर्ज इस्तेमाल करने वालों को अगर जिन्दा रहना है तो उनको पैदावार ज्यादा करनी ही होगी। अगर वह ऐसा कर सकते हैं तभी वह जिन्दा रह सकते हैं।

मुझे एक बात याद आती है। पंजाब के देहातों में एक मिसाल है, जिसको मरासी लोग, जोकि पंजाब में एक क्लास है, वह कहती है कि काश्तकार न होते तो इन्सानों को खेती करनी पड़ती। इसी तरह से जो लोग ट्रैक्टर्ज वगैरह के खिलाफ हैं, क्या वे यह चाहते हैं कि जिस ड्रजरी में किसान इस वक्त है, उसी में वह रहें। अगर हमें इस ड्रजरी में से निकलना है तो हमें मशीनें लानी ही होंगी और मैं कृषि मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि वह मशीनें लायें और जल्दी से लायें ताकि देश की पैदावार बढ़े और किसानों का जीवन एक सुखी जीवन बने।

**एक माननीय सदस्य** : जो बेकारी होगी?

**चौधरी रणबीर सिंह** : बेकारी का मसला मेरी समझ में नहीं आता है। जो बेकारी की बात करते हैं, वह शायद सिर्फ उन ट्रैक्टर्ज को ही देखते हैं, जोकि 60 हार्स पावर के हैं। उनको शायद यह मालूम नहीं है कि थोड़ी–थोड़ी हार्स पावर के ट्रैक्टर भी होते हैं। मैं और डाक्टर राम सुभग सिंह दोनों ही जापन गये और हमने वहां पर पांच हार्स पावर और दो हार्स पावर के ट्रैक्टर देखें और मैं समझता हूँ, अगर ऐसे ट्रैक्टर इस्तेमाल किये जायें तो किसी भी तरह से हमारे देश में बेकारी नहीं फैल सकती है। मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप ऐसी मशीनें लायें, जिनसे हमारे देश में बेकारी फैले।

आप ऐसी मशीनें लायें जोकि किसानों की ड्रजरी को कम करें और किसान ज्यादा भी पैदा कर सकें। मैं जानता हूँ कि हमारे देश के अन्दर बहुत सारी जमीन ऐसी है, जिसको काश्त करने में हल कारगर साबित नहीं होता है। वह जमीन सख्त होती है। हल उसके अन्दर

घुसता नहीं है। मुझे मालूम है कि तराई के एरिया की जो जमीन है, वहां पर अगर कोई आदमी बरसात में हल नहीं चला सकता है तो उसकी जमीन बंजर हो जाती है। हमें आज ऐसी मशीनों की जरूरत है, जो सख्त जमीन की काश्त करने में हमारी मदद कर सकें और किसानों की ड्रजरी को कम कर सकें और वह ऐसी छोटी छोटी मशीनें होनी चाहियें जो बेकारी भी न लायें और किसानों की जिन्दगी को सुखी भी बना दें। ऐसी मशीनें आज देश की खेती में लाने की जरूरत है।

इसके अलावा में अपने इधर वाले दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि वे एक बात समझ लें और वह यह है कि अब इंटरमीडियरी के नाम पर और सीलिंग के नाम पर अगर वह जिन्दा रहना चाहते हैं तो यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इस पर हम बहुत दिनों तक निर्भर नहीं रह सकते। आज अगर यू.पी. के किसान उठते हैं तो वे इसलिये नहीं कि वहां सीलिंग नहीं लगी है, बल्कि वे इसलिये उठते हैं कि उनके गन्ने की कीमत ठीक नहीं मिलती। अगर आज पंजाब के किसान शोर करते हैं तो इसलिये नहीं कि वहां पर सीलिंग नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनके गेहूं की और चने की कीमत उनको ठीक नहीं मिलती। इसी तरह से अगर साउथ के किसान उठते हैं तो इसलिये नहीं कि वहां पर सीलिंग नहीं है, बल्कि इसलिये कि उनकी रबड़ की, चाय की, कहवे की, रूई की और ग्राउंड नट की कीमत उनको ठीक नहीं मिलती है। इसी तरह से जूट का हाल है। आज आपको किसान की लड़ाई या पुकार का सही कारण जानना जरूरी है। आप पिछले सालों के अखबार पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि किसान किस चीज के लिये लड़ता है, किसान किस बात पर अपनी आवाज उठाता है।

इसके अलावा मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूँ। लेकिन, अपनी बात कहने से पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उसने बहुत बड़े बड़े काम किये हैं। सरकार ने प्राइस सपोर्ट दिया है, जिसके बारे में विशेषज्ञों का यह ख्याल था कि वह इस देश में नही दिया जा सकता। वे कहते थे कि यह देश बहुत बड़ा है और

यहां पर बहुत बड़ी आबादी खेती का काम करती है। अगर किसी देश में 10 या 12 फीसदी आबादी खेती करती हो तो वहां तो प्राइस सपोर्ट दिया जा सकता है या जहां खेती की इनकम 10 या 12 फीसदी हो, उस देश में प्राइस सपोर्ट दिया जा सकता है। उन लोगों का कहना था कि हिन्दुस्तान में तो 50 फीसदी आमदनी खेती से होती है और यहां पर 70 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर करती है। यहां पर किस तरह से प्राइस सपोर्ट दिया जा सकता है और उसका बोझ कौन सहारेगा? ताज्जुब की बात है कि ऐसा कहा जाता है।

प्राइस सपोर्ट का मसला बिल्कुल साफ है। जितना मार्केटैबल सरपलस है, उसको सपोर्ट देना है। यह कोई ऐसी बात नहीं है, जोकि अभी तक हमारे देश मे कभी हुई न हो। आप खेती के पिछले आठ सालों का इतिहास देखें तो आपको उससे यह सबूत मिलेगा कि पिछले सालों में, कंट्रोल के जमाने में सरकार ने एक हजार करोड़ रूपये लगाकर खेती की पैदावार को, मार्केटबिल सरप्लस को खरीदा, इसलिये कि हिन्दुस्तान में उपभोक्त को सस्ती चीजें बेची जा सकें। आज भी उतना ही या उससे दस पांच फीसदी ज्यादा मार्केटेबिल सरप्लस होगा। उसको खरीदने का सवाल है और वह भी कंज्यूमर के लिये खरीदा जायेगा। ऐसा करने से किसान को फायदा होता है तो सरकार को ऐसा करना चाहिये। पहले जब सरकार ने एक हजार करोड़ का मार्केटेबिल सरप्लस खरीदा था तो उसने 200 करोड़ का घाटा बरदाश्त किया था। मैं अपने कृषि मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि इस काम के लिये वे वित्त मंत्री से मांग करें और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इधर के सदस्यों का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ है।

मैं चाहता हूँ कि सरकार अगले पाँच साल के लिये इस काम के वास्ते 400 करोड़ रूपया रखे, ताकि कीमत को स्थिर किया जा सके। यह डर गलत है कि अगर सरकार प्राइस सपोर्ट देने लगेगी तो इससे सरकार को बहुत बड़ा घाटा होगा। आज आप देखें कि हालत क्या है। वह गेहूं जोकि पंजाब में फसल पर 8 रूपये मन बिका था, आज मद्रास और कलकत्ते में 18 रूपये मन बिकता है। चना जो पंजाब

में 5 रूपये मन बिका था, आज 14 और 15 रूपये मन तक बिकता है। तो इसमें सवाल तो प्लानिंग का है।

यहां बतलाया गया है कि वेयर हाउसेज (गोदाम) बनाये जायेंगे। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जितना हाथ इस मिनिस्ट्री का देश की उन्नति करने में है, उतना और किसी का नहीं है। मैं मिनिस्टर महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी पूरी सपोर्ट उनके लिये है। इसलिये जिस चीज को वे देश के लिये अच्छा समझें उसको पूरा करने के लिये हिम्मत से आगे बढ़ें। वे अपनी मांगें फाइनेंस मिनिस्ट्री से और दूसरी मिनिस्ट्रीज से पूरी करावें और पीछे न हटें।

मैं ठीक तरह से नहीं समझ सका कि जैन साहब ने वेयर हाउसेज के बारे में क्या कहा। मैं उनका मतलब ठीक से नहीं समझ सका। मैंने तो यही समझा है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया 12 हजार वेयर हाउसेज बनवाना चाहती थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने सात या पांच हजार की ही राय दी है।

**श्री ए. पी. जैन** : मैंने ऐसा नहीं कहा था कि 12 हजार बनाने का प्रोग्राम था। जब स्टेट गवर्नमेंट्स से बातचीत हुई तो उन्होंने बतलाया कि करीब सात हजार वेयर हाउसेज तो किराये पर लिये जा सकते हैं। इसलिए पांच हजार बनाये जायें। कुल मिलाकर 12 हजार हो जायेंगे।

**चौधरी रणबीर सिंह** : मैं तो कहूंगा कि 12 हजार का ही टारगेट रखें। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कहा जाता है कि इन वेयर हाउसेज के बनाने में बड़ी मुश्किल होगी। कहा जाता है कि एक वेअर हाउस बनाने में इतना सीमेंट लगेगा, जितना कि एक मकान में लगता है। अगर यही कठिनाई है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप देहात में उस वक्त तक के लिये पक्के मकान बनवाना बन्द कर दें, जब तक कि सारे देश में उतने वेअर हाउसेज न बन जायें, जितनों की कि जरूरत है। किसान की तरक्की के लिये वेअर हाउसेज

का बनना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि, जब तक ये वेअर हाउसेज नहीं बनेंगे, तब तक किसान को सस्ती दर पर कर्जा नहीं मिल सकेगा। आज हालत यह है कि अनाज तो पैदा करता है किसान और उसके ऊपर व्यापारी सस्ती दर पर कर्जा लेता है। लेकिन, किसान को उसके अनाज के बदले सस्ता कर्जा नहीं मिल सकता।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। वह है एग्रीकल्चुरल टैक्सेशन के बारे में। एक जमाना था कि सन् 1763–64 में हमारे देश में सारे देश की कुल आमदनी का 69 परसेन्ट लैण्ड रेवेन्यू से आता था। लेकिन, सन् 1953–54 में जो इनकम हुई, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसका 8.6 परसेंट लैण्ड रेवेन्यू से आया। अगर सूबों को अलग लिया जाय तो सन् 52 के अन्दर सूबों की कुल आमदनी का 20.3 परसेंट लैंड रेवेन्यू से आया। एक जमाना था, जबकि सन् 1952 में यह आमदनी लैण्ड रेवेन्यू से सूबों की कुल आमदनी 54 परसेंट थी। हमारे कुछ दोस्त समझते हैं कि अगर लैण्ड रेवेन्यू को भी उसी तरीके से असेस किया गया, जिस तरीके से कि इनकम टैक्स को असेस किया जाता है तो आसमान गिर जायेगा। इस सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। पंजाब सरकार ने प्लानिंग कमीशन को यह सिफारिश भेजी और अपने यहां इस आशय का प्रस्ताव भी पास किया कि हम हर उस किसान की लैण्ड रेवेनयू को माफ करना चाहते हैं, जोकि 5 रूपये से कम मालगुजारी देता है। लेकिन, अफसोस है कि पंजाब गवर्नमेंट को ऐसा करने की इजाजत नहीं मिली। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट इस बात के लिये जिम्मेदारी लेने को तेयार थी कि ऐसा करने से उसे जो 32 या 34 लाख का खसारा (घाटा) होगा, उसको वह किसी दूसरे तरीके से पूरा कर लेगी।

मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कब तक इस देश के अन्दर टैक्सेशन के दो तरीके चलते रहेंगे। एक आबादी इस देश में ऐसी है, जिसकी कई हजार की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। दूसरी तरफ एक आबादी ऐसी है, जोकि देश की कुल आबादी का 70 फीसदी है, जोकि चाहे कुछ पैदा कर सके या न कर सके, चाहे उसे घाटा ही क्यों न उठाना पड़ रहा हो, तो भी उसे टैक्स देना पड़ता है।

आप इस लैण्ड रेवेन्यू को रेंट नहीं कह सकते। सरकार तो जनता की प्रतिनिधि है। वह लैंड रेवेन्यू को रेंट नहीं कह सकती। उसे इसको टैक्स कहना होगा और अगर उसको टैक्स कहा जायेगा तो टैक्स में डिफरेंसियेशन नहीं किया जा सकता। आपको इस भेदभाव को खत्म करना होगा। कुछ दोस्त समझते हैं कि ऐसा करने से राज्य सरकारों का दिवाला निकल जायेगा। लेकिन, मैं पूछता हूँ कि आखिर कुल लैंड रेवेन्यू देश की आमदनी का 8 परसेंट ही तो है। फिर यह सारी आमदनी खत्म नहीं हो जायेगी। ज्यादा से ज्यादा 4 परसेंट यानी कुल लैंड रेवेन्यू का 50 परसेंट कम हो जायेगा। अगर कोई सरकार इतनी कमी को भी किसी दूसरे तरीके से पूरा नहीं कर सकती तो मैं समझता हूँ कि वह काम चलाने लायक नहीं है।

अन्दाजा लगाया जा सकता है कि सरकार दूसरी पंचावर्षीय योजना में देश की आमदनी 20 परसेंट बढ़ा देगी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या इस 4 परसेंट आमदनी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। आप जितनी लैंण्ड रेवेन्यू है, उसका 50 परसेंट माफ कर दें और इतनी कमी को दूसरे जरिये से पूरा कर लें। आप अगर ऐसा करेंगे तो लोगों को मालूम होगा कि अब हमारी अपनी सरकार है और जो अब तक हमारे साथ सौतेली मां का सा बरताव होता था, वह बदलने वाला है। हमारे साथ वही सलूक होगा जोकि दूसरे बड़े बड़े साहूकारों और इनकम टैक्स देने वालों के साथ हो रहा है।

# प्रथम लोकसभा

## बुधवार, 4 अप्रैल, 1956

————————

## अनुदान के लिए माँगें*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : एक आजाद देश का देशवासी जहां यह चाहता है कि उसे खाना मिले और पहनने के लिए कपड़ा मिले, वहां वह यह भी चाहता है कि उसे रहने के लिए मकान मिले। आपको मालूम ही है कि हमारे देश में और हमारी कांगेस सरकार ने यह फैसला किया है कि हम इस देश में समाजवादी ढ़ंग का समाज कायम करेंगे। 31 मार्च को हमने अपनी पहली पंच साला योजना पूरी की है। मैं समझता हूँ कि हर हिन्दुस्तानी को यह सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि आज हमारा देश किधर जा रहा है। आज हमने जो उद्देश्य अपने सामने रखा है, उसे प्राप्त करने के रास्ते पर हम जा रहे हैं या किसी दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं।

अभी मैं सैकिंड फाईव इअर प्लान को पढ़ रहा था। पहली पंच साला योजना के दौरान में कुल 14,90,000 मकान बनने का अन्दाजा है। इनमें से तकरीबन सरकार ने किसी न किसी ढ़ंग से मदद दी है, चाहे वे मकान इस देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाये गये हों, चाहे कम आमदनी वालों के लिए बनाये गये हों, जोकि कभी अपना मकान बनाने का सपना भी नहीं देखते थे। चाहे मजदूरों के लिए बनाये

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 4 अप्रैल, 1956, पुस्तक सं. 10, भाग 1, पृष्ठ 4342–4348*

गये हों। पहली पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने इतना काम किया है, इसके लिए वह मुबारकबाद की हकदार है और यह इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार ने जो समाजवादी ढ़ंग का समाज बनाने का ऐलान किया है, वह उसकी तरफ बढ़ रही है।

अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी नम्बियार साहब ने मजदूरों के बारे में कुछ कहा। उनकी तरफ हमारे माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। मैं बतलाना चाहता हूँ, कि जो लोग काम करते थे, उनको यह मालूम नहीं था कि उनकी नौकरी पक्की होगी या नहीं और यह भी देखें कि उनको छुट्टी की क्या सहुलियतें मिलतीं थीं। उस हालत का आज की हालत से मुकाबला करें और फिर अन्दाजा लगायें कि कितना फर्क हुआ है। चाहे लोगों के दिल को पूरी तसल्ली न हुई हो। लेकिन, हमारे मिनिस्टर साहब ने तकरीबन 80 फीसदी मसलों को हल कर दिया है। उस वक्त हमारे देश में क्या हालत थे, उनको ध्यान में रखकर आप अन्दाजा लगाइये कि कैसी तसल्ली करने वाली तेजी से मसले को हल करने की कोशिश की गई है।

आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि हमारे देश में मकानों की बड़ी समस्या है। इतना बड़ा काम होते हुए भी आप किसी बड़े शहर में निकल जाइये, या दिल्ली में ही जाइये तो आपको मालूम होगा कि निवास की प्राबलम (समस्या) को किस तेजी से हल किया जा रहा है। अगर कोई आदमी जो सात आठ साल पहले दिल्ली आया था, आज दिल्ली आवे तो शायद उसको रास्ता ही न मिले। आज भी यह हालत है कि हम लोग जोकि सात आठ साल से इस हाउस के मेम्बर हैं, हमें आज भी यहां रास्ता बस या टैक्सी के जरिये तलाश करना पड़ता है। अगर आप किसी तरफ कुछ महीनों बाद जायें तो आपको बहुत से नये नये मकान नजर आएंगे, हो सकता है, उनमें बहुत से सरकारी हों और कुछ प्राइवेट आदमियों के भी हों।

बहरहाल यह इस बात का सबूत है कि देश के अन्दर मकानों के मसले को हल करने की कितनी कोशिश की जा रही है। इतना होते हुए भी यह बात सही है कि जितने मकानों की आवश्यकता है, उतने मकान अभी नहीं बन पाये हैं और उनका इतनी जल्दी शायद बनना भी मुश्किल था। मैं समझता हूँ कि इसकी यह वजह नहीं है कि सरकार इस सवाल को जी जान से हल नहीं करना चाहती, बल्कि

इसकी वजह यह है कि हमारे देश में सीमेंट की पैदावार लिमिटेड (सीमित) है। इस देश के अन्दर बड़े बड़े बांध बन रहे हैं और कई बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जोकि देश की तरक्की के लिये जरूरी हैं। हमारे यहां सीमेंट की और लोहे की पैदावार लातादाद (असीमित) नहीं है। वह तादाद भी इतनी है कि जितनी आज हमारे देश की जरूरत है, उसको पूरा नहीं कर सकती। अगर रूपये की मांग को एक तरफ रख दिया जाय और रूपये खर्च का ध्यान किसी चीज की तरक्की में न हो तो भी कम से कम जो मकान बनाने का सामान है, उसकी जो सप्लाई है वह एक ऐसा लिमिटिंग फैक्टर है, जिसका कोई इलाज नहीं कर सकता।

मैं अब अपने मंत्री महोदय का ध्यान देहातों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मंत्री महोदय मेरी तरह से देहाती हैं। मेरी तरह से वह भी देहात में पैदा हुए हैं और आज भी उनका दिल देहात में है। यह लो इनकम हाउसिंग स्कीम के तहत कर्जे देने का काम शुरू हुआ और इस स्कीम के मातहत राज्यों को 21 करोड़ रूपये खर्च करने का अख्तियार दिया गया था कि वे ऐसे लोगों को जिनकी आमदनी कम है, उनको इसमें रूपया मकान बनाने के लिए कर्ज दें। यह कर्जा सिर्फ उन्हीं आदमियों को दिया जाना है, जो कि वाकई में इसके मुस्तहक हैं और इस कर्ज देने में जो हम इस देश में समाजवादी ढ़ंग की समाज बनाना चाहते हैं, उसका पूरा पूरा सबूत मिलता है और वह इस तरह पर कि अगर किसी आदमी के पास मकान है, तो उसको कर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन, अगर उसके पास कोई मकान नहीं है और न ही उसके पास कोई ऐसी जमानत है, जो कर्जा लेते समय वह पेश कर सके, उसको इस स्कीम में कर्जा मिल सकता है, दूसरे मानों में वह गरीब आदमी जिसके पास न कोई मकान है और न कोई बहुत बड़ा जरिया है, वह ही इससे फायदा उठा सकता है। यह इस बात को साफ जाहिर करता है कि किस तरह से हम देश को और समाज को चलाना चाहते हैं।

मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारा पंजाब प्रान्त लो इनकम हाउसिंग स्कीम का फायदा उठाने वालों में सबसे आगे रहा है। यह इसलिए नहीं है कि हमारे मंत्री महोदय पंजाब के रहने वाले हैं। बल्कि, इसलिए है कि वहां की सरकार ने जरा हिम्मत की और

वहां के लोगों ने भी हौंसला दिखलाया और कर्जा लेने से घबराये नहीं। इसी वास्ते पंजाब में और प्रान्तों की बनिस्बत ज्यादा कर्ज दिया गया। पंजाब में जो बाढ़ आई और लोगों के मकान गिरे, उसकी वजह से भी वहां लोगों ने काफी कर्ज लिया। देहली के अन्दर भी कर्ज दिया गया है। लेकिन, कई रियासतें तो ऐसी भी हैं, जहां लोगों ने इस स्कीम का कोई फायदा ही नहीं उठाया और कोई कर्ज नहीं लिया। कई जगह के लोगों को तो कर्ज लेना दूर रहा, उनको यह भी पता नहीं है कि उन्हें कर्ज के लिए दरख्वास्त देने का हक भी है या नहीं।

जहां तक मेरे जिले का ताल्लुक है,जिसका कि मैं यहां पर प्रतिनिधित्व करता हूँ, उसकी हालत कुछ अलग रही। वहां के गरीब हरिजनों ने काफी तादाद में कर्जा लिया। कोई चार हजार के करीब एक हरिजन भाई कर्ज लेकर गया और जब वह गाँव में पहुंचा तो उसने कुछ और गरीबों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा कि भाई तुम यह कहते हो कि राज्य नहीं बदला है, गरीब के लिए राज्य नहीं आया है। जरा जाओ और देखो कि गरीब के लिए सरकार की ओर से क्या सहायता दी जा रही है। उसने कहा कि एक जमाना था जबकि हमारे जैसे आदमी को कोई 100 रूपये कर्ज भी नहीं देता था। लेकिन, आज सरकार की तरफ से हमें हजारों रूपये का कर्ज मिल रहा है और आज हम देखते हैं, जितना रूपया आज हमें मिल रहा है, उतना रूपया हमारे कुनबे में किसी ने न देखा होगा और न हमारे बाप ने देखा होगा और न दादा ने देखा होगा। यह कांग्रेस राज्य की नियामत है, जिससे कि गरीब आदमियों के लिये सरकार की ओर से यह आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है और वह इस रूपये को अपने तरक्की के कामों पर, मकान इत्यादि के लिए खर्च कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कर्जा देने की स्कीम के सम्बन्ध में एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि जहां मजदूरों को कर्ज देने की व्यवस्था की गई है, उसके लिए हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। वहां हम उनका ध्यान दिलायेंगे कि देहातों में भी स्लम्स हैं और उन गरीब हरिजनों के मकान हैं। एक एक मकान के अन्दर 15–15 आदमी रहते हैं। इतने आदमी रहते हैं, जितनी कि उसके अन्दर चारपाईयां भी नहीं आ सकतीं और उन स्लम्स को भी आपको सुधारना है और उनको इंसान के रहने के काबिल बनाना है। उनकी हालत आप सिर्फ कर्जा

देकर ही नहीं सुधार सकते हैं। उनकी हालत को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो जिस तरह से शहरों में स्लम्स की सफाई के लिये आप ग्रांट देते हैं, उसी तरह देहातों की गंदी बस्तियों की भी सफाई के लिए अगर ज्यादा ग्रांट सम्भव न हो तो कम से कम 25 फीसदी ग्रांट दें।

इतना ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे देश की समाज पर इस बात की एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे हजारों लाखों लोगों को जिनको आज से नहीं सैंकड़ों वर्षों से दबाते चले आये हैं, जिनकी कि आर्थिक अवस्था बहुत सोचनीय है और जिनको न तो जमीन दी गई और न ही कोई कारोबार दिया गया। ऐसे असहाय और नीचे गिरे हुए लोगों को ऊपर उठायें। अगर हम चाहते हैं कि वे भी इन्सानों के रहने लायक मकानों में रह सकें और अपनी जिन्दगी इन्सानों की तरह बिता सकें तो आप यह यकीन रखिये कि वह कर्ज के रूपये से मकान नहीं बना सकते, उन्हें सरकार को ग्रांट देनी होगी। अगर कोई कर्ज लेगा भी तो मैं समझता हूँ कि उसको पूरी तौरपर वह शायद अदा न कर सकेगा या अगर अदा करने की उसने कोशिश भी की तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। जिसका नतीजा यह होगा कि उसके बच्चों को तालीम नहीं मिल सकेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस लो इनकम हाउसिंग स्कीम के तहत जो गरीब हरिजनों को कर्ज दिया जाता है, उसके अन्दर ग्रान्ट की कोई परसेंटेज भी रखनी चाहिए। अगर 25 फीसदी आप नहीं रख सकते तो 10 फीसदी या 15 फीसदी की ग्रांट दें।

इसके अलावा जहां तक करप्शन का सवाल है, मैं समझता हूँ कि हर वह भाई जिसका कि थोड़ बहुत भी वास्त सेंट्रल पी. डब्लू. डी. से पड़ता है, वह जानता होगा कि किस तरह से वहां पर खुले आम रिश्वत चलती थी। उन महकमों में रिश्वत परसेंटेज कायम हो, यह मैं मान सकता हूँ कि आज हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप करप्शन में कुछ कमी आ गई हो और वह किसी हद तक कम हो गया हो। लेकिन, आत्मविवास के साथ यह नहीं कह सकता कि आज उन महकमों में करप्शन बिलकुल नहीं है। यह मैं मान सकता हूँ कि आज रिश्वत उतने खुले रूप में विद्यमान न हो कि 25 फीसदी बड़े इंजीनियर के पास जायेगी और इतना परसेंटेज छोटे के पास जायेगी। लेकिन, यह बात कोई दावे से नहीं कह सकता कि करप्शन और रिश्वत एकदम इन

विभागों में से लुप्त हो गई है।

मैं यह भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अगर अपने मुहकमे को दुरूस्त करना चाहते हैं और उसको बिलकुल पाक करना चाहते हैं तो जहां अब हर एक सरकारी कर्मचारी के लिए यह जरूरी होता है कि कोई जायदाद वगैरह वह खरीदे उसको दर्ज करवाना होता है, वहां साथ ही आप इसका भी इन्तजाम कर दें कि इस महकमे के कर्मचारियों के जिनके रिश्तेदार बड़े–बड़े इंजीनियर्स और ओवरसियर्स वगैरह हैं, उनके रिश्तेदारों तक की भी सम्पति आदि की जांच पड़ताल और लिखा पढ़ी होनी चाहिए कि पिछले सात आठ साल के अन्दर उन्होंने कितनी जायदादें अपनी बढ़ाई हैं। कितने बैंक बैलेन्स उन्होंने बढ़ाये हैं।

अगर, यह चीज शुरू की गई तो जिन लोगों ने सीमेंट की जगह बालू और रेता मिलाया है, जिसका जिक्र मेरे भाई ने यहां पर किया, वह ऐसा करते हुए डरेंगे। साथ ही वह यह भी सोचेंगे कि आखिर किस चीज के लिये हम बालू और रेता मिलायें, किस फायदे के लिए मिलायें जबकि मालूम हो जाने पर सारा रूपया जब्त हो जायेगा। उनको सजा भी मिलेगी और साथ ही वह नौकरी भी खोयेंगे? अगर ऐसा डर उनमें आ जायेगा तो वह क्यों रिश्वत लेगें। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, मैं माननीय मंत्री से पुरजोर अपील करता हूँ कि इस चीज की काफी से ज्यादा पड़ताल होनी चाहिये ताकि कम से कम उन लोगों के अन्दर डर आये। हर एक कर्मचारी को भी पता होना चाहिये कि हर साल इसकी पड़ताल भी की जायेगी कि कितना उसका रूपया या कितनी जायदाद उसके नाम या उसके रिश्तेदारों के नाम में गई है।

# प्रथम लोकसभा

## सोमवार, 9 अप्रैल, 1956

————————

## अनुदान के लिए माँगें*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : मैं कोई भी बात कहने से पहले उन करोड़ों किसानों को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत से और जो सरकार की थोड़ी बहुत मदद मिली उसके जरिये देश के अन्दर वह हालात पैदा कर दिये हैं, जिनकी वजह से हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कामयाब हुई और दूसरी पांच साला योजना के लिये एक मजबूत नींव रखी गई।

आपको मालूम ही है कि हमारी आबादी का तकरीबन 70 फीसदी हिस्सा खेती से सम्बध रखता है।.....

जबकि सरमाया जो दूसरी पांच साला योजना पर लगने को है, वह पहली पांच साला स्कीम से दुगने से भी ज्यादा है तो इस मंत्रालय के ऊपर है तो कम से कम जिस हिसाब से दूसरे महकमों पर खर्चा बढ़ा है, उसी हिसाब से इस विभाग का भी खर्चा बढ़ाना चाहिये था। मैं नहीं कह सकता कि इस विभाग के लिये और अधिक रकम क्यों नहीं बढाई गई। वैसे मैं जानता हूँ कि इस खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के तीनों मंत्री महोदय बड़े काबिल आदमी हैं और तीनों के दिलों में इस देश के किसानों के लिये बड़ा प्यार है। पता नहीं प्लानिंग कमीशन से

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 9 अप्रैल, 1956, पुस्तक सं. 3, भाग 2, पृष्ठ 4724–4729*

इस मंत्रालय ने ही कम रूपया मांगा या वहां से ही कम दिया गया। लेकिन, मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि किसानों के साथ न्याय नहीं किया गया है। अगर किसान मेहनत न करते तो यह पहली पंच साला योजना ही कामयाब नहीं होती। दूसरी का तो शायद हम स्वप्न भी नहीं देख सकते। इससे बढ़िया इनवेस्टमेंट का जरिया क्या हो सकता है? चाहे सिंचाई वगैरह के ऊपर ज्यादा पहली योजना में खर्च नहीं किया गया है, हालांकि इस मंत्रालय के ऊपर तो सिर्फ 243 करोड़ रूपया ही खर्च हुआ। अब जो हमारी आमदनी अनाज की पैदावार कम से कम उस पैदावार में हमारे आने वाले पांच सालों के अन्दर कम से कम 1200 करोड़ रूपये पहले बाहर भेजे जाते थे। अनाज, कपास या पटसन आदि मंगाने के लिये वह अब आगे नहीं किया जायेगा। एक रूपये के बदले में किसान ने पांच साल के अन्दर दो रूपये पैदा किये, तो इससे बढ़कर कौन सी ऐसी स्कीम हो सकती थी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रूपया लगाने के लिये सरकार सोच सकती थी?

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा डा. राम सुभग सिंह ने कहा कि इस देश के अन्दर किसानों की जो हालत है, वह ऐसी है कि उनको जितना मिलता है और जितना उसमें लगाते हैं, उसमें घाटा ही रहता है, आमदनी तो दूर रही। जिसका नतीजा है कि इस देश के किसानों के ऊपर कर्ज का भार बढ़ रहा है। आज अरबों रूपये के कर्ज का भार हमारे देश के किसानों के ऊपर है।

मुझे दूसरे सूबों का तो उतना ज्यादा तजुर्बा नहीं, लेकिन अगर अपने सूबे के उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आप और हम रहने वाले हैं, उनके हालात को अगर आज हम मुकाबला करें तो हमें ताज्जुब होता है कि आया यह हिन्दुस्तान की आजादी किसानों के लिये है या मनीलैंडर्स (साहूकारों) की है। हमारे सूबे में कानून था कि कोई मनीलैंडर किसी काश्तकार की न तो जमीन नीलाम करा सकता था और न उसका कोई मींस ऑफ प्रोडक्शन (उत्पादन के साधन) नीलाम करा सकता था। लेकिन, आज हालत दूसरी है और आज के कायदे के हिसाब से उसका मींस ऑफ प्रोडक्शन और उसकी जमीन भी कुर्क हो सकती है।

हमें तो उम्मीद थी कि बाकी प्रान्त भी देश के आजाद होने के

बाद पंजाब से कुछ शिक्षा लेंगे और गरीब किसानों को इन सूद लेने वालों अर्थात मनीलैंडर्स के पंजो और शिकंजो से बचायेंगे।

जो रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट निकली है, उससे जाहिर होता है कि अंदाजन कोई 25 परसेन्ट और 30 परसेंट तक सूद लिया जाता है। जबकि बिड़ला और दूसरे बड़े बड़े पूंजीपति और कारखानेदार जो आज भी ताकतवर हैं और अगर वे कोई नया काम चलाना चाहें तो उनको 3, 4 या 5 फीसदी की दर पर कर्ज दिया जा सकता है। इस दर से वे जितना चाहें कर्ज ले सकते हैं। दूसरी तरफ किसान है जो कर्ज के भार से दबे हुए हैं और अगर वे अपनी हालत को सुधारने के लिये कर्ज लेना चाहे या कर्ज लेने के लिये मजबूर हों तो उनको 18, 20 और 30 फीसदी की दर से कर्ज लेना पड़ता है। इसी से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के किसानों का भविष्य कैसा अंधकारमय है?

देश के अन्दर अगर समाजवादी ढ़ंग का समाज बनाना है तो इस देश के नेताओं को और सरकार को सोचना होगा और बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा कि जो पहले के कर्ज हैं, उन कर्जों के बदले में किसानों की जमीनें और उनके मींस ऑफ प्रोडक्शन (उत्पादन के साधन) अवश्य बचाने होंगे। इस सम्बन्धम में जो कायदे और कानून पंजाब सूबे के अन्दर थे, वे तमाम देश के अन्दर लागू करने होंगे ताकि किसान लोग जो रूपया कर्ज देने वाले हैं अर्थात मनीलैंडर्स लोगों से अपने को बचा सकें। साथ ही साथ इस तरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि अपनी उन्नति करने के लिए वाजिबी दर पर इनको आर्थिक सहायता मिल जाया करे।

सहकारी समितियों की इस देश में बड़ी चर्चा और शोरशराबा है। यह कहा जा रहा है कि इस देश के अन्दर अब आगे आने वाले पांच सालों के अन्दर बड़े बड़े गोदाम बनाये जायेंगे। हमें यह सब सुनकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन, हमें इसमें एक डर है और वह यह है कि कोआपरेटिव्स के नाम से इसमें कुछ थोड़े से वही लोग दाखिल हो जाते हैं, जिनके पास रूपया है और जिनके बापदादा गरीब किसानों को कर्जा दिया करते थे। अ

ाज हम क्या देखते हैं कि हमारे ही जिले के अन्दर एक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी बनी हैं। उसके बारे में मंत्री महोदय से

बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि उनका खयाल यह है कि 10, 15 मील के इलाके से जहां से कि गन्ना आ सकता है और जहां से कि गन्ना आना चाहिये, उससे बाहर के इलाकों के जो शेयर होल्डर्स हैं, वे इसमें नहीं होने चाहियें। मैं समझता हूँ कि मुझसे उनको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि 50 फीसदी से ज्यादा जो हिस्से हैं वे ऐसे इलाकों के हैं, जिनका कि गन्ना उस शुगर फैक्टरी में नहीं आ सकता। यही नहीं, हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि हमारी पंजाब सरकार से बातचीत हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि वह 10, 15 मील के इलाके से बाहर के किसानों के हिस्से 10, 15 मील के अर्से के लिये जो डाइरेक्टर्स नामिनेट किये गये, उनमें 75 फीसदी ऐसे आदमी हैं जो 15 मील से दूर के रहने वाले हैं और 75 फीसदी ऐसे आदमी हैं, जिनका कि गन्ना उस मिल के अन्दर वे कोआपरेटिव ढ़ंग से कोई फायदा उठा नहीं सकेंगे। वे क्रेडिटर के नाते आ रहे हैं।

अगर आप सही मायनों में कोआपरेटिव सोसाइटियां लोगों की भलाई के लिए चलाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि चाहे आप झिझकें या और कोई बात कहें, एक ही उसूल हमें मानना होगा और उस ढ़ंग पर हमें कोशिश करनी होगी कि हर एक छोटे से छोटे इलाके में एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई जाये और आपको किसान को उसमें शामिल होने के लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर उसके पास शेयर खरीदने के लिये अपना रूपया नहीं है तो उसको रूपया दिया जाये और हर एक आदमी को जो उस कोआपरेटिव सोसायटी का लाभ उठायेगा, उसको उसका हिस्सेदार बनाया जाये। इस तरह की कोआपरेटिव्स बनाई जानी बहुत जरूरी हैं। वरना आज जो गरीबों का 20, 30 और 40 फीसदी की दर से सूद लेकर लूटा जा रहा है, वह लूटखंसोट जारी रहेगी।

मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि अगर आप दिल से चाहते हैं कि यहां पर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज बनें और किसानों की भलाई के लिये काम हो तो उसकी एक ही तरकीब है कि सरकार अपना सरमाया उनमें लगाये। आज उन आदमियों से जिनमें से तकरीबन 52 या 57 फीसदी कर्जदार हैं, कैसे आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह आपको रूपये देने के लिए पैसे बचा कर रखेंगे? उनको रूपया तकावी की शकल में देना होगा। इसके अलावा आपको उनकी आमदनी बढ़ाने

के लिये कुछ काम करना होगा। अगर आपको उनके ऊपर बीस लाख रूपया लगाना है और उनसे सिर्फ चार या पांच लाख ही वसूल हो सकता है, तो बाकी का पंद्रह लाख रूपया आपको उनको तकावी की शक्ल में देना चाहिये।

इसके बाद मैं कुछ और अर्ज करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय से। आपके और हमारे इलाके में भाखड़ा नंगल की स्कीम तकरीबन मुकम्मिल होने वाली है। आप जानते हैं कि यह सतलुज का पानी बहुत से शहरों और गांवों को तबाह कर दिया करता था। लेकिन, जो भाखड़ा नंगल का डैम बना है, इससे बहुत सारे शहर और गांव तबाही से बचेंगे और वह लोग भी बचेंगे जोकि मुल्क की जमीन से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। ऐसी हालत में यह तमाम का तमाम रूपया आखिर बेटरमेंट फीस की शक्ल में किसानों से ही क्यों लिया जाये? उसका कुछ हिस्सा सरकार फ्लड कंट्रोल या किसी दूसरे नाम से दे। बेटरमेंट फीस की शक्ल में किसानों से ही क्यों लिया जाये? बेटरमेंट फीस किसानों की हैसियत से और लाभ के अनुपात में ही लगाई जाये।

किसानों की बहबूदी के लिये अगर कोई रोशनी हमारे सामने नजर आती है तो वह अम्बर चरखा है। आज अम्बर चरखा चलाने वाला और आल इंडिया खादी बोर्ड वाले सरकार के पास आने में घबराते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस अम्बर चरखे के लिये मिनिस्टर ऑफ प्रोडक्शन उनको कम से कम 50 फीसदी ग्रान्ट दे ताकि इस अम्बर चरखे की उन्नति हो सकें। मैं इसके बारे में आपके द्वारा और इस हाउस के द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी मिनिस्ट्री उन लोगों को हौंसला दे। आज देश के किसान 100 रूपये फी चरखा के हिसाब से खरीद सकते हैं। लेकिन, वह तभी सम्भव है जब मिनिस्ट्र ऑफ प्रोडक्शन या जो आपका सेक्रेटिरियेट है, जिसका रूझान बड़े बड़े सरमायेदारों की तरफ है, वह गरीब लोगों को उनके झंझट से निकाल कर हौंसला दे। मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन और इस मिनिस्ट्री ऑफ फूड एण्ड एग्रिकल्चर को इस चर्खे को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता करनी चाहिये और बढ़ावा देना चाहिए। जैसा अभी डाक्टर राम सुभग सिंह ने बतलाया कि कितने आदमी ऐसे हैं जो अपना पूरा समय खेती में लगा सकते हैं। उनका काफी समय बच रहता है,

जिसको वह अपनी तरक्की करने के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं।

साथ ही मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि यहां बड़ी बड़ी स्कीमें निकाली जाती हैं। हमारे देश में खेती को बढ़ाने के लिये भी बड़ी बड़ी स्कीमें हैं। लेकिन, क्या इस मंत्रालय ने कभी यह सोचा है कि जो हिन्दुस्तान के आम किसान हैं, जिनकी जमीन कुल तीन, चार या पांच एकड़ की है, उनको कैसे एकानामिक खेती में तबदील किया जाये। क्या इसके लिये कोई कदम लिया गया? मैं और डाक्टर राम सुभग सिंह जापान गये थे। वहां हमने देखा कि जिस किसान के पास पांच एकड़ की मिल्कियत है वह करीब पंद्रह हजार रूपये साल कमा सकता है। तो क्या हम इस मंत्रालय से यह तवक्को कर सकते हैं कि वह बजाय इसके कि बड़ी बड़ी चीजों की तरफ ध्यान दें, जैसे इसकी तरह कि एक तरफ लोग यह कहते हैं कि सीलिंग होनी चाहिये, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि सीलिंग नही होनी चाहिये। इन सबका हल करें और बेचारे किसानों की तरक्की के लिये सोचें। उन आदमियों की तरक्की की बात सोचे जिनके पास सिर्फ पांच या सात एकड़ खेती है। आज सरकार लाखों और करोड़ों रूपये रिसर्च के ऊपर खर्च करती जा रही है। उस रिसर्च को करने के बाद क्या वह इन चार या पांच एकड़ की मिल्कियत वालों की खेती को फायदेमन्द बनाने के लिये कोई तजवीज रखती है? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किस तरह से वह आज यह कर सकती है कि रिसर्च पर जो करोड़ों रूपया खर्च हो रहा है, उसका फायदा आम किसानों तक पहुंच सके।

# प्रथम लोकसभा

## बुधवार, 25 अप्रैल, 1956

---

## राज्य पुर्नगठन विधेयक*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : हमारे देश के नेताओं ने पंजाब का जो एक इतना कठिन मसला दरपेश था, उसका एक हल निकाला है, जिससे पंजाब के करीब 80 प्रतिशत आदमी जिनके पास कोई अखबार नहीं, जो बोलना नहीं जानते और अपनी आवाज बुलन्द नहीं कर सकते हैं और जो अपनी मांग और आवाज नेताओं के कानों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, आज वह इस समस्या के हल हो जाने से खुश हैं। हमारे लुधियाना, अमृतसर और जालंधन के कई एक दोस्त यह समझते हैं कि शायद यह जो पंजाब की समस्या का हल निकाला गया है, इससे सिक्खों को कुछ मिल गया है। अगर कुछ मिलने के सवाल के ऊपर गौर किया जाय तो सभापति महोदय, जैसा कि आपको भी मालूम है, अगर किसी को मिला है तो वह हरियाणा और कांगड़ा के 50, 60 लाख लोग हैं, जिनकी ओर आज तक पंजाब सरकार ने देखा भी नहीं था, उनको कुछ मिला है। आपको मालूम ही है कि जहां तक हमारी आर्थिक तरक्की का ताल्लुक था, किसी भी जालन्धर डिवीजन के आदमी ने हमारी तरफ, चाहे वह हिन्दू हो या सिक्ख हो, कभी देखने की कोशिश नहीं की।

सभापति महोदय, आपको पता ही है कि यह भाखड़ा डैम,

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 25 अप्रैल, 1956, पुस्तक सं. 4, भाग 2, पृष्ठ 6405–6409*

जिसका कि आज दुनिया के अन्दर बड़ा शोर है, मैं पूछना चाहता हूँ कि यह शुरू में जो भाखड़ा डैम की स्कीम थी, यह किनकी भलाई के लिए निकाली गई थी और आज उसकी क्या शक्ल है? क्या यह सत्य नहीं है कि यह तमाम का तमाम पानी हरियाण इलाके को देने के लिए इस स्कीम का जन्म हुआ था? लेकिन, आज हम देख रहे हैं कि उसका करीब आधा पानी हरियाणा इलाके से बाहर जायेगा। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण साफ यह मालूम पड़ता है कि चूंकि हमारे इलाके के लोग सदा से दबे रहे हैं और उनकी कभी कोई आवाज नहीं थी और उनकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए यह चीज की गई।

हमारा इलाका पंत जी और कांग्रेस लीडरशिप का हमेशा मशकूर रहेगा, जिन्होंने कि हम दबे हुए आदमियों को उनके जायज हक (उचित अधिकार) दिलाये हैं। आज हम देखते हैं कि देश के अन्दर जनसंघी और कुछ भाई ऐसे हैं, जो हमेशा हिन्दू राष्ट्रवाद और हिन्दुओं के नाम पर अपील करना चाहते हैं और जैसा कि उनका स्वभाव और तरीका है, हिन्दूवाद का नारा लगाते हैं। उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम हरियाणा के हैं, क्या हम लोग हिन्दू नहीं हैं और अगर वे हमें हिन्दू मानते हैं तो फिर क्यों व्यर्थ में हिन्दुओं के नाम की दुहाई दे रहे हैं।

अभी लाला अंचित राम ने बतलाया कि हिसार के एक लाख और कुल पंजाब के 50 लाख आदमी ऐसे हैं, जिनको कुछ गिला है और शक है। हमारे अंबाला क्षेत्र के इलाके की आबादी 51 लाख है, 10 लाख की आबादी कांगड़ा जिले की है, जो कुल मिलाकर 61 लाख की बनती है। 60 लाख के करीब सिक्ख हैं, तो इन 120 लाख में से कितने आदमी ऐसे हैं जो आज अपने आपको प्रसन्न समझते हैं? सभापति महोदय, आज हालत बिलकुल साफ है कि सिवाय कम्युनलिस्ट्स नहीं है और अप्रसन्न आखिर क्यों हो क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा था, ऐसा तो कोई अख्तियार किसी को दिया नहीं गया है कि उसके ऊपर या उसकी ताकत के ऊपर कोई लगाम न हो।

क्या आज यह सत्य नहीं है कि पंजाब के सबसे बड़े उद्योगपति ने जब रूपया लगाने की बात सोची तो उसने जाकर पेप्सू में अपना रूपया लगाया, जहां पर ज्यादातर सिक्खों की आबादी थी?

उसने पंजाब में अपना रूपया लगाने की कोशिश नहीं की। इतिहास इस बात का गवाह है कि पिछले आठ या नौ सालों में जो हिन्दू उद्योगपति थे, उन्होंने पंजाब के बजाय पेप्सू में ज्यादा रूपया लगाया।

आज जो रीजनल कौंसिल (प्रादेशिक परिषद) बन रही है, उसको पेप्सू के बराबर भी अख्तियार नहीं हैं। पेप्सू की सरकार को, बी क्लास स्टेट होने के बावजूद, रीजनल कौंसिल से ज्यादा अख्तियार था। लेकिन, अगर कभी वहां पर कोई खराबी आई तो हमारे देश की केन्द्रीय सरकार ने उसको बहुत मजबूती से रोका। जब भी कोई खतरा वहां आया, यहां की सरकार को जैसा ऐक्शन उसने लिया। जब यह बात हैं तो जलन्धर, अमृतसर और लुधियाना के हिन्दू भाई आज क्यों इस बात से घबरायें?

अभी चन्द दिन हुए लाला अचिंत राम जी भी वहां थे, शायद दो या तीन दिन की बात है, भूमिदान के लिये एक मीटिंग हुई लुधियाने के अन्दर जो किसी पार्टी की मीटिंग नहीं थी। इसी तरह से जलन्धार के अन्दर महाबीर जयन्ती मनाई गई। भगवान महाबीर की जयन्ती किसी पार्टी की जयन्ती नहीं थी। लेकिन, इसके बावजूद कुछ आदमियों ने धंधा बना रखा है कि इस तरह की चीजों में गड़बड़ी पैदा करें। उस भूमिदान की मीटिंग के अन्दर एक आदमी को लाया गया, जिसके एक थप्पड़ भी नहीं लगा था। जिसको कोई चोट नहीं लगी थी। जोकि अपने पैर चलकर आया था। अचानक उसको मीटिंग के अन्दर डाल दिया गया और यह नारा लगाया गया कि उसको जान से मार दिया गया। इस तरह का प्रोवोकेशन (उत्तेजन) वहां पर पैदा किया गया। हमारे सोचने की यह बात है कि क्या इस तरह से प्रावोकिशन पैदा करने वाले आदमियों से डर कर हमें राजकाज चलाना है? अगर किसी आदमी को कोई चोट लगती या कोई नुकसान होता तो हमारा फर्ज था, उसको बचाने का। लेकिन, एक आदमी जिसका कोई नुकसान न हुआ हो, उसके लिये कहा जाय कि जान से मार दिया और इस तरह से गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की जाये तो यह हमारे लिये गम्भीरता से सोचने की बात है। इस तरह के कम्युनलिस्टों से डरकर हम आगे नहीं चल सकते।

**सभापति महोदय** : आपका समय खत्म हो गया।

**चौधरी रणबीर सिंह :** चूंकि मेरा समय खत्म हो रहा है, इसलिये मैं इस विषय को यहीं छोड़ता हूँ। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि दिल्ली का जो भविष्य बनने जा रहा है, उसके अनुसार उसके अन्दर तीन सौ देहात होंगे। जब उनकी कोई ऐसेम्बली (सभा) नहीं होगी और एक कारपोरेशन (निकगम) ही यहां बनेगा तो आप जानते ही हैं कि उस कारपोरेशन के अन्दर उनकी क्या आवाज होगी? कारपोरेशन सिस्टम (निगम पद्धति) में उनके आर्थिक हितों का क्या ख्याल किया जायेगा, यह भी सोचा जा सकता है।

कुछ दिन की बात है, बड़े–बड़े साहूकारों ने मकान बनाने के लिये जमीनें लीं। बड़े–बड़े जमीदारां ने बड़ी–बड़ी जमीनों की मिल्कियतें नहीं, बल्कि एक–एक एकड़ और दो–दो एकड़ की मिल्कियत के मालिकों की जमीनें लीं। लेकिन, वह जमीनें उस भाव पर नहीं ली गई, जो कि बराबर की जमीनों की कीमत थी। आप जानते ही हैं कि सरकारी अफसर जितने हैं, उनके अन्दर बहुत बड़ी तादाद ऐसे आदमियों की है, जो जमीन से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। जोकि जमीन पर खेती करने वाले लोगों की मुश्किलात को समझते नहीं हैं। जमीन कोई मिल्कियत की चीज नहीं है। यह किसान को पेशा देती है। कारपोरेशन के अन्दर कोई आदमी इस बात को नहीं सोचता है कि अगर वह किसानों की जमीन को लेंगे तो उनका पेशा छीनेंगे। इसलिये मैं यह दर्ख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर इस बिल के मुताबिक दिल्ली की ऐसेम्बली तोड़ी जाये और जो दिल्ली के ढाई, तीन सौ देहात हैं, उनमें से ज्यादा से ज्यादा देहात यू.पी. या पंजाब को दिये जा सकें तो वे जरूर उनको दे दिये जायें।

# प्रथम लोकसभा

## बुधवार, 2 मई, 1956

————————

## हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राधा रमण और पंडित ठाकुर दास भार्गव के 153 और 154 नम्बर के संशोधनों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मंत्री महोदय की तरफ से यह ख्याल जाहिर किया गया है कि वह अगले क्लाज के अन्दर शायद इस बात को ठीक कर सकें और मालूम ऐसा पड़ता है कि पंडित ठाकुर दास भागर्व ने क्लाज चार के पार्ट–2 को हटा देने के लिए जो कारण (आर्गुमेंट्स) दिये हैं, उनकी वजह से शायद मंत्री महोदय का दिल पिंघल गया है। पंडित ठाकुर दास भागर्व ने बतलाया कि तमाम देश के कानून में कहीं भी सिवाय बम्बई के फ्रैंगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग पर पाबन्दी लगाने का कोई कानून नहीं है।, सिवाय इसके कि पंजाब का जो उत्तराधिकार कानून है, जिसके मातहत कोपार्सनरी प्रापरटी (समांशी सम्पत्ति) में बाप की इच्छा के बगैर उसका लड़का पार्टीशन नहीं कर सकता है। फ्रैंगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग को बचाता है। इसी तरह बम्बई का कानून है।

उस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि या तो वह इस बात को कहें कि वह फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिग्स करना चाहते हैं और अगर वह इसको करना चाहते हैं तो इस क्लाज में से 2 नम्बर की उपधारा को

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 2 मई, 1956, पुस्तक सं. 4, भाग 2, पृष्ठ 7039–7041*

निकाल दें। लेकिन, अगर फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग को नहीं चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि वह जो सारे देश के लिए एक चीज को बदल देना चाहते हैं, वह ठीक नहीं होगा। मैं तो समझता हूँ कि यह चीज फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स पर एक प्रकार का चैक है।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : अर्बन प्रापरटी मवेबिल और इम्यूनेबिल प्रापरटी (शहरी सम्पत्ति, चल सम्पत्ति तथा अचल सम्पत्ति) भी हो सकती है।

**चौधरी रणबीर सिंह** : मुझे इसमें आपत्ति नहीं कि किसी मकान को तकसीम कर दें या न कर दें। लेकिन जहां तक जमीन का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि पंडित ठाकुर दास भार्गव भी इस बात को जानते हैं कि करीब 80 फीसदी से ज्यादा जायदाद जमीन की है। बाकी 20 फीसदी के लिए अगर कोई अलाहदा कायदा या कानून बनाना चाहे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन, 20 फीसदी के वास्ते यह जो आप 80 फीसदी जमीन की जायदाद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वह कानून मेरी समझ में नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स के बारे में मुझे यह कहना है कि अगर वह एक गांव के अन्दर हो तो इतनी ज्यादा खराबी नहीं है, जितनी कि खराबी तब होगी, जब एक गांव में ही नहीं बल्कि एक कुटुम्ब की जमीन, कई गांवों में 3, 4 या 5 गांवों में छोटे–छोटे टुकड़े हो जायं तो जाहिर है कि उनके ऊपर काम करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इसलिए, यह जरूरी है कि उनका जो एमेंडमेंट है, उसको न माना जाय और फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स से बचाया जाय।

पंजाब के अन्दर आप जानते होंगे कि बहुत ही थोड़े ऐसे लोग होंगे और मैं समझता हूँ कि उनकी तादाद कोई 30 हजार से अधिक नहीं होगी, जिनके कि पास 4, 5 एकड़ से अधिक भूमि होगी। आमतौर पर पंजाब में काश्तकारों के पास थोड़ी–थोड़ी जमीनें हैं और इसलिए मैं यह जरूरी समझता हूँ कि इनके जो अमेंडमेंट्स हैं, उनको न माना जाय और इस देश के कानून को हर एक चीज में यकसां करने की जो भावना है, उससे बचा जाय।

अगर रिवाज से हमारे देश की भावना कुछ खराब होती है तो

मेरी समझ में आ सकता है कि इस कानून को सब जगहों के लिये एक सा कर देना चाहिये। लेकिन, अगर कस्टम (रिवाज) से कोई फायदा है, जिसके लिये उन्होंने लिखा है कि वह अपनी मर्जी के खिलाफ भी रख रहे हैं तो उसको क्यों न रखा जाय। हां, अगर अब उनका विचार बदल गया हो तो बात दूसरी है, वह चीज मेरी समझ में आ सकती है। लेकिन, मेरी समझ में यह नहीं आता है कि चूंकि उसका असर दूसरों पर नहीं पड़ता है इस वजह से उसको न रखा जाये।

मैं मंत्री महोदय से नम्र निवेदन करूंगा कि आज उनके सामने बड़े–बड़े वकीलों ने अपने नुक्ते निगाह से वकालत की है। उस पर वह ध्यान दें। लेकिन, साथ ही वह एक काश्तकार की बा का भी ध्यान रखें और पंजाब के काश्तकारों को बचायें। मुझे इसकी खुशी है कि मेरी इस वकालत से कुछ मेरी बहनों को भी फायदा हो जायेगा। मुझे इसका गिला नहीं। जो कुछ हमारे दोस्तों ने यहां कहा हमें उनकी बोनाफाइडीज (सद्भाव) पर शक नहीं करना चाहिये। लेकिन, दूसरे तरीके से उन्होंने जाहिर कि उनको जो यह खयाल आया है वह इस डर से आया है कि बहनों को कुछ अधिक हक मिल जायेगा। अगर इससे बहनों को कुछ ज्यादा हक मिल जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। जैसा हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि यह बिल लाया ही इसलिये है कि हमारी बहनों को हक मिले और हमें इस बात से घबराना नहीं चाहिये।

# प्रथम लोकसभा

## वीरवार, 3 मई, 1956

---

## हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : मैं मंत्री महोदय के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। बहन रेणु चक्रवर्ती ने बोलते हुए कहा था कि यह विधेयक स्त्री जाति के साथ धोखा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य नहीं है कि सबसे पहले कोई भी बड़ा हक स्त्रियों को जायदाद के ऊपर नहीं था। अब उनको उस पर हक ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि असल में बात ऐसी है कि अब उनको बाप की जायदाद में भी हक होगा और पति की जायदाद के ऊपर भी हक होगा। दूसरे मायनों में आज अगर कोई भाई यह गिला करे तो शायद किसी हद तक जायज हो सकता था। लेकिन, बहनों के लिये शिकायत करने की इस वक्त कोई गुंजायश नहीं है। अगर वह इसको बनिये की तौल से ही नापना चाहे तो बहस मुबाहसे की बात भले ही हो जाये वास्तव में समझ में आने वाली नहीं होगी। स्पष्ट है कि बहनों को भाई के मुकाबले में ज्यादा हक मिलने वाला है।

यहां पर मैट्रिआर्कल सिस्टम, अर्थात मातृ शासन क्रम और पैट्रिआर्कल (पितृपक्षीय) सिस्टम की बात कही गई और दोनों का मुकाबला किया गया। जहां तक मेरा खयाल है, हमें कम से कम इस सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं हो सकता। मैट्रिआर्कल सिस्टम हो या

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 3 मई, 1956, पुस्तक सं. 4, भाग 2, पृष्ठ 7219–7221*

पैट्रिआर्कल, दोनों में एक ही बात है। फर्क इतना है कि एक में लड़की का प्रभुत्व है और दूसरी जगह लड़के का। लेकिन, बात वैसी की वैसी बनी रहती है।

कुछ लोगों ने फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स (धृतक्षेत्र अपखण्डन) की बात कही। अगर वह सिर्फ बड़ी–बड़ी जायदादों और साहूकारों की सम्पत्तियों तक महदूद रहे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

लेकिन, जो कानून बन रहा है, वह गांवों के ऊपर भी लागू होगा। वह गरीबों के ऊपर भी लागू होगा। आप जानते हैं कि इस देश के अन्दर 70 फीसदी, आबादी में से मैं कहूं तो 80 या 85 फीसदी, किसान ऐसे हैं, जिनके पास पांच एकड़ या उससे कम जमीन है। इस कानून के पास हो जाने से जिन भाईयों के पास पांच एकड़ जमीन से कम है उनकी जमीन के टुकड़े हो जाने का भी डर है। लेकिन, मुझे इसका डर ज्यादा नहीं है। क्योंकि जहां पर चार भाई एक बहन है, वहीं पर पांच भाई होते तो भी उनमें आपस में बंटवारा होता है। लेकिन, यहां पर सवाल यह है कि इस तरह से जो जमीन के टुकड़ें होंगे वह एक ही गांव में नहीं रह जायेंगे। बल्कि, अगर दूसरी जगह बीवी जायेगी जोकि उस गांव से चालीस मील हो, तो एक टुकड़ा वहां पर होगा, जहां पर लड़की पहले से रहती रही है। एक टुकड़ा वहां पर होगा, जहां पर वह शादी के बाद जाती है।

आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि दस पांच साल में उस जायदाद का एक एकड़ का टुकड़ा एक गांव में हो और एक एकड़ का टुकड़ा दूसरे गांव में हो। एक एकड़ का टुकड़ा तीसरे गांव में और एक एकड़ का टुकड़ा चौथे गांव में हो। आप इस तरह से अन्दाजा लगा सकते हैं कि उनकी देखभाल लड़की किस तरह से कर सकेगी? चालबाज लोग कहते हैं कि क्या हुआ लड़की को मुआवजा मिल जायेगा। बात ठीक है, उसको मुआवजा मिल सकता है और उसको जायदाद का मुआवजा मिलना चाहिये। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, वे समझते हैं कि जैसे उनके पास पैसा है, उसी तरह से दूसरों के पास भी होगा बैंक बैलैन्स होगा। वह आसानी से बहन को पैसा चुका देंगे। बात ऐसी नही है। जो पांच एकड़ जमीन के रखने वाले हैं, उनके पास आज रूपया नहीं है। अगर उनको बहन को पैसा देना पड़ा तो उनको अपनी जमीनों को बनियों के पास ले जाकर गिरवी

रखना पड़ेगा। इससे तो पार्टिशन (विभाजन) से भी बदतर हालत जमीनों की हो जायेगी।

मैं यह समझता हूँ कि बहनों का हक महफूज रहना चाहिये। बहनों को पूरा हक जायदाद में मिलना चाहिये। इस मामले में मैं किसी से भी पीछे नहीं। इस सबको देखते हुए हमको यह मानना पड़ेगा कि श्रीकृष्ण चन्द्र का जो संशोधन है 166 नं. पर उसको स्वीकार कर लेना चाहिये। अगर ऐसा हो जाये तो मुझे कोई आपत्ति की बात नहीं दिखाई देती। बीवी को अपने पति की जायदाद में हिस्सा मिल सके तो उससे उसको आर्थिक आजादी भी मिल सकती है और फैमिली (परिवार) की खराबी भी रूक सकती है। लेकिन, मैं जानता हूँ कि हमारे मंत्री महोदय उसको मानने वाले नहीं हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय के सुझाव को समर्थन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इससे बहनों को भाईयों से ज्यादा हक मिलने वाला है।

# प्रथम लोकसभा

## बुधवार, 9 मई, 1956

---

## हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। परन्तु साथ ही मुझे यह भी कहना है कि कई दफा यूनिफार्मिटी का एक बुखार सा हो जाता है और यकसवानियत करने का जो बुखार है मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय सरकार को नहीं चढ़ना चाहिये। सबसे एक सा टैक्स लेने के बारे में जो तबदीली सरकार करना चाहती है, मैं समझता हूँ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि इस देश के अन्दर आज दो तरह से टैक्स वसूल किया जा रहा है और दो तरह से इस देश के वासी टैक्स दिये जा रहे हैं। एक तरफ तो एक एक पाई पर टैक्स वसूल किया जाता है, चाहे उनकी आमदनी हो या न हो। उन्हें लैंण्ड रेवेन्यू देना ही होता है। दूसरी तरफ वे भाई हैं जिनको अपनी आमदनी के पहले 4200 रूपयों पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।

इसके अलावा एक चीज और है और वह यह कि इस देश की जो 70 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर करती है, उसको इस देश की

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 9 मई, 1956, पुस्तक सं. 5, भाग 2, पृष्ठ 7798–1801*

आमदनी का सिर्फ 48 फीसदी हिस्सा ही मिलता है। यह जो अन्याय है जिसे इस देश की सरकार ने किसानों से दूर करना है, उसके अन्दर टैक्सेशन पालिसी खासा पार्ट प्ले करती है। शाह साहब ने अभी बताया कि हमारे देश में लैण्ड रेवेन्यू की मद को छोड़कर आमदनी की जो सबसे बड़ी मद है, वह सेल्स टैक्स की है। मुझे मालूम नहीं कि आया शाह साहब उसको दूसरे नम्बर पर रखने के हक में है या इसको और आगे ले जाने के हक में हैं। लेकिन, मैं तो कहूंगा कि सबसे बड़ा नहीं, बल्कि मेन सोर्स आफ इनकम जो है वह है।

मैं चाहता हूँ कि कास्तकार की आमदनी जब तक 4200 रूपये तक न पहुंचे उससे कोई टैक्स लैण्ड रेवेन्यू के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिये। लेकिन, मैं इस बात को जानता हूँ कि सरकार को काश्तकारों की तरक्की के लिये तथा देश की तरक्की के लिये रूपया चाहिये और यह रूपया सेल्स टैक के जरिये से ही आ सकता है। पिछले दिनों यू.पी. में सेल्स टैक्स बढ़ाया गया और वहां पर कुछ दोस्तों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई।

हमारे प्रान्त में भी आज से कोई 15 बरस पहले सेल्स टैक्स का जो कानून लागू हुआ था, उस वक्त भी कुछ लोगों ने इसके खिलाफ बावेला किया था। यह जो इसके खिलाफ आवाज उठाई गई है, वह एक बात का सबूत देती है कि हमारे यहां के जो काश्तकार हैं, उनके अन्दर आर्थिक जागृति पैदा नहीं हुई है। इसके बरखिलाफ जो दूसरे लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, उनके अन्दर जागृति पैदा हो गई है और वे अपने हितों की रक्षा करने के लिये आवाज उठाने के काबिल हो गये हैं।

इसके साथ ही साथ यह बात भी साफ हो गई है कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, वे यह समझते हैं कि चूंकि काश्तकार लोग जो अभी अपने हितों की रक्षा करने के काबिल नहीं हुए हैं, इस वास्ते उनका समर्थन करने से उनके हक में आवाज उठाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। वे जानते हैं कि अगर हम मध्यम दर्जे के आदमी

के आर्थिक हितों की रक्षा करेंगे तो राजनीति में हमारी जगह पुख्ता हो जायेगी। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि सेल्स–टैक्स को हटाने के लिये जो दुहाई दी जा रही है, वह कम से कम गरीब के हक में तो नहीं है। वह अवश्य काश्तकार के खिलाफ है और मैं समझता हूँ कि जब तक सेल्स–टैक्स की आमदनी नहीं बढ़ेगी, उस वक्त तक टैक्स के मामले में काश्तकार के साथ न्याय नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस हाउस में कई दोस्त वक्त बेवक्त मल्टी–पायंट सेल्स–टैक्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं और वे चाहते हैं कि सेल्स–टैक्स सिर्फ एक ही दफा लगना चाहिये। मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस बात का विरोध करता हूँ और वह इसलिये कि हम अपने समाज में इस प्रकार का आर्थिक ढ़ांचा निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें इन्टरमीडियरी के लिये कोई जगह नहीं है। हम इन्टरमीडियरी को खत्म करना चाहते हैं।

हमारे तमाम प्रान्तों में लैण्ड रिफार्म के कानून बने हैं और उनके द्वारा कृषि में से इन्टरमीडियरीज को खत्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन, व्यापार में जो इन्टरमीडियरी हैं, उनको खत्म करने का एक ही तरीका है और वह है मल्टी–पायंट सेल्स–टैक्स। मल्टीपल–पायंट सेल्स टैक्स कई जगहों से वसूल किया जाता है और वह कई हाथों में होकर आता है। इसलिये उससे ज्यादा आमदनी होती है और टैक्स भी ज्यादा लगता है। जिस चीज पर ज्यादा टैक्स लगेगा, जब वह कनज्यूमर्ज के पास इस्तेमाल करने वालों के पास पहुंचेगी, तो लाजिमी तौरपर वह ज्यादा महंगी होगी। कुदरती बात है कि तब कनज्यूमर्ज यह चाहेंगे कि हम अपनी एक सोसायटी बनाएं और उस सहयोगी समाज का उस जगह से सीधा रिश्ता कायम करें, जहां कि कोई चीज पैदा होती है। इसका नतीजा यह होगा कि व्यापार में उन बड़े–बड़े व्यापारियों की जो एक लम्बी सी कड़ी बनी हुई है, जिनका कोई काम नहीं है, कोई चीज पैदा करने या उसको कोई दूसरा रूप देने में जिनका कोई हिस्सा नहीं है, जिनका काम सिर्फ चीजों को एक जगह

से दूसरी जगह ले जाना है, लेकिन फिर भी जो चीजों की बिक्री से होने वाली आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जा रहे हैं, वह कड़ी धीरे–धीरे खत्म हो जायेगी। अगर हमने इस लम्बी कड़ी को खत्म करना है और देहात की तरक्की करनी है तो मेरे ख्याल में मल्टी–पायंट सेल्ज–टैक्स उसके लिये एक बहुत अच्छा हथियार साबित हो सकता है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश की जो सरकार सहयोगी संस्थायें कायम करने के लिये बड़ी कोशिश में हैं। उनको कामयाबी से बाजार में खड़ा करने के लिये भी यह जरूरी है कि मल्टी–पायंट सेल्ज–टैक्स के सिस्टम को बढ़ावा दिया जाय। शहर के कुछ भाईयों और व्यापारियों के कहने से, जिनके पास अखबार हैं, प्रैस और प्लैटफार्म हैं, उनके दबाव से सही पालिसी से इधर–उधर नहीं होना चाहिये। उस पर जमे रहना चाहिये।

आखिर में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन इस आशा के साथ कि रोजाना तरह–तरह के जो प्रदर्शन किए जाते हैं जोकि ज्यादातर गरीब आदमी के हक में नहीं होते, बल्कि जिनको वे कुछ आदमी करवाते हैं, जो अपने आर्थिक हितों के बारे में ज्यादा सचेत हैं, जिनके पास अखबार और प्लैटफार्म है और जो वक्त–वक्त पर इस तरह शोर कराते हैं, उनसे गवर्नमेंट घबरायगी नहीं। वह एक आर्थिक नीति बनायें और मजबूती के साथ उस पर अपना हाथ जमायें और देश को आगे बढ़ायें।

# प्रथम लोकसभा

## वीरवार, 17 मई, 1956

————————

## लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक*

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं धारा नं. 65 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और जो संशोधन श्री वी.जी. देशपांडे ने रखे हैं, उनकी मुखालिफत के लिये खड़ा हुआ हूँ। आप जानते हैं कि पंजाब में एक प्रथा है नम्बरदार रखने की। इसका भी जिक्र किया गया। आपको मालूम ही है कि पंजाब के अन्दर नम्बरदार को कितना अधिकार है। यदि नहीं, मुझे शक है कि कई प्रदेशों के अन्दर पंचायत के जो मेम्बर एलेक्ट (चुने) होते हैं, उनको भी सरकारी नौकर की शक्ल में कर दिया हुआ होगा। लेकिन, दरअसल नम्बरदार का हुकूमत से कोई वास्ता नहीं। फिर भी पंजाब के अन्दर इस बिना पर बहुत से लोगों को डिस्क्वालिफाई (अनर्हत) किया गया और उनको मेम्बरी से हटाया गया कि कहीं पर कोई नम्बरदार, जिसको वह शायद जानता भी नहीं था, उसका पोलिंग एजेंट बन गया। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि वर्डस 'ऐंड दि लाइक' में नम्बरदार को नहीं रखा जाना चाहिये। मैं उम्मीद करता हूँ कि पंजाब और पेप्सू की सरकारें हैं, जो आगे चलकर एक पंजाब की सरकार होगी, वह वर्डस 'ऐंड दि लाइक' और 'जी' उपधारा में नम्बरदार या पंचों को नहीं रखेंगी।

---

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 17 मई, 1956, पुस्तक सं. 5, भाग 2, पृष्ठ 8797*

**श्री वी.वी. देशपांडे** : 'ऐंड दि लाइक' में वह हो सकते हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह** : हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि न हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टेट सरकारें हैं वे इनको शामिल नहीं करेंगी।

इसके अलावा धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर भी अपील करना अच्छा नहीं है, चाहे वह अपील चमार के नाम पर हो या किसी दूसरी जाति के नाम पर। बैकवर्ड क्लासेज के नाम पर या एकानमिक बैक्वर्डनेस (आर्थिक पिछड़ापन) के नाम पर आज भी अपील की जा सकती है, या जो पिछड़े हुए और अंग हैं, उनके नाम पर हो सकती है, लेकिन खाली चमार या दूसरी किसी जाति के नाम पर नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि श्री देशपांडे और श्री कामथ ने जो बातें कहीं वे फालतू बातें हैं और उनकी आवश्यकता नहीं।

# प्रथम लोकसभा

## वीरवार, 6 सितम्बर, 1956

---

## संविधान विधेयक (नौंवा संशोधन)*

**चौधरी रणबीर सिंह** (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं 203 नम्बर के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस संशोधन पर पंजाब और पेप्सू के 22 में से 15 आदमियों के हस्ताक्षर हैं। जिस वक्त यह संशोधन लिखा गया था, उस वक्त 4 आदमी पंजाब और पेप्सू के गैरहाजिर थे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इलाके के डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर और जो दो उनके और साथी हैं वे भी हमारे साथ हैं और इस तरीके से हमारे पूरे 22 मेम्बर्स होते हैं। जब हम यहां पर कोई बात लेकर आते हैं तो हमसे यह कहा जाता है कि हमारे पास आपस में कोई समझौता करके ही आओ और पिछली दफा जब हमारे पंजाब और पेप्सू की कौंसिल के पुनर्गठन होने का सवाल था तो हमें यही राय दी गई थी। जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हम पंजाब और पेप्सू वाले सबके सब तकरीबल मुत्तफिक हैं। मुझे नहीं मालूम कि कोई इसमें एख्तलाफ राय रखता है। कल दो भाई जो गैर हाजिर थे, उन दोनों से जब मैंने बात की तो वह भी मेरे साथ सहमत थे।

चटर्जी साहब ने पंजाब की बाबत कुछ बातें कहीं। पंजाब के अन्दर जब राज्य पुनर्गठन का सवाल उठा तो पंजाब में 4, 5 किस्म के खयालात थे। कुछ भाई ऐसे थे जो दिल्ली के आसपास के रहने वाले

---

*संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 6 सितम्बर, 1956, पुस्तक सं. 8, भाग 2, पृष्ठ 6004–6011*

थे और जिनको सन् 1857 में इस देश की सेवा करने के कारण सजा दी गई थी और उनके इलाकों को दिल्ली के इलाके से काट कर पंजाब के साथ मिला दिया गया था और जो आज तक एक तरह से उनकी कालोनी बने हुए हैं। आज भी कुछ दोस्त हैं जो कालोनी समझते हैं और जो समझते हैं कि जालन्धर के इलाके के कुछ लोगों को तरक्की करने के लिए वहां अच्छी जगह है। एक तरफ वह दोस्त थे, जिनके दिल में कोई हिन्दी और पंजाबी का झगड़ा नहीं था और हिन्दू और सिक्ख का कोई झगड़ा नहीं था। केवल, आर्थिक सवाल उनके सामने था और वह चाहते थे कि पंजाब से वे अलहिदा हों।

इसी तरीके से हिमाचल देश के भाई थे जो पंजाब के साथ आना नहीं चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि शायद उनकी असेम्बली जिस तरीके से अभी हाउस ने और हमने फैसला किया, उनकी असेम्बली और वजारत छीन लें। लेकिन, वह इस बात के लिए तैयार थे कि उनकी असेम्बली और वजारत छीन लें। हमें अपने लोगों की तरक्की के लिए रूपया चाहिए। पिछले पांच साल में हिमाचल प्रदेश को 4 करोड़ रूपया दिय गया और इस दूसरे सेकेंड फाइव इयर प्लान के तहत उन्हें 15 करोड़ रूपया दिया जा रहा है। इस तरह से 10 साल के अन्दर हिमाचल प्रदेश को तकरीबन 19 करोड़ के करीब रूपया दिया जायेगा।

मेरा कहना है कि उतना ही इलाका हमारे सूबे के एक जिले का है और जिसका कि नाम कांगड़ा है और जिससे कि हमारे साथी श्री हेमराज आते हैं। कांगड़े का उतना ही इलाका है और करीब–करीब उतनी ही आबादी है और फ्रंटियर पर वाकै है। वहां की तरक्की के लिए सरकार ने कितना रूपया दिया। एक तरफ तो दस साल में 20 करोड़ रूपया तरक्की के लिए दिया गया, जबकि इस कांगड़े के इलाके को शायद उतने लाख रूपये भी नहीं मिलते हैं और मैं श्री चटर्जी साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना और उसके लिए मांग करना कोई कम्युनल चीज है?

जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लोगों ने एक आवाज से कहा कि हम पंजाब के साथ नहीं आना चाहते। उसी तरीके से मैं यह मानता हूँ कि यह जो हमारा संशोधन है, वह अगर मंजूर नहीं हुआ या संशोधन से जो हमारा आशय है, उसको कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं मालूम देता कि 4, 5 साल के अन्दर यह हरियाणे का इलाका और कांगड़े का इलाका एक

आवाज से यह बात कहेगा कि बेशक आप हमारी असेम्बली ले लें, हम असेम्बली की मेम्बरी नहीं चाहते, हम वजारत नहीं चाहते, हम तो केवल अपने इलाके की तरक्की चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शुरू में कहा हमारे लिए यह कम्युनल सवाल नहीं है और न ही यह हमारे लिए हिन्दी और गुरूमुखी का सवाल हो सकता है। यह जो आवाज एक भाई ने उठाई कि यह हिन्दी के रास्ते में रोड़ा अटकाने का सवाल है या कुछ भाई लोगों ने ऐसा कहा कि यह गुरूमुखी की तरक्की को रोकने का सवाल है, यह दोनों ही आवाजें गलत हैं। बल्कि, हम जो करीब 65 लाख लोग वहां पर बसते हैं, उनकी आर्थिक तरक्की करने का सवाल है। इससे फालतू हमारा इसके अन्दर कोई आशय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे सैकेंड फाइव इयर प्लान का सवाल है, अगर सिर्फ रीजनल कमेंटियां जैसी कि हमें दी गई हैं, उन रीजनल कमेटियों की मार्फत हमारा जो सेकेंड फाइव इयर प्लान है और जिसके कि दौरान पंजाब और पेप्सू में 126 करोड़ और 15 करोड़ रूपये का खर्च का अंदाजा लगाया गया है, अगले पांच सालों में उसके खर्चे को हम उन कमेटियों की मार्फत देख करके अपने इलाकों की आबादी और हालात को देखते हुए नहीं बदलवा सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगले चार या पांच साल के बाद हमारे हर इलाके का आदमी यह समझेगा कि रीजनल कमेटी फालतू थी।

आज हमारे कुछ साथी हैं, जालन्धर डिवीजन के, कुछ अन्य हिन्दू भी हैं, जो कि यह समझते हैं कि अकाली पार्टी के सामने घुटने टेकने के लिए यह रीजलन कमेटियां बनाई गई। लेकिन, दूसरी तरफ हमारे इलाके के भाई हैं, जोकि इसके अन्दर अपनी आर्थिक उन्नति की आशा करते हैं, कुछ झलक देखते हैं। इसलिए वह आज खुश हैं और दूसरों के बहकावे में आने के लिये वे तैयार नहीं हैं। अभी श्री चटर्जी ने कहा कि पार्टिशन के बाद कुछ भाई इधर आये। मैं उनको बता दूं कि उनकी तादाद हमारे इलाके में 65 लाख में से मुश्किल से 8 लाख है। ऐसी हालत में क्या आप समझते हैं कि डिमाक्रेसी के जमाने में, अगर वह 8 लाख आदमी कोई ऐसी आवाज उठाना चाहते हों जो हमारे ख्याल के खिलाफ हों, तो गो हम उनका आर्थिक हित चाहते हैं, वह चीज हमारे हक में होगी? जो चीज 55 लाख आदमियों के हित में नहीं होगी, जो उनके खयालात होंगे, उनके जो तरीके होंगे, वह आज के जनतंत्र के अन्दर चलेंगे?

चटर्जी साहब ने कहा कि जो यह रीजनल कमेटियां हैं, वह हमारे संविधान के खिलाफ जायेंगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वह उनको इतना ताकतवर समझते हैं? पिछले दिन उन्होंने कहा था कि हरियाणा की रीजनल कौंसिल के 64, 65 आदमियों में से 33 आदमी अगर कोई फैसला करेंगे तो वह पंजाब असेम्बली के तमाम फैसले को रोक सकेंगे। अगर वह इस रीजनल कौंसिल को इतनी ही ताकतवर समझते थे तो जिस वक्त हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से और देश के नेताओं की तरफ से एक बुलावा दिया कि बंगाल और बिहार को इक्कठा कर दिया जाये, तो वह इससे क्यों घबराते थे? आखिर, जो ताकत हमें मिल रही है, वही ताकत उनके पास होती। अगर हमारे 33 आदमी पंजाब की असेम्बली की आवाज को खत्म कर सकते हैं तो बंगाल के आधे मेम्बर, बंगाल बिहार की जो असेम्बली बनती उसकी ताकत को खत्म क्यों नहीं कर सकते थे? जब इसके अन्दर उनको इतनी ताकत दिखाई देती है, तो उनको डर क्यों था?

बात साफ है, जिस वक्त दूसरे आदमी को पीर होती है, उसको कोई उस ढ़ंग से नहीं समझ सकता जिस तरह से कि अपनी पीर मालूम होती है। आदमी के खयालात कुछ और होते हैं और वह सोचता कुछ और है। जो बात आज चटर्जी साहब पंजाब के लिये कहते हैं, वही बंगाल बिहार के लिये वह और बात कहते थे और पंजाब के लिये और बात कहते हैं। जब गुजरात और महाराष्ट्र का सवाल आता है तो उनका दिल दूसरा हो जाता हैं। आखिर, क्या वह यह समझते हैं कि जो सदस्य यहां बैठे हुए हैं, वह सब उनकी बात को समझ नहीं सकते हैं? या वह कहना चाहते हैं कि उनका ही दिल एक ऐसा दिल है, जो तमाम जनता को बहका सकता है।

मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि शायद बंगाल के कुछ दोस्त मिल जायें, जिनको आप बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, जोकि उनके बहकावे में आ जायें, लेकिन, पंजाब का सूबा ऐसा नहीं है। पंजाब का वह सूबा है, जिसके अन्दर हिन्दू महासभा के दोस्तों ने 25, 30 सालों से कोशिश की कि उन्हें एक सीट मिल जाये। मैं कोई पिछले एलेक्शन की बात नहीं कह रहा हूँ। पिछले 25, 30 सालों तक पंजाब के अन्दर जो एलेक्शन लड़े गये, वह आर्थिक सवाल पर लड़े गये, हिन्दू, मुसलमान और सिक्खों के सवाल पर नहीं लड़े गये। और वहां पर जब भी अकसरियत आई तो उन्हीं लोगों की आई जोकि आर्थिक सवाल को उठाने वाले थे। मैं चैटर्जी साहब से अर्ज करना चाहता हूँ कि वहां पर

आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनके आदमी उनकी मार्फत अपनी वकालत करवाते हैं। लेकिन, वह जिनकी वकालत यहां पर करते हैं, वह कौन दोस्त हैं? वह वही लोग हैं, जो जब कांगेस प्रधान वहां पर जाता है, भूदान के लिये अपना सन्देश जनता को सुनाना चाहता है, उस सन्देश को सुनाने की इजाजत नहीं देते हैं। ढ़ेले फेंके जाते हैं, वह खुद ढ़ेले फेंकते हैं, मीटिंगों को खराब करते हैं। लेकिन, जिन लोगों के खिलाफ वह ढ़ेले फेंकते हैं, जिनके हाथ में आज ताकत है कानून की, जिनके हाथों में आज राज्यसत्ता है, उनकी मीटिंगों को खराब करते है और उन्हें ही जालिम कहते हैं। अजीब जमाना है। एक जमाना था जबकि लोग यह समझा करते थे कि अगर किसी के हाथ में ताकत नहीं होती थी, उसको बोलने नहीं दिया जाता था, तो वह गिला नहीं कर सकता था। लेकिन, आज अजीब जमाना है कि आर्थिक सत्ता जिनके हाथ में है, जिन लोगों की तादाद कोई 10, 20, 25, 55 या 60 फीसदी नहीं, 80 फीसदी है, उनके खयालात एक तरफ हैं। लेकिन, उनकी मीटिंगों को नहीं होने दिया जाता और उल्टे कहा जाता है कि हमको तबाह कर दिया गया, हमारे साथ जुल्म हुआ। जैसा अभी बंसल साहब ने बताया कि डिमाक्रेसी के बारे में उनके क्या विचार हैं। मैं उनकी बात को मानता हूँ।

लोकतंत्र किसे कहते हैं और वह किस तरह से चलना चाहिये, यह हमें सीखना होगा। मेरा तो यही कहना है कि आज यह हो रहा है कि लोकतंत्र से लोग पीछे हट रहे हैं। लोकतंत्र के खिलाफ बोल रहे हैं। जिनकी तादाद कम है, उन्हें हर तरह की छूट है, वह जो चाहें कह सकते हैं। लेकिन, एक ऐसा आदमी जोकि ज्यादा तादाद वालों का प्रतिनिधित्व करता है, वह अपनी बात कह तक न सके। अगर वही लोकतंत्र कहलाता है, तो यह एक अजीब व्याख्या लोकतंत्र की होगी।

जैसा मैंने पहले आपसे अर्ज किया अगर किसी वजह से हमारे संशोधन तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जो अख्त्यारात वह गवर्नर को देना चाहते हैं, जिन अख्त्यारात से हमारे चैटर्जी साहब डरते हैं, फिर समझते हैं कि गर्वनर डिक्टेटर बन जायेगा और संविधान के खिलाफ कारवाईयां करेगा, वह उसको हिदायत दें। जो हमारे खयालात यहां पर हैं, उनको गृहमंत्री जी तक पहुंचायें। यही नहीं कि उन खयालात को पहुंचायें, उस वक्त तक वह इस बात को देखें कि हमारे खयालात के ऊपर ही हमारी राज्य सरकारें चलें।

## चौधरी रणबीर सिंह : संक्षिप्त जीवन घटनाक्रम

पिताश्री : चौधरी मातूराम
माताश्री : श्रीमती मामकौर
दादा जी : चौधरी बख्तावर सिंह
दादी जी : श्रीमती धन्नो
भाई–बहन :
1. डा. बलबीर सिंह
2. सुश्री चन्द्रावती
3. चौधरी फतेह सिंह

| वर्ष | विवरण |
|---|---|
| 1914 (26 नवम्बर) | : जन्म (रोहतक जिले के सांघी गाँव में) |
| 1920 | : प्राथमिक शिक्षा हेतु गाँव के स्कूल में प्रवेश। |
| 1924 | : प्राथमिक शिक्षा पूर्ण, गुरूकुल भैंसवाल में प्रवेश। |
| 1929 | : लाहौर अधिवशन में बड़े भाई के साथ शिरकत। |
| 1933 | : वैश्य स्कूल, रोहतक से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण |
| 1937 | : रामजस कॉलेज, दिल्ली से बी.ए. उत्तीर्ण |
| 1937 | : गृहस्थ जीवन में प्रवेश |
| 1941 | : सक्रिय राजनीति में प्रवेश |
| 1941 (5 अप्रैल) | : प्रथम जेल यात्रा (व्यक्तिगत सत्याग्रह) |
| 1941 (मई) | : जेल से रिहा |
| 1941 | : दूसरी जेल यात्रा |
| 1941 (24 दिसम्बर) | : जेल से रिहा |
| 1942 (14 जुलाई) | : पिताश्री का देहांत |
| 1942 (24 सितम्बर) | : तीसरी जेल यात्रा (भारत छोड़ो आन्दोलन)। |
| 1943 (25 अप्रैल) | : मुल्तान से लाहौर जेल में |
| 1944 (24 जुलाई) | : जेल से रिहा |
| 1944 (28 सितम्बर) | : चौथी जेल यात्रा (नजरबंदी उल्लंघन) |
| 1944 (7 अक्तूबर) | : रोहतक जेल से अम्बाला जेल में |

| | |
|---|---|
| 1945 (14 फरवरी) | : जेल से रिहा |
| 1945 | : पुनः गिरफ्तारी। |
| 1945 (18 दिसम्बर) | : जेल से रिहाई। |
| 1947 (10 जुलाई) | : संविधान सभा सदस्य निर्वाचित |
| 1947 (14 जुलाई) | : संविधान सभा सदस्यता ग्रहण |
| 1948 (6 नवम्बर) | : संविधान सभा में प्रथम भाषण |
| 1952 | : रोहतक लोकसभा सीट से विजयी |
| 1957 | : दूसरी बार लोकसभा के लिए विजयी हुए। |
| 1962 | : पंजाब विधान सभा में कलानौर से विजयी |
| 1962 | : पंजाब में बिजली व सिंचाई मंत्री |
| 1966 (1 नवम्बर) | : हरियाणा–गठन। |
| | : मंत्री पद पर नियुक्त |
| 1968 (12–14 मई) | : मध्यावधि चुनाव। हरियाणा विधानसभा के लिए विजयी |
| 1972 (अप्रैल) | : राज्यसभा के लिए चुने गए |
| 1977 | : हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने |
| 1978 | : राज्यसभा में कार्यकाल सम्पन्न |
| 1980 | : हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कार्यकाल सम्पन्न |
| 2009 (1 फरवरी) | : निधन |
| 2009 (2 फरवरी) | : रोहतक में 'समाधि–स्थल' पर अंत्येष्टि |